Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ३३वां दिवस [संख्या २४

बुधवार, ३० मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, कृषि, पशु पालन, स्वायत्त शासन, पंचायत, सहकारिता, स्वास्थ्य, वन, आयुर्वेद, एवं आबकारी-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न, श्री मोहब्बतसिंह।

सिरोही जिले में अंगोरे तथा दांता लघु सिंचाई का निर्माण

७१९. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

Whether the Government contemplates to construct Angore and Dhanta minor irrigation dams in Sirohi District? If so, when does the Government contemplate to start these works?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : अंगोरे मीडियम सिंचाई योजना का सर्वे व इन्वेस्टीगेशन का काम समाप्त हो गया है व एस्टीमेटों को स्क्रूटिनाइज़ किया जा रहा है। दांता की सर्वे समाप्ति पर है, काम शीघ्र ही चालू हो सकेगा।

श्री मोहब्बतसिंह : इन सारी फॉर्मेलिटीज़ के पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है और अन्दाजन कितने समय बाद काम शुरू हो जायगा ?

श्री दौलतराम सारण : अन्दाज तो बतला नहीं सकता लेकिन जल्दी करने की चेष्टा की जायगी।

जयपुर पॉल्ट्री फार्म

७२०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९५७-५८ में जयपुर

Page No.2

(श्री भैरोंसिंह)

पॉल्ट्री फार्म में कितने मुर्गे व मुर्गियां तैयार किये गये तथा उनमें से कितने सन् १६५८-५६ के प्रारम्भ में बचे ? कितने ब्लॉक्स को, कितने प्राइवेट पॉल्ट्री फार्म्स या अन्य व्यक्तियों को दिये गये ?

(ख) कितने बी० डी० ओज़० से यह सूचना आई कि उनके यहां जो मुर्गे भेजे गये उनमें अधिकांश मर गये हैं ? नाम बी. डी. ओ., मय तादाद मुर्गे जो मर गये, की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) जो ब्लॉक्स में मुर्गे व मुर्गियां भेजे गये उनकी औसतन उम्र क्या थी ?

(घ) सन् ५७-५८ का पॉल्ट्री फार्म्स पर वार्षिक बजट (in actual) क्या था ?

(ङ) सन् ५७-५८ में जिन ब्लॉक्स में मुर्गे भेजे गये उनमें अब कहां कहां पॉल्ट्री फार्म्स हैं ? यदि बन्द हो गये, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सन् ५७-५८ में जयपुर कुक्कुट शाला में ७,२३६ मुर्गे व मुर्गियां तैयार हुईं। सन् ५८-५६ के आरम्भ में ५२८ शेष रहीं इस वर्षान्तर में १,४१६ ब्लॉकों में प्राइवेट व्यक्तियों को क्रय की गईं।

(ख) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

(ग) ब्लॉकों में लगभग २॥ मास के उम्र के कुक्कुट दिये गये।

(घ) सन् ५७-५८ का पॉल्ट्री फार्म का बजट इस प्रकार का था :

१.	अलाउन्सेज ओनरेरिया, टी० ए०	२००
२.	खाद्य पदार्थ	२,८००
३.	सर्विस पोस्टेज	१५०
४.	बिजली व तेल	२५०
५.	पानी	२००
६.	अन्य	८००

(ङ) सन् ५७-५८ में जिन ब्लॉकों में मुर्गे भेजे गये उनमें से इन निम्न में पॉल्ट्री फार्म्स मौजूद हैं : अलवर, टोंक, कोटा, देवली, पाटन, दुर्गापुरा, बस्सी, पाली और हनुमानगढ़।

श्री भैरोंसिंह : जिन जिन पॉल्ट्री फार्म्स को ये मुर्गे दिये गये क्या सरकार इस बात का रेकॉर्ड मेन्टेन करती है कि कौन कौन पॉल्ट्री फार्म प्रोग्रेस कर रहा है और कौन सा बन्द हो गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर रेकॉर्ड रखा जाता है जिन ब्लॉकों को दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : रेकॉर्ड रखा जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह बता सकती है कि ५७-५८ में पचास अन्य लोगों को आपने मुर्गे दिये वे जिन्दा रहे या मर गये ? अधिकांश उनमें से मर गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनमें से कई मर भी जाते हैं, कितने मरे, कितने जिन्दा रहे, इसका मुझे पता नहीं। पर कुछ मर भी जाते हैं और कुछ ऐसा है कि हम २॥

Page No.3

(श्रीनाथूराम मिर्धा)

महीने के देते हैं। उनमें ज्यादा रिस्क रहता है। हमारा यह अनुभव रहा कि थोड़ा-बड़ा करके देने में मृत्यु-संख्या कम होती है, इसलिए हमने अब यह रखा है कि चार महीने के बाद दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या आप अब यह महसूस करते हैं कि २।। महीने के दिये, इस कारण मृत्यु-संख्या ज्यादा बढ़ी?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा न कि चार महीने के पहले मोर्टेलिटी के चान्सेज़ ज्यादा हैं बमुकाबले चार महीने के बाद।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस कारण से ५७-५८ में जो मुर्गे दिये गये उनके अन्दर बी. डी. ओ. की रिपोर्ट के अनुसार ६० पर्सेन्ट मर गये और दस पर्सेन्ट बचे हैं और उसने यह रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एनीमल हस्बेन्डरी के ऑफिस में भी अलग अलग से भेजी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्सेन्टेज तो, कितने मर गये कितने रह गये, यह नहीं बता सकता ठीक तरह से। मैं कह नहीं सकता कि किस ब्लॉक में कितने पर्सेन्टेज रहा, पर यह ज़रूर है कि चार महीने के पहले मोर्टेलिटी के चान्सेज़ ज्यादा रहते हैं। पर चूंकि उस वक्त ब्रीड तैयार नहीं थी और मांग अधिक थी, इसलिये २।। महीने के भी दे दिये गये। पर आगे से अब हमने चार महीने के देने का सोचा है।

प्रश्न संख्या ७२१

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

दीर्घ एवं मध्यम सिंचाई योजनाएं

७२२. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा):

Will the Irrigation Minister be pleased to state:-

What are the irrigation potentials of the various major and medium projects so far completed and the extent of utilisation of irrigation facilities under each of the project? The figures of commanded area and actual utilisation of irrigation facilities for each project may be given separately.

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम-सारण) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : इस चार्ट को देखने से बहुत फर्क लग रहा है, यह कैसे है? मेजा की पोटेन्शियलिटी ३० हजार है और आपने इर्रिगेशन किया १२,७३२ का ही, less then 50 percent of the potentiality. गुढ़ा की पोटेन्शियेलिटी २० हज़ार की है पर आपने इर्रिगेशन किया २,३४३ में ही। इसी तरह क्रमश: कालीसिल, जुग्गर, सूखाल, मोरेल आदि सभी का यही हाल है। एक्चुअल इर्रिगेशन आपने कहीं नहीं किया। फर्स्ट प्लान में आपने इनके आधार पर आंकड़े तैयार किये थे, फिर आज तक उनका पूरा उपयोग नहीं करने का क्या कारण है? इसमें सब में इतना डिफरेन्स क्यों है?

Page No.4

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : क्योंकि इरिगेशन के बनाने में समय लगता है और इसीलिये डेवलपमेंट फुल रूप से चलने में समय लगेगा और इसमें आठ-दस साल का टाइम भी लग सकता है। तो फेज़ प्रोग्राम के हिसाब से हम ठीक चल रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : पर आपने जो पोटेन्शियलिटी डेवलप की और जिसके आधार पर आपने फूड प्रोडक्शन के आंकड़े तैयार किये, जिसके आधार पर आपने फूड प्रोडक्शन के मामले में हमें बताया कि इतने पोटेन्शियलिटी हो गई है तो इतना हमारा प्रोडक्शन हो जावेगा; तो इस हिसाब से आपके ये केलकुलेशन्स गलत जा रहे हैं या नहीं?

श्री भीखाभाई : इसमें वक्त लगता है और यह वक्त कई कारणों से लगता है। वैल इर्रिगेशन करने के लिये काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सी हालात ऐसी हैं जिनके लिये सरकार को एक बिल भी लाना पड़ेगा।

श्री पी० के० चौधरी : पर आप तो कुल १० पर्सेन्ट ही इर्रिगेशन कर पाये हैं। आपने इसकी पूरी पोटेन्शियलिटी को युटीलाइज़ करने के लिये what specific steps you have taken? मैं वे स्टैप्स जानना चाहता हूं और आप अब स्टैप्स लेने का सोच रहे हैं, आप जब डैम बना रहे थे तभी साथ साथ आपने इसको सोचने की जरूरत क्यों नहीं महसूस की ताकि जो भी आपको वैल इर्रिगेशन करना पड़ता है वह भी साथ-साथ चलता और इतना नुकसान नहीं होता? क्या स्टैप्स लिये और उनमें क्या प्रगति है? Even in 1958-59 for a dam which was in the first Plan, the actual irrigation is 1/10th of the potential. Then what is the progress of the steps that you have taken? Have your steps been ineffective?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन कर दिया कि वैल इर्रिगेशन करने में समय लगता है। पहले जो फिगर बताये उस वर्ष उससे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : डेवलपमेंट का सवाल नहीं है। एक्चुअल का १।१० भी नहीं होता है तो इसको फुल्ली युटीलाइज़ करने के लिये what steps you have taken?

श्री भीखाभाई : वह सवाल अलग है। अलग से पूछेंगे तो मैं डिटेल में ज्यादा अच्छा जवाब दे सकूंगा। वैसे इसको बढ़ाने के लिये ज्यादा चेष्टा की जा रही है। इसके लिये प्रोबेबल स्टैप्स सभी उठाये गये हैं।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, it is not a separate question. The Government has utterly failed in utilising the irrigation potential. Naturally, the members can put the supplementary as to what concrete steps the Government has taken.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

कस्बा सुजानगढ़ में सड़क निर्माण का कार्य

७२३. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) :

(श्री भैरोंसिंह)

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-(क क्या यह सही है कि कस्बा सुजानगढ़ के मोहल्ला नया बास में एक सड़क के निर्माण के लिये सड़क की कुल लागत का २।३ हिस्सा स्थानीय नागरिकों ने देने का निश्चय किया तथा उसके परिणाम स्वरूप १३,३८०) नगरपालिका में जमा करा दिये ?

(ख) क्या यह सही है कि इस सड़क के निर्माण के लिए डूंगर मल प्रजायतका टेन्डर स्वीकार किया गया ?

(ग) क्या यह सही कि एग्रीमेंट के अनुसार सड़क का काम निर्धारित रूप में निर्धारित समय में नहीं हो सका ? यदि हां, तो एग्रीमेन्ट की पीनाल्टी क्लॉस के अनुसार कितनी और क्या पीनाल्टी लगाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। इस मामले में; कार्य में देरी ठेकेदार की तरफ से नहीं होने के कारण उससे पीनाल्टी चार्ज नहीं की गई।

श्री भैरोंसिंह : यह देरी किसकी तरफ से हुई ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि ठेकेदार की तरफ से नहीं हुई। दरअसल ठेकेदार के खिलाफ शिकायत पैदा हुई और उसकी जांच के दौरान में कुछ काम नहीं हो पाया जो कि समय पर करने को था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नगरपालिका की ओर से कोई ऐसा आदेश नहीं दिया गया था कि ठेकेदार समय में काम करना बन्द कर दे ?

श्री भीखाभाई : सुना नहीं, जरा दुबारा कहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नगरपालिका की ओर से इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया था कि ठेकेदार जांच होने की स्थिति में अपना काम बन्द कर दे ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि सारी सड़क का काम पूरा हो गया था, नालियों का काम खाली बाकी था। उसमें जनता की शिकायत हुई और जांच में जो रीज़नल इन्सपेक्टर ने ऑर्डर पास किया, पेमेन्ट रोक लिया। अब जाकर वह उसको पूरा कर पाया है। फिर उसके एग्रीमेंट में भी ऐसा क्लॉज़ है कि अवधि बढ़ाई जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऐसा क्लॉज़ था जिसमें अवधि बढ़ाई जा सकती है, उस क्लॉज़ के अन्तर्गत कोई अवधि नहीं बढ़ाई गई ?

श्री भीखाभाई : जरूर बढ़ाई गई।

श्री भैरोंसिंह : कब तक बढ़ाई गई थी ?

श्री भीखाभाई : जब उसने मांग की और उसकी ३०-४-५६ की मियाद थी और ६ तक बढ़ाई गई।

श्री भैरोंसिंह : यह जो माननीय मंत्री

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय ने फरमाया कि अवधि बढ़ाई गई तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस दिन अवधि समाप्त होती थी उस दिन बढ़ाई गई या अभी पन्द्रह बीस दिन, पहले रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से बढ़ाई गई ?

श्री भीखाभाई : जिस दिन रीजनल इन्सपेक्टर इन्क्वायरी करने गया और उसके सामने ठेकेदार ने अपनी दर्ख्वास्त पेश की, एग्रीमेंट के शर्त्तनामे के अन्तर्गत ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह सही नहीं है कि जिस दिन उसका काम समाप्त होना था या उसके बाद में जब जांच हुई तब उसने ऐसी कोई दर्ख्वास्त मयाद बढ़ाने की नहीं दी थी और न ही मियाद बढ़ाई गई थी, बल्कि जिस दिन मैंने यह प्रश्न उठाया उस दिन मयाद रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से बढ़ाई गई ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं । यह गलत है । मुझे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि अवधि समय पर बढ़ाई गई थी, अवधि का प्रार्थना-पत्र भी इसके साथ है । रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ाने का प्रश्न नहीं पैदा होता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या ७२४

श्री उम्मेदीलाल ।

(अनुपस्थित)

गोदाना व दरूबाना तहसील शिवगंज (सिरोही) की लघु सिंचाई का सर्वे

७२५. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Irrigation Minister be pleased to state :-

Whether the survey of the minor irrigation schemes of Godana and Derubana in Sheoganj Tehsil of Sirohi District is complete? If not, how long it is to take now?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : इन दोनों योजनाओं का सर्वे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शीघ्र पूर्ण हो जावेगा ।

श्री मोहब्बतसिंह : कितने समय से चल रहा है और कितना समय लगेगा ?

श्री दौलतराम सारण : ६० के लास्ट तक पूरा होने की सम्भावना है ।

बुल प्रीमियम स्कीम के अन्तर्गत खरीदे गये सांड

७२६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पशु पालन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) बुल प्रीमियम स्कीम राजस्थान में कब से लागू है ?

(२) लागू होने के पश्चात् इस स्कीम के अन्तर्गत किस किस वर्ष में, किन किन लोगों, को किस किस जिले में, कितना कितना प्रीमियम दिया गया ?

(३) जिनको प्रीमियम दिया गया, उसमें से किस किस कीमत के, किन किन के और कब कब सांड खरीदे गये ? जिनके नहीं खरीदे गये, उनके क्यों ?

(श्री भैरोंसिंह)

(४) इन खरीद किये गये सांडों में से कितने जीवित हैं और कहां कहां ? जो मरे हैं, वे खरीदने के कितने दिन बाद और कहां कहां ?

पशु पालन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) बुल प्रीमियम स्कीम राजस्थान में १९५७–५८ से लागू हुई है ।

(२) तालिका १ में विवरण प्रस्तुत है ।

(३) तालिका २ में विवरण प्रस्तुत है ।

(४) तालिका ३ में विवरण प्रस्तुत है ।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : इनमें से कितने मर गये, तालिका से समझ में नहीं आता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लिखा हुआ है सब ।

श्री भैरोंसिंह : कितने मर गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बताऊं, मरे नहीं हैं । इसमें से कोई सांड नहीं मरा, आप लास्ट पेज पर देख लीजिये । सन् अक्टूबर, ५९ तक कोई नहीं मरा । बाद में कोई मरा हो तो उसकी पंचायत समितियां जानकारी दे सकती हैं । उनके अधिकार क्षेत्र में अब वे चले गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने तालिका दी है उसके अनुसार १८ खरीदे गये थे और दूसरी सूची दी है कि इतने सांड जीवित हैं इसमें ११ हैं तो इससे नेचुरली ऐसा लगता है कि बाकी सात सांड मर गये । उनका कोई हिसाब इसमें नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, ऐसा नहीं है, किसी में दो भी हैं । कहीं की–विलेज स्कीम में दो, दो और तीन, तीन भी हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने लिखा है न कि १८ खरीदे गये जिनका प्रीमियम दिया गया । अब खरीद लिये आपने १८ और इसके बाद में आपने लिखा है कि वे निम्न स्थानों में मौजूद हैं, उनकी लिस्ट दी है । अब मौजूद होने में ११ स्थान ही आपने बताये हैं । बाकी सात का क्या हिसाब है ? वे कहां गये ? वे किस स्थान पर हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया भीलवाड़ा में की–विलेज सेन्टर में है, मनोहर थाना में है, डग, सुनेल, बारां, आहोर, लूनीसर, डोडसन और सीकर में है । तीन पंचायत चेचट में हैं और इसी तरह से की–विलेज सेन्टर में जैसा मैंने कहा तीन भी रख सकते हैं चार भी रख सकते हैं । तो इस तरह सब हैं, कोई मरा नहीं है ।

कांसली पंचायत

७२७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार ने पंचायतों के सरपंचों को यह आदेश दिया था कि वे निश्चित रकम से अधिक रकम पंचायत कोष में न रख कर पोस्ट ऑफिस या बैंकों में जमा करा देवें ?

Page No.8

(श्री रामकरणसिंह)

(ख) क्या यह सत्य है कि आदेश की कांसली पंचायत ने अवहेलना की ?

(ग) आज तक इस पंचायत में कुल कितना रुपया जमा हुआ ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय, स्वायत्त शासन मन्त्री की ओर से) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) १३६० रुपया, १५ आना, ३ पाई।

श्री रामकरणसिंह : जब इस प्रकार की आज्ञा का पालन नहीं किया तो आप कुछ कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह।

नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा रायसिंहनगर में डी. ई. ब्लॉक्स में रिहायशी अहातों की नीलामी

७२८. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका रायसिंहनगर ने रायसिंहनगर में डी. ई. ब्लॉक्स में नियमानुसार रिहायशी अहाते नीलाम किये थे ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि इन ब्लॉक्स में तामीर कराये जाने के कार्य को कलेक्टर, गंगानगर ने रोक दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि नगरपालिका हॉल के समीप श्री निरंजनसिंह आदि कुछ व्यक्तियों ने नाजायज़ तौर पर तामीर का कार्य शुरू किया जिसको नगरपालिका द्वारा रोका गया, परन्तु कलेक्टर द्वारा नगरपालिका के इस आदेश को कैंसिल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई-स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर जो है अभी पूरी तरह प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये इसको पोस्टपोन करने के लिये मैं पहले ही सूचना दे चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

पंचायत, बदनोर के हिसाब की लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा जांच

७२६. श्री जयसिंह राणावत (आसीन्द): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पंचायत बदनोर, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा में चल रहे गबन और रकमों के दुरुपयोग की जांच के लिये लोकल फण्ड ऑडिट के द्वारा जांच कराने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था ?

(२) उक्त प्रार्थना-पत्र के प्रार्थी को उक्त जांच में शरीक रखा गया है या नहीं ? जांच का क्या परिणाम रहा ?

(१) जांच मुकाम बदनोर चाही गई थी अथवा भीलवाड़ा ?

Page No.9

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां ।

(२) शरीक नहीं रखा गया । ऑडिट रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(३) आवेदन पत्र में कोई मांग प्रार्थी ने नहीं की । लेकिन इस विभाग द्वारा जांच बदनोर कराने को २५–८–५६ को लिखा गया था ।

श्री जयसिंह राणावत : आवेदन–पत्र में आवेदन–कर्त्ता ने जांच में खुद को शरीक करने के लिए मांग की है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आवेदन-प्रार्थी ने अपने आपको शरीक करने की मांग नहीं की ।

श्री जयसिंह राणावत : इसको प्रमाणित किया जा सकता है और वह कागज हैं, इतनी देर उसमें क्यों लगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने जो बात कही है और वह गलत है तो मैं इसकी तहकीकात करा लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

कृषक सहकारी खेती संस्थाओं के पंजीयन एवं कार्य-संचालन हेतु नियम एवं उप-नियम

७२०. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Co-operative Minister be pleased to state :—

1. Has the State Government framed rules and Bye-laws for the registration and working of Tenant Co-operative Farming Societies ?

2. What arrangements the Government has made for advancing financial assistance to these societies for land reclamation and for effecting permanent improvements in the land ?

3. Has the State Government received any copy of the Report of the working group of the Planning Commission on Co-operative Farming, headed by Shri Nijalingappa ? And if so, what are the main recommendations of the working group ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) टिनेन्ट सहकारी कृषि समितियों के रजिस्ट्रेशन रूल नहीं होते । विभाग ने बाईलॉज़ अवश्य बनाये हैं ।

(२) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गई है जिसकी सिफारिश प्राप्त होने पर सरकार समुचित प्रबन्ध करेगी ।

(३) जी हां, प्रमुख सिफारिशों की तालिका सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : क्या जो बाईलॉज़ आपने बनाये हैं उनमें जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार ५ साल बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के सदस्यों के उसमें अलग होने की छूट रखी है ?

Page No.10

श्री नाथूराम मिर्धा : वे बाईलॉज़ मैंने डिटेल्स में देखे नहीं हैं।

श्री पी० के० चौधरी : लेकिन it is a pertinent question. आज सिफारिश आपके सामने है। You provide a copy of the Bye-laws to us.

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो आप ले लीजिए, वह अवेलेबल है। it is an open thing. कोई भी उसको देख सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : यह सही है कि बाईलॉज़ में ५ साल बाद मेम्बर्स को अलग होने की छुट्टी नहीं दी है?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि मैंने डिटेल्स में देखा नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने क्वेश्चन के पार्ट २ में कहा कि विचाराधीन है रीक्लेमेशन और फण्ड वगैरह का, तो यह कब तक विचाराधीन रहेगा और कब तक आप फाइनेलाइज़ करेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक समय नहीं बता सकता पर फिर भी जल्दी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

सिरोही राजकीय अस्पताल में १४ बैड्स के वार्ड का निर्माण

७३१. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Medical and Health Minister be pleased to state :—

Whether the Government contemplates to construct fourteen bedded ward in the Government Hospital at Sirohi before the expiry of the Second Five Year Plan as assured? If so, what is the progress made in this direction so far?

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : Yes. The proposal for construction of the ward in the Government Hospital, Sirohi is being included in the Building Programme of this Department for the next year; 1960-61.

श्री उपाध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

• खारची तहसील में ग्राम जोगड़ावास के पास के जोड़ को काश्त हेतु देना

७३२. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) खारची तहसील में ग्राम जोगड़ावास के पास वन विभाग के अन्तर्गत जोड़ कितने बीघों का है और उसकी वन विभाग को सालाना कितनी आय होती है? पिछले पांच साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या वहां की जनता ने उस जोड़ को काश्त करने के लिए वन विभाग से मांग की है? यदि हां, तो कब और उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई—वन मंत्री की ओर से) : (१) एक जोड़ ६२६ बीघा का है। पिछले पांच साल में निम्नानुसार आय हुई:—

१९५५-५६	२,००१ रु०

Page No.11

(श्री भीखाभाई)

१९५६-५७	२,०५१ रु०
१९५७-५८	१,९४६ रु०
१९५८-५९	२,००१ रु०
१९५९-६०	२,२०० रु०
	(२९-२-६०) तक

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री बेनाराम गहलोत : ऐसी कोई दर्ख्वास्त आपके पास नहीं आई क्या ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं, दर्ख्वास्त नहीं आई है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

सिरोही में पृथक परियोजना खोला

७३३. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Irrigation Minister be plesed to state :—

Whether the Government contemplates to create a separate project division at Sirohi in view of the heavy irrigation programme being executed in Sirohi District ? If so, from when ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : सिरोही क्षेत्र के वर्तमान कार्य-भार को देखते हुए अलग परियोजना विभाग का खोला जाना फिलहाल उचित नहीं समझा जाता है।

श्री मोहब्बतसिंह : यह अलग विभाग का खोला जाना कब उचित समझा जायेगा और थर्ड फाइव इयर के फर्स्ट इयर में खोल दिया जायेगा ?

श्री दौलतराम सारण : ज्यों ज्यों कार्य भार बढ़ता जायेगा और आवश्यक होगा तब खोल दिया जायेगा।

श्री मोहब्बतसिंह : आज के प्रोग्राम्स को देखते हुए ऐसा नहीं समझते कि जो स्कीम है उसको आगे खोला जाये ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा कि जब आवश्यक होगा तब खोल दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या ७३४

कृषि विभाग की बकाया

६३४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** [जौहरी बाजार, जयपुर–श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) द्वारा गया] :

Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

1. What were the amount of total outstandings of the Agriculture Department as on 31-12-59 ? Please place the copy on the Table of the House Districtwise and year wise.

2. Since when these arrears are due ?

3. Is it a fact that the Department was not in a position to supply

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

the figures of outstandings to the committee appointed by the Governmeat for examining cases of outstandings and advising "Write off"?

मंत्री, पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिये इसके स्थगन के लिए आपसे निवेदन किया गया है कि इसको स्थगित किया जावे ।

श्री भैरोंसिंह : कब तक ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें टाइम लगेगा करीब १ महीना ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

ग्राम पंचायतों के पंचों एवं सरपंचों के विरुद्ध विचाराधीन चुनाव याचिकाएं

७३५. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान के विभिन्न जिलों में किन किन ग्राम पंचायतों के पंचों एवं सरपंचों के विरुद्ध चुनाव याचिकाएं कितने समय से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या इन चुनाव याचिकाओं के निर्णय हेतु सरकार द्वारा समय निर्धारित नहीं है ?

(ग) क्या सरकार शीघ्र निर्णय कराने हेतु चुनाव याचिकाओं के निर्णय का समय निर्धारित करने का विचार रखती है ?

(घ) चुनाव याचिकाओं का निर्णय छः माह से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी न होने के क्या कारण हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सूची संलग्न है।

(ख) समय नियमों में निर्धारित नहीं है। लेकिन विभागीय परिपत्र में नियत किया जा चुका है ।

(ग) यह विचाराधीन है।

(घ) पक्ष विपक्ष की ओर से समय पर साक्षी आदि न होने से देरी वाकइ होती है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री शंकरलाल : यह विभागीय परिपत्र का कितना समय निर्धारित किया गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जल्दी का है। देरी नहीं होनी चाहिए।

श्री शंकरलाल : आपने कहा कि निर्धारित किया जा चुका है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ३ महीने का है ।

श्री शंकरलाल : तो क्या यह सही है कि जैसी सूची मिली है, झालावाड़ के अन्दर सूगा पंचायत की चुनाव याचिका ३०-७-५२ यानी ७॥ साल से पेंडिंग है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने लिस्ट दे दी है जो पेंडिंग हैं ।

श्री शंकरलाल : एक तरफ तो ३

Page No.13

(श्री शंकरलाल)

महीने का समय निर्धारित है और दूसरी ओर ७।। साल से जो इलेक्शन पिटीशन है वह पड़ी है, इसका क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कारण कुछ भी हो, ठीक नहीं हुआ, अब ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री शंकरलाल : एक प्रश्न और है।

प्रश्न संख्या ७३६

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री नारायणसिंह मसूदा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७३७

श्री भोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

जंगलात की समस्याओं के अध्ययन हेतु नियुक्त कमेटी

७३८. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जंगलात की समस्याओं का अध्ययन करने व उनका हल ढूंढने हेतु एक कमेटी की नियुक्ति गई थी ? यदि हां, तो कब और उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उस कमेटी द्वारा विधान सभा के सदस्यों से भी लिखित में सुझाव मांगे गये थे ? यदि हां, तो जो सुझाव प्राप्त हुए उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या कमेटी द्वारा सरकार को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है ? यदि हां, तो कमेटी की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

(४) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक सरकार को प्रेषित कर दी जायेगी ?

(५) क्या कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित भी की जायेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई-वन मंत्री की ओर से) : (१) जी हां, इस कमेटी का निर्माण १ जून, सन् १९५८ को हुआ था जिसके सदस्य निम्न प्रकार हैं :—

१. श्री श्यामलालजी, चेयरमैन; राजस्व मण्डल-अध्यक्ष

२. राजस्व सचिव

३. कमिश्नर, कोटा

४. चीफ कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स

५. श्री बी० सी० मुकर्जी सेटलमेन्ट कमिश्नर।

६. श्री मोहन मुकर्जी, ज़िलाधीश, अजमेर

७. श्री नन्दन भार्गव, कन्ज़रवेटर फोरेस्ट्स।

(२) जी हां, सुझाव मांगे गये थे और

Page No.14

(श्री भीखाभाई)

उन पर नियमानुसार कमेटी ने विचार भी किया है।

(३) जी हां। कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) कमेटी की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लेने के बाद ही इस विषय में निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री शंकरलाल : यह निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री भीखाभाई : आज–कल में निर्णय लिया जा रहा है। सरकार जब निर्णय ले लेगी उसके बाद में उस पर निर्णय लिया जायेगा कि कब प्रकाशित करना है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को कब प्राप्त हुई थी ?

श्री भीखाभाई : लगभग ४–५ महीना हुआ होगा।

प्रश्न संख्या ७३६

श्री उपाध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा।

ग्राम पंचायत बागली, तहसील पीपल्दा (कोटा) के बजट को पास करने में देरी

७४०. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा–सु०) : क्या पंचायत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बागली, तहसील पीपल्दा (कोटा) का सन् १६५६ व १६६० का बजट अब तक पंचायत विभाग से पास होकर नहीं गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सही है कि तब से अब तक सरपंच, ग्राम पंचायत बागली ने काफी लिखा पढ़ी की ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ७४१

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

राजस्थान विश्वविद्यालय में आयुर्वेद फैकल्टी की स्थापना

७४२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय में आयुर्वेद फैकल्टी की स्थापना करने का विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक ? और अगर नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : इस पर फाइनल डिसीज़न कब तक हो जायेगा ?

श्री भीखाभाई : जब आप जोर देंगे।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : जोर आपके ऊपर दूं या हाउस पर ?

(हंसी)

श्री भीखाभाई : विश्वविद्यालय पर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री एन० एल० जोशी।

सूरजगढ़ नगरपालिका की सीमा में सम्मिलित की गई जीवन मंडी सूरजगढ़ से सम्बन्धित आज्ञा को गजट में छपवाने में देरी

७४३. **श्री नरोत्तमलाल जोशी** (झुंझुनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सूरजगढ़ नगर पालिका की सीमा में जीवन मंडी सूरजगढ़, ज़िला झुंझुनूं को सम्मिलित किये जाने की आज्ञा दिनांक २२जनवरी,१९६० को राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित कर दी गई ? यदि हां, तो क्या उक्त आज्ञा की सूचना कलेक्टर झुंझुनूं व अध्यक्ष, नगरपालिका सूरजगढ़ को ज़रिये पत्र संख्या D 400/F I (a) (7) L. S. G./of 56, Dated 1-2-60 दे दी गई ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त आज्ञा को राजस्थान राजपत्र में प्रसारित करने के लिए भेज दिया गया था जो बाद में मौखिक आज्ञा द्वारा दिया गया ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि उक्त नगरपालिका के हरिजन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पिछले ११ मास से वेतन नहीं मिला है तथा इस मंडी के सम्मिलित होने से ही उक्त बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकेगी और हरिजन कर्मचारियों को तनख्वाह प्राप्त हो सकेगी ?

(४) क्या सरकार अविलम्ब इस आज्ञा को गज़ट में प्रसारित करवा कर चुंगी वसूल करवाने की व्यवस्था करेगी ?

(५) उक्त आज्ञा को गजट में छपवाने के रोके जाने की क्या वजह है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई-स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) यह आज्ञा राजस्थान राजपत्र में दिनांक २६ मार्च, १९६० को प्रकाशित कर दी गई है।

(५) कुछ कानूनी मुद्दों पर और विचार करना जरूरी था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

भारत सेवक समाज द्वारा उदयपुर डिविज़न में किये गये कार्य

७४४. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगु-

(श्री लक्ष्मण हीरात)

न्दा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भारत सेवक समाज द्वारा उदयपुर डिविज़न में सन् १६५८–५६ में किन किन स्थानों की सर्वे हुई ?

(२) उपरोक्त संस्था द्वारा कितने व क्या क्या कार्य करवाये गये ? मय स्वीकृत रकम के लिस्ट सदन की मेज़ पर रखें। गांव वालों से श्रमदान किस हिसाब से लिया गया ?

(३) उपरोक्त समय में इन्जीनियरों के वेतन एवं टी० ए०, डी० ए० में कितनी रकम खर्च हुई ?

उप-मन्त्री वित्त कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) सूची (अ) सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) सूचि (ब) सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(३) कुल खर्चा १२,६५.४३ हुआ जिसकी सूची (स) सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

प्रश्न संख्या ७४५

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत।

पाली जिले के पुराने कस्टम्स एवं एक्साइज विभाग के मकान

७५६. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या आबकारी तथा कर मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

पाली ज़िले में पुराने कस्टम्स एवं एक्साइज़ विभाग के मकान कहां कहां पर हैं व अभी किस विभाग के अन्तर्गत किन किन के कब्जे में हैं ? तालिका सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

आबकारी तथा कर मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : कस्टम ड्युटी समाप्त होने के पहले पाली ज़िले में ६१ इमारतें इस विभाग के अधिकार में थीं। उनके स्थान व जिस विभाग के अधिकार में वे अब हैं सूची में दिये गये हैं जो सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : इस लिस्ट में आपने बताया कि काफी मकान बेमरम्मत पड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह मकान कलेक्टर के अधीन कर दिये गये हैं और वही इनकी मरम्मत कराता है या डिस्पोज़ ऑफ करता है।

श्री बेनाराम गहलोत : काफी मकान ऐसे हैं कि जो गिर गये हैं और जो कच्चे थे और जिन पर चद्दरें चढ़ी हुई थीं वे लोग उठाकर ले जा रहे हैं, ऐसी हालत है उन मकानों की।

Page No.17

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने कहा कि आबकारी विभाग से इसका ताल्लुक नहीं रहा है और जब से यह कस्टम खत्म हो गया तब से ये मकान कलेक्टर के हवाले कर दिये गये हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : वह मकान सब खराब हो जायेंगे, इसके बाद क्या होगा उनका ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका इन्तजाम कलेक्टर करता है और यह राजस्व मन्त्री से पूछने का सवाल है।

श्री बेनाराम गहलोत : कलेक्टर ने कोई उपाय किया क्या कि कैसे रक्षा हो सकती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने कहा कि कस्टम विभाग से कोई ताल्लुक नहीं रहा है।

प्रश्न संख्या ७४७

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

रावाश्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

कृषि मंत्री द्वारा लिखित वक्तव्य की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के सम्मुख एक प्रार्थना-पत्र करीब एक सप्ताह पूर्व प्रस्तुत हुआ था जिसमें माननीय श्री नाथूरामजी मिर्धा द्वारा तारीख १६-३-६० को प्रश्नोत्तर काल में अशिष्ट व्यवहार किये जाने की शिकायत थी; इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय अपना स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, तारीख १६ मार्च, १९६० को एक सवाल ४०३ नम्बर का था। उसके बारे में जवाब देते वक्त भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछा था। उस वक्त कुछ आपस में गर्मागर्म बात होने से जो कुछ बात हुई हो मैं उसके लिये खेद प्रकट करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, "जो कुछ बात हुई हो" के क्या माने ?

श्री उपाध्यक्ष : The copy of the statement that is with me, "I am sorry for the incident..."

श्री श्रीभानसिंह : No, but it is not the Chair who has to read the statement, the Hon'ble Minister has to read the statement.

श्री उपाध्यक्ष : जो मेरे पास है वही पढ़ा गया है। वह अंग्रेजी में है उसका अनुवाद हिन्दी में किया गया है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जो आपके पास है उसका हिन्दी में अनुवाद करके आपके सामने रखा है। जो कुछ हुआ उसके प्रति खेद प्रकट होने के बाद यह चेप्टर क्लोज़ हो जाना उपयुक्त है और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस चेप्टर को यहीं क्लोज़ कर दिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी में अनुवाद ठीक नहीं हुआ है। जो कॉपी इंगलिश में सप्लाई की गई वही पढ़ दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : It may be read over.

श्री नाथूराम मिर्धा : "I am sorry for the incident which occured on the 16th March, 1960, while replying to the question No. 463."

स्थगन–प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : What about my adjournment motion, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : We have ascertained the facts. I have just received it today.

श्री भैरोंसिंह : टाइम लगेगा, बड़ा इम्पोर्टेन्ट मैटर था।

श्री उपाध्यक्ष : Without ascertaining it how can I take a decision over it ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्रीजी को मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी दिया गया है।

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन स्तरों में असमानता के कारणों की जांच हेतु एक वेतन आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व मैं निवेदन करूंगा कि पहले प्रस्ताव में ३ घंटे लगेंगे और दूसरे पर २ घंटे लगेंगे। इस तरह से एलोकेशन ऑफ टाइम होगा।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसका मतलब यह है कि २।। बजे तक रिप्लाई समाप्त हो जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : इसके लिये २।। घंटों का समय दिया था, उसमें से १।। घंटे ही मिलेंगे ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संकल्प इस प्रकार है : "इस सदन की सम्मति है कि सरकार बढ़ती हुई मंहगाई एवं केन्द्रीय सरकार तथा राज्य के कर्मचारियों के वेतन स्तरों में

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

असमानता के कारण व्याप्त असन्तोष को देखते हुए तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के राजकीय कर्मचारियों के लिए वेतन व अन्य भत्ते आदि की मांगों के विषय में एक वेतन आयोग की नियुक्ति करे जो अपना प्रतिवेदन ६ माह के भीतर भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करे और अंतरिम काल में वेतन का २५ प्रतिशत अंतरिम सहायता के रूप में प्रदान किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में राज्य सरकार की जो व्यवस्था है उसमें जो हमारा बजट है और बजट में जिस प्रकार का खर्चा होता है उस खर्चे में हमारे ये कर्मचारी मुख्य अंग हैं। इस संबंध में कर्मचारियों ने भिन्न भिन्न समय पर राज्य सरकार को स्मरण-पत्र दिये हैं और सदन में भी इनके सम्बन्ध में, बजट के समय भी और राज्यपाल महोदय के भाषण के समय भी, माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार का उत्तर आता है कि हम बजट का बहुत बड़ा भाग कर्मचारियों पर खर्च कर रहे हैं और इनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है जिसके कारण हम और अधिक नहीं दे सकते।

प्रारम्भ में जो राज्य का ढांचा था उसमें किस प्रकार से कर्मचारी बढ़े हैं और किस प्रकार से उनका वेतन बढ़ा है, इस पर दृष्टिपात करें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जायगी। यदि हम सन् ५१-५२ की स्थिति देखें तो उस समय अधिकारियों की संख्या २,०३५ थी और मिनिस्टीरियल स्टाफ की संख्या ७६,४३० थी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या २८,६५४ थी। ५१-५२ के बाद प्रगति हुई और यह देखना है कि किस प्रकार से प्रगति हुई? ५६-५७ में अधिकारियों की संख्या ४,०८६ हुई, मिनिस्टीरियल स्टाफ की संख्या ६७,२४५ हुई और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या २६,३६६ हुई। इसके बाद ५७-५८ में जो बड़े अधिकारी हैं उनकी संख्या ४,६५४ हो गई, मिनिस्टीरियल स्टाफ की संख्या १,१३,०१६ हुई और चतुर्थ श्रेणी की संख्या ३६,०६० थी। इसी प्रकार से ५८-५६ में अधिकारियों की संख्या ६,४२४ हुई और मिनिस्टीरियल स्टाफ की संख्या १,२६,०८२ हुई और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या ४०,७४६ हुई। यह जो वृद्धि दिखाई दे रही है जिसके लिये कहा जाता है कि संख्या बढ़ रही है इसको यदि ध्यानपूर्वक देखें तो यह दिखाई देगा कि जो बड़े अधिकारी हैं उनमें ३०० पर्सेन्ट की वृद्धि हुई है और मिनिस्टीरियल स्टाफ में १५८ प्रतिशत की वृद्धि हुई और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में १४२ प्रतिशत वृद्धि हुई है। ये जो वृद्धि के आंकड़े हैं उनसे पता चलता है कि बड़े अधिकारियों की वृद्धि अधिक हुई है और छोटे लोगों की वृद्धि कम हुई है। यदि हम सारे आंकड़ों को देखें तो ११.१२.५६ को कर्मचारियों की स्थिति इस प्रकार थी, वेतन के आधार पर :

१ रु. से ३६ रु. तक वेतन पाने वालों की संख्या १६५७ में ६३,००० थी और अब वह संख्या बढ़ कर ६८,००० हो गई है।

४० रु. से ५६ रु. तक पाने वालों की

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

संख्या ३३,००० थी जो अब ४३,००० हो गई है।

६० रु. से ६६ रु. तक पाने वालों की संख्या २४,००० से बढ़ कर ३५,००० हो गई है।

१०० रु. से १६६ रु. तक पाने वालों की संख्या १२,००० थी और अब २०,००० हो गई है।

२०० रु. से ४६६ रु. तक पाने वालों की संख्या ४,००० थी और अब ६,००० हो गई है।

५०० रु. से ६६० रु. तक पाने वालों की संख्या पहले ५०० थी और अब १,५०० हुई है।

७०० रु. से १,००० तक पाने वालों की संख्या पहले १५० थी और अब उनकी संख्या ३०० तक पहुँची है।

इस प्रकार ये जो इन्क्रीमेन्ट हुए हैं वे इन राज्य कर्मचारियों की संख्या में हुए हैं। अब हमें यह देखना है कि वेतन मे किस प्रकार से वृद्धि हुई है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ५०० से १००० तक वेतन वृद्धि किस ग्रेड में हुई है, यह जरा स्पष्ट कर सकें तो उपयुक्त रहेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने संख्या में वृद्धि बताई है ५०० से ६८० तक पाने वालों की संख्या पहले ५०० थी अब १,५०० तक पहुँच गई है। अब इनके जो पे स्केल्स बढ़े हैं, जब से राजस्थान का एकीकरण हुआ है, उसके बाद किस प्रकार से स्केल्स बढ़े हैं, किस किस श्रेणी में, मैं वह अर्ज करता हूँ। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों में चपरासी, माली, स्वीपर वगैरह आते हैं। इनकी ग्रेड मर्जर के पहले अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की थी। मर्जर के पहले २५.१.३० की ग्रेड थी, यूनिफाइड ग्रेड २५.१.३० रखी और रेशनलाइज्ड ग्रेड २५.१.४५ हुई, यानि जो उनका मिनिमम था उसमें कोई प्रगति नहीं हुई, जो मेग्ज़िमम था २५.१.३० की ग्रेड में उसको ३० के बजाय ४५ कर दिया, जब कि बहुत से कर्मचारी ३५–४० रु० तक पहुंच चुके थे। उसके बाद जमादार, दफ्तरी की ग्रेड राजस्थान बनने के पहले कहीं, ३०.१.४० थी, कहीं २५.२.३१–३–४० थी, कहीं २७.१.३४ की ग्रेड थी। इनमें से कुछ ग्रेड बढ़ी हैं, यूनिफाइड पे स्केल आपने ३०.१.३५ किया, और रेशनलाइज्ड पे स्केल आपने ३०.१.५५ कर दिया। इसमें भी मिनिमम में कोई प्रगति न होकर मेग्ज़िमम में प्रगति की है। इसी प्रकार से पटवारी आते हैं, उनकी राजस्थान का एकीकरण होने के पहले २०.१.४० की ग्रेड थी। यूनिफाइड पे स्केल आपने ४०.१.५५ का किया और रेशनलाइज्ड पे स्केल आपने ४०.१.५० ई० बी० २.६० का किया। रेशनलाइज्ड पे स्केल जो हुआ यूनिफाइड पे स्केल के बाद, उससे उनके मिनिमम में कोई लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार इन्सपेक्टर आॅफ लैंड रेवेन्यू, असिस्टेन्ट सदर कानूनगो, आॅफ़िस कानूनगो का जो पहले ग्रेड था वह ४०.२.६० और ६०.४.८०–५–१५० था, ये दो ग्रेड भिन्न भिन्न यूनिटों में थीं, यूनि-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

फाइड पे स्केल आपने ५०.२.६० ४-१००-५-१२५ का किया और उसके बाद रेशनलाइज्ड पे स्केल आपने ६०.४.८०-५-१२५-७।।-१४० का किया, यानि कई यूनिट्स के अन्दर मेग्ज़िमम अधिक था और मिनिमम बराबर था, कुछ यूनिट्स में जो ६०.४ ८०-५-१५० का ग्रेड था उस ग्रेड के अनुसार उनको मेग्ज़िमम में लाभ नहीं हुआ और मिनिमम में बराबर रहे। इसी प्रकार जो लोअर डिवीज़न क्लर्क थे उनको भिन्न भिन्न राज्यों के अन्दर भिन्न भिन्न प्रकार की तनख्वाह मिलती थी। कहीं ८०-१०० की ग्रेड थी, कहीं ६० से १३० की ग्रेड थी, कहीं ५० से १३० की ग्रेड थी, कहीं ४० से १०० की ग्रेड थी, कहीं ५५ से ७५ की ग्रेड थी और कहीं ३० से ४० की ग्रेड थी। जब रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स हुआ तो इनकी ग्रेड ६०.४.८०-५-१००-५-१३० कर दी गई। यदि हम पुरानी यूनिट्स को देखें तो मालूम होगा कि कुछ को तो लाभ मिला है, और कुछ पुराने स्केल्स के माफ़िक ही यह स्केल रह गया है। इसी प्रकार जो यू. डी. सी. हैं उनकी भी पुरानी ग्रेड्स के अन्दर अन्तर था। कहीं १२० से १८० की ग्रेड थी, कहीं १०० से २०० की ग्रेड थी, कहीं ६० से १३० की ग्रेड थी, कहीं ८० से १५० की ग्रेड थी, कहीं १०० से १२५ की ग्रेड थी, कहीं ७२ से १२० की ग्रेड थी, कहीं ६० से १५० की ग्रेड थी, कहीं ६५ से १०५ की ग्रेड थी। यूनिफाइड पे स्केल इनके लिए ७५ से १६० की रखी गई और उसके बाद रेशनलाइज्ड पे स्केल इनकी ८०. ५. १२०-८-१६०-१०-२०० की हुई। इसमें देखते हैं कि कई प्रिमर्जर की जो पे स्केल्स थीं उन पे स्केल्स में कमी आई है। उदाहरण के तौर पर जहां १२० से १८० की ग्रेड थी उससे इसको कम्पेअर करें तो यू. डी. सी. की पे स्केल में कमी दिखाई देती है।

इसके बाद में अध्यापकों के लिए निवेदन करूं, अध्यापकों में जो नॉन मैट्रिक अनट्रेन्ड होते थे, प्रि-मर्जर के समय उनकी ग्रेड ४०. ३।२. ५५. की थी और ट्रेन्ड की ग्रेड ४०. ६० की थी, उसके बजाय आपने रेशनलाइज्ड पे स्केल में सबको ४० रुपये पर फिक्स कर दिया। इसी प्रकार मैट्रिक अनट्रेन्ड टीचर्स हैं, उनकी राजस्थान के एकीकरण के पहले ४० से ६० की ग्रेड थी उसको यूनिफ़ाइड पे स्केल में ५० से ७० किया और रेशनलाइज्ड पे स्केल में ५०. ४. ७०-५-८० की ग्रेड कर दी। इसी प्रकार मैट्रिक ट्रेन्ड टीचर्स की ग्रेड ६०-१२०. की थी, यूनिफाइड पे स्केल ५०-१००, १००-२०० की ग्रेड की और रेशनलाइज्ड पे स्केल में ६०. ४. ८०-५-१००-५-१३० की ग्रेड की यानि मेग्ज़िमम में फर्क पड़ा है, मिनिमम में फर्क नहीं पड़ा है। जो इन्टर अनट्रेन्ड टीचर्स थे, वे एकीकरण के पहले ६०-१२० की ग्रेड में थे, यूनिफाइड पे स्केल्स में ७०-६० की ग्रेड हुई और रेशनलाइज्ड पे स्केल में ७०. ४. ८०-५-१०० की ग्रेड हुई। इनको भी मेग्ज़िमम में लाभ नहीं हुआ। जो इन्टर ट्रेन्ड टीचर्स हैं उनकी एकीकरण के पहले ८०. ११० की ग्रेड थी, वह यूनिफ़ाइड पे स्केल्स में ७०. १२५ की ग्रेड हुई और रेशनलाइज्ड पे स्केल्स में ७०. ४. ६०-५-१४० की ग्रेड हुई। इनको भी मिनिमम में नुकसान हुआ। इसी प्रकार जो ग्रेजुएट अनट्रेन्ड टीचर्स हैं उनकी एकीकरण के पहले ८०. १६०. की ग्रेड थी, वह यूनिफाइड पे स्केल्स में ६०. १२० की ग्रेड हुई और रेशनलाइज्ड पे स्केल्स में ६०.५. १४०

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)
की ग्रेड हुई। जो ग्रेजुएट ट्रेन्ड टीचर्स हैं, उनकी यूनिफाइड पे स्केल्स में १००. २०० की ग्रेड की गई और रेशनेलाइज्ड पे स्केल्स में ११०. ५. १३५–१०–२२५ की ग्रेड हुई।

इसी प्रकार जो कॉन्सटेबल हैं उनका स्केल यूनिफाइड पे स्केल्स के समय ३०. १. ४५ था, वह रेशनेलाइज्ड पे स्केल्स में ४०. १. ५० का कर दिया गया, इसमें भी मेक्ज़िमम में अन्तर हुआ। जो हैड कान्स्टेबल है, उसकी ग्रेड़ यूनिफाइड पे स्केल्स में ४०. १. ५० थी, वह रेशनलाइज्ड पे स्केल में ४०. १. ४५–२–५५ की हुई।

इसी प्रकार जो कम्पाउन्डर्स हैं, इनकी जो ग्रेड्स हैं वे चार हैं फर्स्ट ग्रेड सैकिंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड इनको देखें तो फर्स्ट ग्रेड में मेग्ज़िमम बढ़ा है, उनके मिनिमम में लाभ नहीं हुआ। सेकिंड ग्रेड़ वालों को मेग्ज़िमम में लाभ हुआ है, थर्ड ग्रेड वालों को मिनिमम में लाभ नही रहा और फोर्थ ग्रेड वालों को मेग्ज़िमम में लाभ हुआ है।

तो ये जो मिनिस्टीरियल, थर्ड और फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं उनकी किस प्रकार प्रगति हुई है, उसके साधारण आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। यदि इनका मुकाबला राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों से किया जाय और उनके वेतन स्तर को देखें तो ज्ञात होगा कि उनकी किसी प्रकार से प्रगति नहीं हुई है और यह अनुभव होगा कि सरकार ने किस वर्ग की प्रगति की है और किस वर्ग की नहीं की है। प्री मर्जर के सेक्रेटरी को देखें तो विभिन्न यूनिटों में ३५०. ६००. ५००. ६००, ६५०. ८५० और ६००. ७०० की ग्रेडस थीं। यूनिफ़ाइड पे स्केल्स में ५०० से १,२०० तक की ग्रेड इनको मिली और २०० रुपये की स्पेशल पे दी गई। रिवाइज्ड पे स्केल में जूनियर आइ. ए. एस. की ८००. १८०० की बनी और सीनियर आई. ए. एस. की ग्रेड १,८००. २,२५० की की गई और स्पेशल पे २५० कर दी गई। इसको एकदम इतना बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से डिप्टी सेक्रेटरी की प्री मर्जर के टाइम में ३००. ७०० और ४००. ५५० की ग्रेड थी, यूनिफाइड पे स्केल्स में यह ग्रेड ५००. ७०० की हुई और स्पेशल पे १०० रुपये की गई। इसके बाद रिवाइज्ड पे स्केल्स में आई. ए. एस. को ८००. १,८०० की ग्रेड मिली और आर. ए एस. को ५००. ६०० की ग्रेड मिली, इसके साथ स्पेशल पे १५० रुपये की गई।

इनकी पे स्केल करीब करीब डबल हो जाती है। जो असिस्टेन्ट सेक्रेटरी हैं, विभिन्न यूनिट्स में ३००–४५०, २७५–४५०, २६०–५५०, २६०–५५०, २५०–४००, २२०–५०० की ग्रेड्स थीं प्री मर्जर टाइम में। इनकी यूनिफाइड पे स्केल २२५–५०० की की गई और ५० रुपये स्पेशल पे रखी गई और रिवाइज्ड पे स्केल में आर. ए. एस, आर. जे. एस., आर. अकाउन्ट्स. एस., आर. एस. एस. के लिए २५०. २५. ५००-२५–७५० की ग्रेड रखी गई और स्पेशल पे ७५रु० रखी गई। इनको मेग्ज़िमम में लाभ हुआ, कुछ को मिनिमम में भी लाभ हुआ। जिनको ३००. ४५० की ग्रेड मिलती थी उनको नुकसान हुआ है, लेकिन मेग्ज़िमम में लाभ हुआ है। इसी प्रकार से कमिश्नर की ग्रेड पहले ५००–६०० और ५८०–१,००० की थी, वह यूनिफ़ाइड पे स्केल्स में ८००. १,२०० हुई स्पेशल पे २०० रुपये दी गई और रेशनलाइज्ड पे स्केल्स में १०००–१,५०० और १,८००–२,२५० की ग्रेड की गई और स्पेशल पे बढ़ा कर २५०-

Page No.23

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

८० कर दी गई। कलेक्टर्स की प्री मर्जर के टाइम में जो ६५०–८५०, ६००–७००, ४००–६००, ३५०–६००, और ३००–७०० की ग्रेड्स थीं वे यूनिफाइड पे स्केल्स में ५००–७०० की की गई और स्पेशल पे १०० रुपये रखी गई और रिवाइज्ड पे स्केल्स में आई. ए. एस. के लिए ८००–१,८०० व आर. ए. एस. के लिए ५००–६०० की ग्रेड की गई। हैड्स ऑफ़ डिपार्टमेंट्स जो ५००–६०० की ग्रेड में थे, उनकी ग्रेड यूनिफाइड पे स्केल्स में ५००–७०० और ८०० –१,२०० की गई और रिवाइज्ड में आई. ए. एस. सीनियर के लिए १,८००–२,२५० की ग्रेड, आइ. ए. एस. जूनियर के लिए ८००–१८०० की ग्रेड, और आर. ए. एस. १,०००–१,५०० की ग्रेड रखी गई।
इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज के पे स्केल्स प्री मर्जर टाइम में ६५०–८५०, ६५०–७०० ५००–७००, ३५०–६०० और ३००–७०० थे। इनको रिवाइज्ड पे स्केल्स के रूप में देखते हैं. ८००–५०–१,०००–६०–१,३०० –५०–१,८०० की ग्रेड है। इनको इन्क्रीमेंट मिला है। अगर दोनों श्रेणियों की प्रगति को देखें, मिनिस्टीरियल और बड़े बड़े अधिकारियों के पे स्केल्स देखें तो लगभग डबल मिला है। उनमें से कुछ को मेग्ज़िमम में लाभ मिला है, कुछ को मिनिमम में नुकसान हुआ है, कुछ को मिनिमम में लाभ हुआ है। दोनों में कितना बड़ा अन्तर है। अगर आप नॉन गजटेड और गटेजड, इन दोनों को श्रेणीबद्ध करके देखें तो जहां क्लास फोर के कर्मचारी को आप २५. १. ४० की ग्रेड देते हैं वहां सीनियर आई. ए. एस. को २,२५० रुपये की ग्रेड देते हैं। यह अन्तर की सीमा है, कितना बड़ा अन्तर हमारी राज्य सरकार ने रख रखा है। इसके साथ ही इन बड़े बड़े अधिकारियों को स्पेशल पे भी मिलती है। जहां छोटे कर्मचारियों को २५ रुपये अलाउन्स के मिलते हैं वहां स्पेशल पे उनको २५० रुपये दी जाती है! तो यह जो बड़ा अन्तर राज्य के छोटे कर्मचारियों और बड़े बड़े कर्मचारियों में है, जो आज दोनों में अन्तर देखते हैं, इसके कारण कर्मचारियों में बहुत असंतोष है। यों तो इन सर्विसेज़ में किसी को कितना बड़ा काम है, इस आधार पर दिया जाय। और समाजवादी समाज रचना में वेतन क्रम में कितना अन्तर रखा जाय, यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है।

इसके अलावा केन्द्रीय वेतन स्तर की ओर और अन्य राज्यों के वेतन स्तरों की ओर भी ध्यान रखा जाय। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी यहां वही काम करते हैं जो यहां वाले यहां करते हैं फिर उनके वेतन क्रम में इतना अन्तर क्यों? आज एक कर्मचारी की मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं पांच आदमियों के एक परिवार की. वह मैं आपको यहां बता रहा हूं और उनके वेतन में जो अन्तर है वह भी मैं निवेदन कर रहा हूं।

केन्द्रीय सरकार के अन्दर जो स्केल है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, वह है ३०) ॥) ३५) यह पे स्केल है, डीयरनैस अलान्उस मिलीकर मिनिमम मिलता है वह है ७५)। इसी प्रकार से देखें आन्ध, में तो वहां ५६) है, आसाम में ६६), बिहार में ५०), बम्बई में ७०), जम्मू और काश्मीर में ३३), केरल में ६७), मध्य प्रदेश में ५१), मद्रास में ५३),

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मैसूर में ५०), उड़ीसा में ४५), पंजाब में ६०, राजस्थान में ५०) और बंगाल में ५५) ।

तो इस तरह देखें तो राजस्थान का नम्बर अधिकांश राज्यों से नीचे आता है ।

अब इसके मुकाबले में जहां बड़े कर्मचारी को जो सेन्ट्रल के हैं या यहां के हैं समान वेतन मिलता है, आई० ए० एस० के नौकर का एक सा वेतन स्तर है । तब इनमें अन्तर क्यों रखा जा रहा है, यह समझ में नहीं आता; जब कि काम दोनों का बराबर है ।

अब सवाल यह आता है कि आज की महंगाई की अवस्थाओं को देख कर इनका वेतन स्तर अगर बढ़ाया जावे तो क्या बढ़ाया जावे ? इस पर मैं सरकार के बताये कॉमोडिटीज़ में वृद्धि के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं । मैं समझता हूं कि जिस रफ्तार से इनकी रेट्स में वृद्धि हुई है उस रफ्तार से पे नहीं बढ़ी है ।

फूड आर्टिकल्स की वृद्धि इस प्रकार है :—

५६ में १००. १ परसेन्ट था ।

५७-५८ में १०२.३ हुआ ।

५८-५६ में ११३.२ पर्सेन्ट हुआ, और अब ५६ में १२०.४ पर्सेन्ट तक पहुंच गया । सब के आंकड़े मैंने उठा कर देखे । पर मैं यहां इससे सम्बन्धित को ही पढ़ कर सुनाता हूं । इण्डस्ट्रियल रॉ मैटीरियल, फ्युअल पावर और लुब्रिकेटिंग जिसका भी सम्बन्ध इससे आ जाता है वह भी देखें । ५६ में १०७.५ था वह ५६ में ११६.५ हो गया ।

कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स में आप देखें इसमें अजमेर के आंकड़े दिये हैं ५४ में ८८ पर्सेन्ट और ५६ में १०६ पर्सेन्ट हो गया । इसी प्रकार फूड के बाद जनरल है । इसमें ५४ में ६१ पर्सेन्ट था और ५६ में १०६ पर्सेन्ट हो गया । यह अजमेर की स्थिति है जिसे हम केन्द्र में मान सकते हैं ।

अब यदि हम यह देखें कि एक कर्मचारी को हमें कितना देना चाहिये, उसकी क्या मांग हो सकती है ? या साधारणतया जायज़ रूप में हमारी राजस्थान सरकार ने सीलिंग के मामले में ५ आदमियों के एक परिवार को एक कम से कम इकाई माना है और जायज़ इकाई माना है, जिसमें एक पति-पत्नी और तीन बच्चे हों । तो ऐसे एक परिवार के लिये हम क्या पर्याप्त और जायज़ देना मान सकते हैं, वह हम देखें । इनकी लॉए-बिलिटी हमारे पर है । उनके लिये क्या पर्याप्त हो सकता है? यदि हम इनको देखें तो साधारणतया एक ऐसी फेमिली के लिये मैंने एक बजट बनाया है; इसको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब रखता हूं । सबसे पहले उसको खाद्यान्न की आवश्यकता होती है तो आप मान लीजिये :

गेहूं अन्य अनाज १ मन, बीस सेर २७)
२०) ७)

दाल ७।। सेर घी दूध १० सेर
४) १६।।) ७) २७।।)

मैं शुद्ध घी की बात कर रहा हूं, मशीन के, भैंस के घी की बात नहीं कर रहा हूं ।

तेल ३ सेर सब्जी फलादि मौसमी
५।।।) ५) बीमारी में
३)

Page No.25

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बेर, गाजर, अमरूद, केला, शहतूत, फालसा आदि

मसाले-नमक मिर्च हल्दी
डेढ़ आना १॥) ॥)

धनिया जीरा सौंठ आदि
॥) ॥) १)
४॥)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह हिसाब कैसे लगाया आपने ? लोग ३) का ही फल क्यों खावें ? अधिक क्यों नहीं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह तो मैंने मिनिमम बताया है, कम से कम इतनी जरूरत है, आपके लिहाज से नहीं बताया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप अपने मन से कैसे कर सकते हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : राजस्थान के साधारण औसत मध्यम वर्ग के लोगों की मिनिमम कैपेसिटी की बात मैं कह रहा हूं। आप लोग तो रईस हैं। आपकी क्या बात ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या है ? उनकी नैसेसिटी नहीं है क्या ? वे गरीबी चाहेंगे क्या ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हम तो चाहेंगे कि आप जैसे हो जायं। पर, मैं यहां वह नहीं कह रहा हूं, यहां तो मैं मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं, एक साधारण आम गृहस्थ की बात वह कह रहा हूं।

विविध खाद्य सामग्री चीनी, गुड़
४) १) ५)

ईंधन, रोशनी व पानी
ईंधन मिट्टी का तेल
१०) ।) १०।)

माचिस, चिमनी, लैम्प पानी
।) ३)

कपड़े, चारपाई आदि
२०) २३।)

मकान किराया व मरम्मत आदि
२५)

यात्रा व्यय
८) ३१)

दवाई व डॉक्टर की फीस (नियमों के अन्तर्गत नहीं मिलने वाला); वैद्यों की शिकायत है कि आयुर्वेद की दवाइयों का पैसा नहीं मिलता

तो इसका, धोबी नाई
५) २) १)

हजामत सामग्री पॉलिश भंगी
॥) ॥) ॥) ४॥)

धार्मिक उत्सव, साबुन, कपड़ा
२) २)

धोने व नहाने का तेल
२॥।) ३) ६॥।)

कंघा, शीशा आदि दांत मंजन
॥) ॥)

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

विनोद डाक-व्यय बीमा

१।) ।।) ५) ७।।।)

कर्ज पर ब्याज किश्त कर्जा

३) १०)

विवाह-उपहार जूता

१) ३) १७)

पान सुपारी धर्मार्थ अन्य

३) १) २)

सवारी बाल-शिक्षण,

५) ३) १४)

बच्चों की किताबें, कॉपी, पेन्सिल

वगैरह के लिये, २००)

इस तरह से मेरे हिसाब से यह दो सौ रुपया मासिक का जोड़ आता है। यह एक साधारण आम श्रेणी के गृहस्थ की मिनिमम आवश्यकता है। अब आप मैग्ज़िमम पर जा सकते हैं। पर ये मिनिमम आवश्यकताएं हैं मैग्ज़िमम की तो फिर कोई सीमा नहीं है, आवश्यकताओं का और इच्छाओं का तो अन्त नहीं है। आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो। पर साधारण रूप में देखें तो इस प्रकार का आंकड़ा है एक आम गृहस्थ का और उसकी ये मिनिमम आवश्यकताएं हैं। इसमें वे किस किस मद में क्या क्या कम करना चाहते हैं वे बता सकते हैं, कर सकते हैं।

इसके बाद प्रश्न आता है कि इसके लिये क्या किया जाय ? समय समय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने मांगें अपनी रखी हैं सरकार के सामने और केन्द्रीय सरकार ने भी समय समय पर इसके लिये कमीशन नियुक्त किये हैं। जिन्होंने अपनी रिपोर्टें भी दी है कि वेतन क्रम किस प्रकार होना चाहिये और किस आधार पर बढ़ना चाहिये। तो इसी आधार पर जो हमारे आयोग बैठे हैं उन्होंने जो छोटी छोटी सिफारिशें दी हैं उनका सारांश रूप में, उपाध्यक्ष महोदय मैं यहां जिक्र करूंगा। इसमें कहा गया है कि सरकार की लाएबिलिटी कहां कहां कितनी कितनी है और अगर है तो सरकार को किस रूप में वेतन बढ़ाना चाहिये, यह सबसे बड़ी बात कही गई है। किस मात्रा में किस हद तक सरकार जा सकती है, इसके सम्बन्ध में भी कमीशन ने बहुत कुछ विचार किया।

सबसे पहले जो रॉयल कमीशन बैठा, १९१२ से १९१५ तक कॉन्स्टीट्युट हुआ, उस कमीशन ने रिपोर्ट दी उसके आधार पर, उसने जो प्रिंसिपल रखा वह, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके सामने रखता हूँ : Observations of Royal Commission on Public Services in India. This commission was presided over by Lord Islington.

"The only safe criterion is that the Government should pay so much and so much only to their employees as is necessary to obtain recruits of the right stamp and to maintain them in such a degree of comfort and dignity as will shield them from temptation and keep them efficient for the term of their service. Whilst, therefore, we have noted the rise in prices which has taken place, we have not based on this any general recommendation. Where we have

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

advised changes of salary it has been to meet inequalities of remuneration prejudicial to efficiency, to fulfil expectations reasonably founded on formal announcements made by the Government and to improve recruitment where the existing terms have been shown to be insufficient to obtain a satisfactory personnel."

उस कमीशन ने भी इस बात पर जोर दिया कि इनइक्वेलिटीज़ को दूर करें और इनइक्वेलिटीज़ को दूर करने के साथ साथ डिग्निटी को मेन्टेन किया जाय और दूसरी बात कही है टेम्प्टेशन्स को कम करने के लिये। आज टेम्प्टेशन्स के लिये हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि इनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। इस कमिशन ने सन् १९१२ में यह बात बताई कि इनकी इनइक्वेलिटी है उसको कम किया जाय, प्राइसेज़ बढ़ रही हैं उनको ठीक किया जाय, इनका वेतन बढ़ाना चाहिये। इसके बाद........

श्री उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण समाप्त करेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: इसके बाद १९२३ से १९२४ तक ली कमीशन के नाम से एक कमीशन बैठा। उस कमीशन ने भी जो सिफारिश की है, वह इस प्रकार है: "A great rise in prices has taken place since the scales of pay were fixed on the recommendations of the Islington Commission and that while the Government was not in a position to treat its own employees in as generous a fashion as commercial houses of the better class were treating their superior employees, the disparity of remuneration as between a commercial and an official career had become so conspicuous and so discouraging to civil servants that something had to be done without delay to restore contentment and make services career attractive." आज की परिस्थितियों को देखें तो ली कमीशन ने जो सिफारिश की थी और जो आधार बताया था, वही की वही बातें आज की परिस्थिति में हमें नजर आती हैं।

इसके बाद वर्धाचारी कमीशन १९३७ में बैठा। उसने सबसे बड़ी सिफारिश की कि हर कर्मचारी के लिविंग वेजेज़ होने चाहिये। लिविंग वेज को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा है : "As a matter of social policy, the lowest rate of remuneration should not be lower than a 'living wage' ".

वर्धाचारी कमीशन ने कहा कि सोशियल स्टेटस को भी ध्यान में रखें तो लिविंग वेजेज़ यह होने चाहिये।

इसके बाद एक जो बात सबसे बड़ी आती है, वह यह है कि हमारी सरकार सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाली है, जो मिल कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं उन सबसे बड़ा हमारी सरकार एम्प्लॉयमेंट देने वाली है। बाकी जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनके लिये फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेज़ एक्ट और लेबर के मुतल्लिक और कई कानून बनाने की बात आती है तो राज्य सरकार का दायित्व आता है। जब बाकी के लोगों के लिये कानून

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

और नियम राज्य सरकार बनाती है और एम्प्लॉयमेंट देने वाली सबसे बड़ी राज्य सरकार है तो राज्य सरकार आदर्श मालिक के रूप में हमारे सामने आये। उस रूप में यदि सरकार नहीं आती तो वह दूसरों को प्रेरणा नहीं दे सकती। राज्य सरकार मोडल एम्प्लोयर हो, इसके लिये हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा फेडरेशन है रेल्वे का उसने बहुत संक्षेप में एक पैराग्राफ में दिया है कि क्यों राज्य सरकार को मोडल एम्प्लॉयर होना चाहिये :

"The Government in this country are the biggest employer and, as such, their policy as an employer will affect other employers. Now the country has adopted the socialist pattern of society; hence the Govenment's interest in public ownership and control of industry is bound to increase. In other words, the public sector in the industry will progressively increase and along with it a progressively increasing number of employees will come under the management of the Government. Under these circumstances, there is no doubt that the Government should be a model employer.

Once the principle that the Government should become a model employer is agreed to, the question of the second and third principle will not arise, because they will have already been covered in the first principle. By Government in this respect, we mean the Government in the Centre and those in the States as well as the industrial undertakings owned and managed by the Governments, whether in the Centre or in the States.

Under the present circumstances, there is no doubt that Government are going to lay down the pattern of industrial justice. Hence we earnestly feel that the Pay Commission should endeavour to cover a substantial step in the direction of securing industrial justice to the Government employees." तो गवर्नमेंट आदर्श मालिक है, उस नाते से एक कर्मचारी को बनाना है। इन शब्दों में जो रेल्वे का फेडरेशन था, उसने, चाहे सरकार राज्य की हो, चाहे केन्द्र की हो, यह रखा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप अधिक से अधिक ३० मिनट ले सकते हैं, १० मिनट ज्यादा हो गये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कुछ समय और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : No, I am bound by the Rules.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : फर्स्ट फाइव इयर प्लान है, उसमें भी लिखा है : "All wage adjustments should conform to the broad principles of social policy; that disparities of income have to be reduced to the utmost extent; that the worker must obtain his due share in the national income and that claims of labour should be dealt with liberally in proportion to the distance which the wages of different categoriep

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

had to cover before attaining the living wage standard."

इसके बाद सैकिन्ड फाइव इयर प्लान बनी। उसके अन्दर भी इसी तरह की बात कही है। इसके बाद देखें तो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो इस प्रकार दिया हुआ है : "If it is a Directive principle of State policy that the State should endeavour to secure to all workers a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure, and social and cultural opportunities, or that it shall ensure just and humane condition of work, the State must obviously regulate its relationship with its own employees accordingly."

यहां जिस प्रिंसिपल को संविधान के अन्दर रखा है उसके आधार पर बाकी की इन्डस्ट्रीज़ से काम कराना चाहते हैं तो उसके मुतल्लिक सेंट्रल पे कमीशन ने लिखा है :

"The State must obviously regulate its relationship with its own employees accordingly."

इसके बाद प्रश्न आता है कि हमारी सरकार कहां से करे ? हमारी केन्द्रीय सरकार ने भी राज्य सरकारों को सहायता दी थी कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ाये। इसके बाद केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ लोन दिया कि राज्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिये राज्य सरकारें लोन ले सकती हैं, जैसा कि कमीशन ने लिखा है :

"The scheme also provides some for loan assistance to the States to enable them to increase the emolumentsof employees in payrange of Rs. 100-250. But according to information, only three States, West Bengal, Madras and Karala have so far taken advantage of this provision."

केवल ३ स्टेट्स ने, केन्द्रीय सरकार ने जो प्रोविजन रखा उसके आधार पर किया। हमारी सरकार भी वेतन वृद्धि कर सकती थी, पर इसने नहीं की, केवल तीन राज्य सरकारों ने की। पे कमीशन ने हमारी सरकार की एक जगह तारीफ की है कि डेवलपमेंट की ओर अन्य राज्य सरकारों की बनिस्पत ज्यादा खर्चा करने लगी है। लेकिन जहां डेवलपमेंट का कार्य होता है वहां पर कर्मचारियों को देने की जो नीति है उसकी तरफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं उनके आधार पर अगर देखें तो हमें दिखाई देता है कि कुछ नहीं दिया जा रहा है ।

इसके अलावा इस वेतन आयोग में पे स्केल निर्धारित की है उसमें एल. डी. सी. के. लिए रखा था 110-3-131-4-155- EB -4-175-5-180 और यू. डी. सी. के लिये 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB -8-280-10-300 मिनिस्टीरीयल केटेगरी में दो ही लोग आते हैं। उसके अलावा फोर्थ क्लास की एग्ज़िस्टिंग स्केल और पे ग्रेड राज्य सरकार पर बाइन्डिंग नहीं है '। उन्होंने जो रखा है वह मैं आपको बताता हूँ। Existing grades:- 20-½-25 and 30-½-35. Proposed Grades:— 55-1-60 and 70-1-85. तो इस आधार पर उन्होंने जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं उनके लिये पे स्केल रखी

Page No.30

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

और मैग्ज़िमम है उनको एल. डी. सी. और यू. डी. सी. के लिये रखी।

इसके अलावा मैंने अपने प्रस्ताव में रखा है कि २५ प्रतिशत पे अन्तरिम काल में अन्तरिम सहायता के रूप में दी जावे।

(घंटी)

पे कमीशन की नियुक्ति करके ६ महीने में....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपकी घंटी बजती है उसका कोई असर नहीं होता। आप बैल बजाते हैं, कई बार वार्निंग देने के बाद भी कोई असर नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट में आप खत्म करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अन्तरिम सहायता के रूप में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है उससे वे लोग संतुष्ट नहीं हैं। हमारी राज्य सरकार भी अन्तरिम काल में २५ प्रतिशत कम से कम सहायता के रूप में दे, इस प्रकार का मेरा प्रस्ताव है। मैं सदन के सदस्यों से और चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव के औचित्य को देखते हुए इसे स्वीकार करेंगे।

(मेजर श्री फतहसिंह आदि अनेक मा॰ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : पहले संशोधन प्रस्ताव रखे हैं वे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इस प्रस्ताव को सेकिन्ड करने वाले हैं उनको पहले मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Who is the seconder ? Is it on the record ?

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : I, Sir.

(विराम)

Sir, I support the resolution moved by the Hon'ble Member, Shri Jagdish Prasad Mathur. This resolution is of a very great importance as it affects the economic life of the III and IV grade servants of the State who form the backbone of our State's administrative machinery. Though this problem is of a very great importance, it did not receive that much attention from the State Government as it ought to have done, and I am very grateful to Hon'ble Shri Jagdish Prasad that by bringing this resolution he has attracted the attention of the Government to the magnitude of this problem.

Sir, our's is a WelfareState and we aim at establishing a socialistic pattern of society in the country. But let us examine if our actions Justify the claim. In a socialistic pattern of State, there must be as little social and economic disparityb etween a citizen and a citizen possible. as I know

Page No.31

(मेजर श्री फ़तहसिंह)

that social disparities are not easy of removal; but we must remember that social disparities can be removed only if we remove the economic disparities first. What is the state of affairs in our State? We are discussing the pay and allowances of the III and IV grade servants of our State. Mr. Mathur pointed out and gave us a detailed account of the various scales of pay and allowances which the various types of Government servants get. He told us what was the pay and allowances which the highest officers got and what is the pay and allowances which the R.A.S. officers are getting and what are the pay and allowances which these humble servants, the III and IV Grade employees are getting. If we carefully examine the statement which he gave to us, we would come to the conclusion that there is a marked disparity between the pay and allowances of the highly placed officers and these III and IV grade servants. Our Chief Secretary gets Rs. 2, 500/- per month and our Commissioners and Members of the Board of Revenue get Rs. 2,250-per month, whereas what do our III and IV grade employees get? Whatever little information I have been able to get, I will try to give you. III grade servants get in the pay range of Rs. 60-4-120 plus Rs. 35/- as D. A. and IV grade employees get the pay in the scale of Rs. 25-1-40 plus Rs. 30/-as D. A. If we compare and contrast the pay and allowances of these servants with those who are highly placed, like the Chief Secretary, the Commissioners and the Collectors, we would come to the conclusion that there is not only disparity but a strong disparity between the two classes.

So, as I pointed out earlier, if we want to establish a socialistic pattern of society in the State, then these disparities must disappear. I do admit that in any State there is bound to be a difference between the pay and allowances of one who is highly placed officer and one who is low placed, but the disparity should not be so striking as it is in our State. The Chief Secretary getting Rs. 2,500/-and the Commissioners and Collectors getting Rs. 2, 250/-, while the Clerks and Peons- I should more emphasise the case of the Clerks because it is they who are running the administration and it is on their support and advice that the administration is run-they are getting very meagre salaries. A Lower Division Clerk gets the pay-scale of 60-120 plus Rs. 35/-as D. A. and an Upper Division Clerk gets the pay-scale of 80-200 plus Rs. 35/-as D. A. So there is a great difference between pay and allowances of the I. A. S. and R. A. S. Officers on the one side and the III and IV grade employees on the other side. If we want to establish a socialstic pattern of society, we have to do something to bring down the pay and allowances of

(मेजर श्री फतहसिंह)

those who are highly placed and to increase the pay allowances of those who are low placed. Ofcourse, this will require an enormous amount of money. How are the funds to come and from where are they to come ? This is a problem over which we have to think seriously. But my answer is that the funds will come from the same source from which the funds came for the Nagaur Mela on 2nd October, 1959, from which the funds for the Decentralisation Scheme came, and from which the funds come for the Development Schemes ? And how much funds we require, that is also a point to be studied. I would like to suggest certain ways and means. This can either be done by additional taxation or by raising loans or by curtailing certain expenditure in the persent set up. What additional taxation has to be imposed, that is for the Government and for all of us to decide. But I would certainly like to say, as Hon'ble Shri Jagdish Prasad pointed out, that we are spending to a great extent uselessly over the Development Schemes. That money is not so well-utilised as it ought to be. So let us curtail the expenditure even on the Development Schemes, but let us make our III and IV grade servants contented because they are our backbone...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : Which Scheme should be curtailed ?

मेजर श्री फतहसिंह :' Development Scheme' is a vast subject and I am going to say what particular item should be curtailed, but since you have put the question, we can for example stop the opening of more schools and colleges. That problem can wait for some time. Of course this is a burning problem of the day, but that can wait for some time and we can divert the money to other better uses. Other economy that can be effected in the expenditure is to abolish the Office of the Commissioner This Office of the Commissioner and the paraphernalia attached to it is absolutely useless. Such a view has been expressed in the House many times by many Hon'ble Members. They are only serving as letter Boxes. Whatever comes from the Collectors, they forward to the Government. That can easily be done by the Collectors themselves and there is no use for the Commissioners. Ofcourse, there is one judicial function which the Commissioners are performing, that of hearing appeals from the S. D. O. s etc. in revenue matters. But that judicial power can very easily be transferred to the Revenue Board. So they are just white elephants and these white elephants should be asked to go away. In this way we shall save about Rs. 20 lakhs annually.

Now what is the pay and allowances which we think would be proper to give to these III and IV grade

(मेजर श्री तरहसिंह)

employees? That again is a matter which should be studied in detail. It is no use saying haphazardly that they should be given Rs. 200/- or 250/-per month. It is a problem which requires serious study by experts and that is why Mr. Jagdish Prasad Mathur has asked this House, and through this House to the Government, to appoint a Pay Commission which should recommend within six months, what pay and allowances should be given to the III and IV grade employees. I am not quite clear in my mind what exactly has to be given, but of this much I am sure, that they must be given something. If we compare the pay and allowances of the I and II Grade Officers and those of the III and IV Grade Officials, we would come to the conclusion that this disparity should be removed. Therefore, I would not enlarge on the point, but I would only ask the House to pass this resolution so that we can make our III and IV grade employees satisfied; and in their satisfaction lies the efficiency of the administration. Fortunately for us, they are not united and the moment they get united, they can create problems for us. So it is high time that before they unite and force us to do something, we should rise to the occasion and bring them some justice. So I whole-heartedly support the resolution and ask the House to pass it.

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

जिनके संशोधन हैं वे पहले बोलेंगे । आप कैसे बोलेंगे पहले ?

[उपरोक्त संकल्प पर श्री शंकरलाल ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये :

१. संकल्प की ग्यारहवीं पंक्ति में 'शब्द ६ माह' की जगह शब्द '३ माह' रखे जावें ।

२. संकल्प के अन्त के निम्नलिखित शब्द विलोपित किये जावें :-

"और अंतरिम काल में वेतन का २५ प्रतिशत अंतरिम सहायता के रूप में प्रदान किया जाय ।"]

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह प्रस्ताव सदन के समक्ष आया है उसमें दो संशोधन रखे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ, निस्संदेह हम यह कह सकते हैं कि किसी राज्य के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना उस राज्य के लिए अनिवार्य है और कई ऐसे अवसर आते हैं जब हम राज्य के कर्मचारियों के लिए कहते हैं कि वे काम में देरी करते हैं, ढिलाई करते हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है । मैं यह नहीं कहता, उपाध्यक्ष महोदय, कि यही एक कारण है लेकिन जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने एक कमीशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में बताया

(श्री शंकरलाल)

और आज की परिस्थितियों को देखते हुए समय की मांग है कि हमारे राज्य के जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको जो भी वेतन और भत्ता मिलता है वह उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र के अन्दर जितनी जिम्मेदारी नेताओं पर और चुने हुए प्रतिनिधियों पर होती है उससे भी अधिक राज्य के कर्मचारियों पर जिम्मेदारी होती है क्योंकि जो राज्य कर्मचारी होते हैं उनके ही द्वारा हम अपने द्वारा किये गये निर्णयों को कार्यान्वित करवाते हैं और इस बात की अति आवश्यकता है कि उन लोगों के अन्दर एक संतोष की मात्रा रहे और इस बात की उनको गारन्टी रहे कि उनके और उनके कुटुम्ब के लिए कम से कम जीवन की जो आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति वही राज्य सरकार करती है जिसके कि वे कर्मचारी हैं और मैं समझता हूँ कि इस सिद्धान्त से न तो कोई इन्कार कर सकता है और न ही कोई इस सिद्धान्त के विरोध में कह सकता है।

जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, वैसे तो प्रस्तावक महोदय ने विभिन्न प्रान्तों के आंकड़े बताये, बहुत से प्रान्तों की राजस्थान जैसी स्थिति है और बहुत सों में उससे कम भी है। लेकिन हमें केवल प्रान्तों के आंकड़ों को तुलनात्मक दृष्टि से न देख कर हम यह देखेंगे कि हमारे राज्य में दूसरी परिस्थितियां हैं। वेतन की एक जगह मात्रा बराबर हो सकती है लेकिन जो मंहगाई के कारण हैं, दूसरा स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग भी भिन्न हो सकता है। इसलिए बहुत मात्रा में हमें उस राज्य की परिस्थितियों को और उसके वातावरण को अधिक देखना पड़ेगा। इसके सम्बन्ध में मैं यह कहूँ कि दूसरे राज्यों के आंकड़ों की ओर न देख कर, हाल ही में, थोड़े दिनों पहले, सितम्बर, १९५९ में भारत सरकार के केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, मैं समझता हूं, केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत का प्रत्येक राज्य उस पर गंभीरता से विचार करेगा और करना चाहिये। आज देश में जहां हम राष्ट्रीयता का नारा लगाते हैं जहां हम देखते हैं कि देश में एकरूपता आयी है। राज्य कर्मचारियों के जो काम करने का सम्बन्ध है तो हमें मानना पड़ेगा कि एक ही तरह के कर्मचारी हैं जिनको एक जगह २५ १.४० का ग्रेड दिया है और वही कर्मचारी सेन्ट्रल का ८० रुपये पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यही चीज़ है जो बड़ा असन्तोष का कारण बनती है। यह एक मानव में कुदरती कमजोरी होती है और इस कमजोरी को हम रोक नहीं सकते। जब वे सुनते हैं कि भारत सरकार की जो पे स्केल थी वह ७५ रुपये की थी उसकी जगह अब वेतन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ८० रुपया स्वीकार किया गया। एक तरफ तो ८० रुपया है, उसी प्रकार के कर्मचारी जो दूसरी स्टेटों में काम करते हैं उनको २० रुपया तो वेतन और २५ रुपया मंहगाई इस तरह से ४५ रुपये मासिक मिलता है। इस तरह से केन्द्रीय कर्मचारी के वेतन में और यहां के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के वेतन में ३५ रुपयों का फर्क है।

१२. ३१ म० प०

(श्री अमृतलाल यादव, सभापति, पदासीन)

(श्री शंकरलाल)

इतना अन्तर होने पर स्वभावत: यह बात हो जाती है और कर्मचारियों के दिलों में एक प्रकार से असन्तोष पैदा होता है। जिस राज्य में एक ही प्रकार के कर्मचारियों में इतना वेतन का अन्तर है, यह स्वाभाविक है कि इससे कर्मचारियों के दिलों में असन्तोष की भावना पैदा होती है। हो सकता है हमारे राज्य की आर्थिक परिस्थितियों के कारण हम वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तौर से कार्यान्वित नहीं कर सकते हों। लेकिन हमारे राज्य के कर्मचारियों में जो इतनी असमानता वेतन में है उसको किसी न किसी अंश में दूर करना होगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि क्या क्या वे सिद्धान्त हैं जिन सिद्धान्तों के आधार पर भारत सरकार के वेतन आयोग की रिपोर्ट आधारित है और जिसको भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हमारे राज्य में जो वेतन आयोग बैठेगा वह भी इस बात पर विचार करेगा और जो भारत सरकार के वेतन आयोग ने सिफारिशें की हैं उनको दृष्टिगत रखेगा। इसलिये मैंने मूल प्रस्ताव में जहां रिपोर्ट देने का समय ६ महीने का रखा है वहां मैंने तीन महीने का संशोधन रखा है। कारण इसका यह है कि कई बार किसी मसले को हल करने के लिये कमेटियां नियुक्त होती हैं या आयोग की नियुक्ति की जाती है, दो-दो, तीन-तीन साल तक रिपोर्ट नहीं आती है इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए हमें इसके लिये समय निर्धारित करना चाहिये। जिसके लिये प्रस्तावक महोदय ने छ: महीने का समय रखा है उसके लिये मेरा सुझाव है कि उस के लिये तीन महीने का समय काफी होगा क्योंकि हमें केवल दो बातों को ध्यान में रखना है। भारत सरकार की जो वेतन आयोग की सिफारिशें हैं वे क्या हैं ? दोयम राज्य सरकार उन सिफारिशों को कहां तक लागू कर सकती है ? लागू करने में हमें यह भी देखना होगा कि हमारे फन्ड्स हमें कहां तक अधिकार देते हैं इसको लागू करने में। तो केवल इस बात को देखने के लिये मैं समझता हूं, छ: महीने का समय बहुत लम्बा होगा। वैसे सभापति महोदय, कई बार कमेटियां बनती हैं जैसा कि मुझे याद है लैन्ड कमीशन की रिपोर्ट जो आयी है वह चार साल के बाद आयी है, उस कमीशन की रिपोर्ट चार साल में केवल तीन मीटिंगें होकर आयी है। तीन मिटिंगें करने में चार साल का समय लगा दिया। इसी तरह से वेतन आयोग की रिपोर्ट के लिये हम छ: महीने का समय दे देते हैं तो यह बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूँ वास्तव में हम राहत पहुंचाना चाहते हैं तो आपके सामने दो सवाल हैं। वास्तव में यदि राहत पहुंचाना चाहते हैं तो भारत सरकार ने क्या सिफारिश की है, वह हमारी राज्य सरकार के अनुकूल है या उन सिफारिशों को स्वीकार कर सकते हैं; केवल इस बात को देखने के लिये तीन महीने का समय निर्धारित कर दिया जाय, यह पर्याप्त होगा।

दूसरा संशोधन मैंने यह रखा है जैसा कि प्रस्ताव में यह बताया गया है जब तक इस आयोग की रिपोर्ट नहीं आवे तब तक अन्तरिम सहायता के रूप में वेतन का २५ प्रतिशत दिया जाना चाहिये। भारत सरकार ने वेतन आयोग की जो रिपोर्ट स्वीकार की है वह नवम्बर, १९५९ से स्वीकार

Page No.36

(श्री शंकरलाल)

की है। साथ में जुलाई से अक्टूबर तक के महीनों के लिये कर्मचारियों को एक्स्ट्रा सहायता देने के लिये मन्जूरी दी है। इस कारण इस प्रस्ताव में यह शब्द रखे हैं। लेकिन सभापति महोदय, २५ प्रतिशत की सहायता का जो प्रस्ताव रखा गया है अन्तरिम समय के लिये वह प्रस्ताव द्वारा स्पष्ट नहीं है अन्तरिम समय कौनसा माना जायगा। जब से वेतन आयोग की नियुक्ति हो या रिपोर्ट प्रस्तुत करे वह माना है या कौनसा माना है ? आखिर यह २५ प्रतिशत की सहायता किस आधार पर दी जाय, इस बारे में प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है। जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है कर्मचारियों में आकर्षण पैदा करने के लिये और इस बात के लिये २५ प्रतिशत की सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है। वह इसलिये कि जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आयगी तब तक सहायता मिलेगी। हम केवल सर्विसेज़ को आकर्षित करना नहीं चाहते। दूसरी तरफ उनकी जो न्यायोचित मांगें हैं उनको इन्कार नहीं कर सकते। इसलिये एक तरफ तो इस बात की जरूरत है कि जो तनख्वाह आज उनको मिल रही है उनमें परिवर्तन हो, परिवर्द्धन हो लेकिन इसके साथ साथ यह नहीं कह सकते कि २५ प्रतिशत की जो सहायता है वह दी जाय। जब हमारी रिपोर्ट आती है उसके बाद पे कमीशन की राय बनती है कि कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के रूप में दिया जाय तो वैसी हालत में यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है। जिस प्रकार से भारत सरकार ने विचार किया, रिपोर्ट के आने के बाद यह फैसला लिया कि अगस्त से अक्टूबर-नवम्बर तक सहायता से रूप में कुछ दिया जाय। बिना वेतन आयोग की रिपोर्ट आये, बिना राजस्थान की परिस्थितियों की जांच किये इस प्रकार की सहायता नहीं दे सकते। इसलिए मैंने ये दो संशोधन रखे हैं प्रथम संशोधन द्वारा मैंने यह मांग की है कि तीन महीने में रिपोर्ट पेश की जाय और २५ प्रतिशत इन शब्दों की आवश्यकता नहीं।

मैं संक्षेप में निवेदन करूं जो हमारे यहां वेतन आयोग नियुक्त हो वह वेतन आयोग इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के वेतन आयोग की रिपोर्ट है कहां तक उससे तालमेल बैठा सकता है, इस पर विचार करके तीन महीने में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करे।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं अभी बोल रहा हूं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि मिनीमम जो तनख्वाह हो वह ७५ रुपये से बढ़ाकर ८० रुपया होनी चाहिये ; यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारी राज्य सरकार ८०) रुपया कम से कम वेतन नहीं दे सकती। हमारे यहां २५. १.४० का ग्रेड है उसमें और ८० रुपये में इतना अन्तर है कि उसके लिये हमारी राज्य सरकार कभी भी तैयार नहीं हो सकती। लेकिन इस अन्तर पर विचार तो अवश्य किया जाना चाहिये और जितना भी अन्तर में कमी कर सकें वह की जानी चाहिये।

(श्री शंकरलाल)

दूसरा प्रश्न यह कि १५०) रुपये से जिनकी कम तनख्वाह है उनके लिये जो डी० ए० हमने रखा है वह कम रखा है और उससे ज्यादा जिनकी तनख्वाह है उनको ज्यादा दिया गया है। भारत सरकार के पे कमीशन ने जो सिफ़ारिशें की हैं उसके अनुसार तीन सौ से अधिक मिलने वालों के लिये डी० ए० अलग नहीं रखा है उसी के अनुसार हम भी इस सिफारिश को किस हद तक लागू कर सकते हैं इस बात को हमें देखना होगा।

तीसरी बात हाउस रेन्ट की है। हम अपने कर्मचारियों को भी जो शहरों में रहते हैं किस हद तक हाउस रेंट दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, वेतन आयोग ने स्वीकार किया है इस बात को कि हमारे काम करने के घंटे कम हैं। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह में ५।। घंटे का जो एवरेज आता है उसकी जगह ५ या ६ दिन का जाना चाहिये और एक महीने के अन्दर केवल एक शनिवार की छुट्टी होनी चाहिये और बाकी शनिवारों में काम करते रहना चाहिये। काम करने का जहां तक सवाल है राजस्थान सरकार भी करा सकती है। इसमें राज्य कर्मचारियों को आपत्ति नहीं होगी। पर वेतन क्रम में उनकी वृद्धि की जानी चाहिये ताकि उनकी मिनिमम अवश्यकताओं की पूर्त्ति हो सके। जहां तक छुट्टियों का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार ने १६ दिन की प्रिविलेज का स्टेन्डर्ड रखा है और १२ दिन का केजुअल का। यहा भी ऐसा किये जाने में किसी को ऐतराज जैसी बात नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में यहां भी तीन महीने में कोई वेतन आयोग मुकर्रर हो और वह इन सिफ़ारिशों को मद्देनजर रखते हुए, यहां की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अपनी रिपोर्ट दे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में तो वृद्धि का किया जाना अत्यावश्यक है। तृतीय श्रेणी के लिए डीयरनैस अलाउन्स में वृद्धि हो, इसके लिए बड़ों बड़ों की तनख्वाह में कटौतियां भी करनी पड़ें तो अवश्य की जावें।

आपका नारा समाजवादी समाज रचना का है। इसमें वेतन का इतना अन्तर रहना भी नहीं चाहिये। आपने ऐसी ऐसी उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं जो जीवन-यापन के अच्छे स्तर से भी बहुत अधिक हैं जब कि दूसरी तरफ आप मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्त्ति योग्य भी वेतन देना नहीं चाह रहे हैं। एक तरफ वे बड़े बड़े अधिकारी, नौकर गुलछर्रे उड़ावें, उन्हें आप इतना दें कि वे उसे बर्बाद करें, ऐश अशरत में बहावें, मोटरों में उड़ें, रिश्वतखोरी अलग करें और दूसरी तरफ हमारे सामान्य कर्मचारी को आप इतना भी न देना चाहें कि उसकी जीवन की आवश्यकताएं भी पूरी न होती हों। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए एक वेतन आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये और हमारे कर्मचारियों को राहत मिलनी चाहिये। इस वेतन आयोग के लिये ३ महीने का समय निर्धारित कर दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है।

(१) संकल्प की चौथी पंक्ति में शब्द 'वेतन' व 'स्तरों में' के बीच शब्द 'व भत्ते' रखे जावें।

Page No.38

(श्री मूलचन्द डागा)

(२) चतुर्थ पंक्ति में शब्द 'स्तरों' में व 'असमानता' के बीच में शब्द 'भारी' रखा जाय।

समाज के अन्दर सारे मानव का जो सम्बन्ध है उसका निर्णायक पैसा है आज। यह पैसा ही उनके सारे आपसी सम्बन्धों का निर्णय करता है। मैंने कम देखा है कि समाज में पापी आदमी और गरीब आदमी में कोई फर्क होता है। गरीब आदमी की तरफ समाज में आज कोई निगाह उठा कर नहीं देखता। इसलिए जब आप आदमी को समाज में कमजोर रखना चाहते हैं तो उससे आप उम्मीद भी न करिये कि वह कुछ गलती नहीं कर सकता है या न करे। समाज में दो सिद्धान्त चल सकते हैं। एक सिद्धान्त यह है कि हम उसे पूरा दार्शनिक बना दें और यह कहें कि पेट पर पट्टी बांध कर चलो, संतोष का फल अच्छा मिलता है, अच्छा मिलेगा। दूसरा यह है कि आदमी असमानता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। डिस्पेरिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, समाज को हमने जिस समाजवाद का नारा दिया है तो उसमें ये दो बातें नहीं चल सकतीं साथ साथ। आज हम उन आदमियों को उस स्थान पर नहीं टिकाये रख सकते जिस स्थान को वे आज अपना प्रिविलेज समझे हुए हैं, जिस पर वे चिपके हुये हैं, जहां वे आज टिके हुए हैं। आज उनकी स्थिति में और नीचे चलने वालों की स्थिति में जमीन आसमान का अन्तर है। इसे समाप्त करना ही होगा, हमें इस विषमता का निराकरण करना ही होगा। जब हम उच्चतम और न्यूनतम वेतन श्रृंखलाओं के बीच का अन्तर कम करना चाहते हैं और इसीलिये समाजवाद का नारा बुलन्द करते हैं तो हमें उस विशेष स्थिति सम्पन्न वर्ग की उन सुविधाओं को, जो हमने उनको आज दे रखी हैं कम करना होगा, उनको नीचे लाना होगा, आसमान से उनको धरती पर उतारना होगा। और हमारी यही मांग है कि हम उनके उन अधिकारों को जो आज आउट आँफ डेट हो गये हैं मिटा दें। आप यह डिस्पेरिटी और असमानता कब तक रख सकेंगे समाज में ? आज आप शासन व्यवस्था को अच्छा करना चाहते हैं, समाजवादी समाज के ढंग पर लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ सोचना होगा। आज का समाज पुराने ढंग के डंडे से नहीं चलाया जा सकता। उस असमानता को कायम रखने वाले कानूनों के जरिये अब ज्यादा दिन आज के समाज को नहीं हांका जा सकता। शासन अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों से चलाया जाता है। उनके चरित्र की छाप समाज पर और शासन पर पड़ती है। अब ऐसे ऐसे कर्मचारी अगर हम बनाना चाहते हैं कि जिनकी छाप समाज पर पड़े तो हमें उनको कुछ लिविंग वेजेज़ देने होंगे, ऐसे वेजेज़ देने होंगे जो उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की कम से कम पूर्ति कर सकें।

मैंने कई बार पुलिस सुपरिन्टेन्डेट से बातें कीं कि आपके कर्मचारियों को क्या अधिकार है कि वे किसी बस में फ्री घूम सकें। क्या अधिकार है कि वे एक जगह से दूसरी जगह आराम से फ्री जा सकें ? उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमें अच्छे आदमियों की जरूरत है। अगर आपकी जमात, आपका समाज ऐसे आदमी दे सके तो उनका स्वागत है। पर पुलिस में आज स्थिति यह बनी हुई है कि वहां ऐसे आदमी जा नहीं सकते। वहां तो वही आता है जो पचास की आमदनी में भी आना पसन्द कर

(श्री मूलचन्द डागा)

सकता है क्योंकि ऊपर से वह १००) कर सकता है। कई लोग इसलिये वहां नौकरी करते हैं कि हमारी तनख्वाह का वहां सवाल नहीं है सवाल है ऊपर की आमदनी का। आप के यहां एक आदमी एस. एच. ओ. होना कहीं अधिक पसन्द करेगा बनिस्पत पब्लिक प्रोसीक्यूटर बनने के, क्योंकि वहां पुलिस स्टेशन पर उसको ऊपर की आमदनी अच्छी मिल सकती है। आज हरएक आदमी इसी दृष्टिकोण से सोचता है और यह इस-लिए कि आज समाज में जैसा मैंने पहले ही कह दिया था कि सब सम्बन्धों का निर्णायक पैसा बन गया है। आज यह धन का देवता एक छत्र राज्य कर रहा है। तो उस समाज में आप कैसे कह सकते हैं कि आप समाजवाद की स्थापना कर लेंगे जब तक कि यह विषमता का जो स्तर है उसे न समाप्त कर दें? आप एक बात सोचिये कि आप भत्ता देते हैं, आप अपने एक नौकर को एयर कन्डीशन में घुमा सकते हैं, एक आफिसर ऐसा भी है जिसे आप फर्स्ट क्लास में घुमाते हैं और एक ऐसा है जिसे आप सैकिन्ड क्लास में चलने को कहते हैं और एक को आप तीसरे दर्जे में भी जाने को कह सकते हैं। और आप उनके बिलों में, टी. ए. के बिलों में जमीन आसमान का अन्तर कर सकते हैं। उसे नहीं मिटाना चाहें अभी तो न मिटावें, चलने दें। एक को आप झाड़े सात रुपया डी. ए. दे सकते हैं, एक को १२॥) दे सकते हैं, १५) भी दे सकते हैं, डेली अलाउन्स के रूप में आप एक को १) रुपया भी दे सकते हैं और १॥) रुपया भी दे सकते हैं। मान लीजिये आप एक आदमी को डियरनैस अलाउन्स में, ट्रैवलिंग अलाउन्स में अच्छा रखना चाहते हैं, ठीक रखना चाहते हैं, रखिये; एयर कन्डीशन्ड दीजिये कुछ भी दीजिये। पर पेट में अन्तर क्यों करते हैं? एक को १५) और दूसरे को १॥) खाने के लिये देते हैं। यह खाने में अन्तर कैसा? एक बात सोचने की है कि जो कम खा सकता है, ज्यादा खा नहीं सकता, जो एयर कन्डीशन्ड रूम में चलता है उसे कोई शारीरिक हरकत करनी नहीं पड़ती, जो ऐश आराम में रहता है, उसको भूख कम लगती है, जो कम पचा सकता है उसका आमाशय कम हरकत होने की वजह से और मेहनत कम करने की वजह से सुस्त रहता है, ज्यादा खाना नहीं मांगता और अगर ज्यादा दे दिया जावे तो इन्जेक्शन खाने पड़ते हैं, बीमारियों से घिर जाता है, काफी हैरानी उसे भी और सरकार को भी दवाइयों को प्रोवाइड करने के रूप में उठानी पड़ती है। सरकार को इससे आर्थिक हानि इस बीमारी के रूप में भी कम नहीं उठानी पड़ती, उसको आप और ज्यादा खाने के लिये तो १५) दे देते हैं पर जो काफी मेहनत करता है, जो ज्यादा खाकर भी उसे अच्छी तरह हज्म कर सकता है, जिसे ज्यादा खाने को नहीं मिलने से और मेहनत ज्यादा करने से आधा पेट भी रहना पड़ता है और इसी से दुबला पतला रहना पड़ता है, जो चल फिर सकता है, हिम्मत रखता है, हर काम करने का हौसला रखता है, उसे आप १॥) रुपया ही देकर टरका देते हैं। इस मामले में मैं कई बार सोचता हूं कि यह विषमता आप क्यों बनाये रखना चाहते हैं? जो आपके हित में भी और सब के हित में भी हितकर नहीं; दुःखदायी है, लेने वाले को बीमारी आदि के रूप में, देने वाली सरकार को बीमारी की हालत में दवाइयों आदि का

(श्री मूलचन्द डागा)

बोझा उठाने के रूप में और कम मिलने वाले को आधा पेट रहने के रूप में। तो इस भत्ते के मामले में यह कैसा अन्तर ? एक घर में खाना बनता है वहां पर यह नहीं होता कि नौकर को भोजन कितना दिया जावे और घटिया दिया जावे और खुद काफ़ी और अच्छा भोजन करे। हम यह अन्तर इस समाजवादी समाज के ढांचे में से मिटाना चाहते हैं; आप इसे रखना चाहते हैं। यह अन्तर साफ़ बतलाता है कि हम भत्ते के मामले में समान व्यवहार नहीं करना चाहते। और हम इनको नहीं मिटा सकते हैं तो आप बताइये समाज में जो लोगों के दिलों में आग छटपटा रही है, जो लोग इसको मिटाना चाहते हैं वह कभी न कभी अपना एक रूप धारण करेगी क्योंकि जब आदमी ठोकर खाने लगता है तो वह जागता है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि भत्तों के मामले में इतना अन्तर हो, मकानों के किरायों में अन्तर हो और उनमें इतना अन्तर हो, उसके कारण एक आदमी की समाज में गिरावट हो और उसको लिविंग वेज नहीं मिल सके। इसलिए हम चाहते हैं और कॉन्स्टीट्युशन में भी यही लिखा है, भारतीय संविधान की धाराओं में भी यही इच्छा है और इसलिए पे कमीशन ने यह लिखा है :

"Apart from any other there are obligations imposed by articles 38,39, 42 and 43 of the Constitution. If it is a directive principle of the State Policy that the State shall endeavour to secure to all workers a living wage and conditions of our ensuring a decent Standard Of life and full enjoyment of leisure and social culturable opportunities and that is to ensure human conditions of the State...."

अब इस सेन्टेन्स का मतलब यह हुआ कि अगर राष्ट्र के नेता लोग शरीर को बनाते हैं, कलाकार उस शरीर का श्रृंगार करना चाहता है तो उसी तरह से एक आदमी को सारी सुविधायें दी जायें। आदमी केवल अन्न नहीं मांगता, दिमाग के लिए खुराक मांगता है। चपरासी का बेटा भी इन्जीनियर बनना चाहता है। तो जब वह चाहता है तो उसको ऐसी सुविधायें दी जायें। हर एक आदमी का सोशियल स्टेटस बनाइये। समाज में आज किसका स्थान है ? समाज में उसी का स्थान हो सकता है जिसकी जेब में पैसा होता है। कॉन्सटीट्युशन में यह लिखा है कि हम लिविंग वेज़ के बारे में क्या चाहते हैं। उन्होंने बताया कि लिविंग वेज में यह चाहते हैं कि किस आदमी की तनख्वाह क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए यह बतलाने की कोशिश की कि आदमी केवल पेट के लिए नहीं जीता है लेकिन समाज में वह अपनी इज्जत चाहता है। वह समाज में रहना चाहता है। वह जमीन पर रहता है, वह आकाश में नहीं रहता है। इसलिए समाज में समान स्तर नहीं है क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ बातें बताना चाहता हूं लेकिन थोड़े समय में सारी बातें नहीं कही जा सकतीं लेकिन मैं नम्रता के साथ कहूं कि आपके यहां भी मानसिक शोषण होता है। मैं कहता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे लोगों में से कई अधिकारी इतने निकम्मे हो चुके हैं कि वे क्लर्कों

(श्री मूलचन्द डागा)

का शोषण करते हैं। जो क्लर्क रिपोर्ट करते हैं वह सारे ऑफिसरों तक जाती है। मेरे ख्याल से दस-बीस बार यस लिखते हैं या तीन सौ दस्तखत करते हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि आप उन लोगों को ठीक तनख्वाह देते हैं तो काम में एफीशियेन्सी बढ़ती है। जैसे कमिश्नर का उदाहरण दिया। मैं आपसे कहता हूं कि मुकदमों में कमी हुई तो एडीशनल कलेक्टर की जरूरत नहीं है, ए० एस० पी० की जरूरत नहीं है। जितने ऑफिसर्स हैं उतनों की आवश्यकता नहीं है। हर एक आदमी चाहता है कि बकरे को बली चढ़ाई जाये, शेर की बली कोई नहीं चाहता, हर जगह बकरे की बली चाहते हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बली कर सकते हैं लेकिन ऑफिसरों की बली कभी चढ़ते नहीं देखी। अगर शेरों की बली नहीं होगी तो समाजवाद नहीं आ सकता। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कई अधिकारी लोग कानूनों से परिचित नहीं होते जितने कि अहलकार होते हैं। उनकी प्रवृत्ति ने उनको ऐसा बना दिया कि उनके अन्दर काम करने का माद्दा नहीं है और उनमें माद्दा केवल श्रृंगार करने का और मामूली पढ़ने का होता है। जब इन्सान देखता है कि हम लिविंग वेज इस तरह से चाहते हैं तो पे कमीशन ने यह रखा था :

"What is necessary is the people of right type..."

राइट टाइम के आदमी आज मिलने चाहिए वे नहीं मिलते हैं। आदमी नौकरी में क्यों आता है ? टीचर्स नौकरी में इसलिए आते हैं मैट्रिक के कि बाद में इन्टर कर लें, बी० ए० कर लें और आगे चले जायें। हमने सन् १९५६ में देखा कि हिन्दी में कोई पण्डित है या आचार्य है या वैद्य है उनकी तनख्वाहें कम हैं और जो इंग्लिश में एम० ए० हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा है। ऐसा क्यों है कि हम एक तरफ कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी हो और फिर जब कोई हिन्दी का विद्वान है, संस्कृत का विद्वान है उनकी तनख्वाह कम है। लेकिन उनकी वेतन-श्रृंखला ज्यादा है जो कि दूसरी श्रेणी में ज्यादा पढ़े हुए हैं। जो एक बात मैं कहना चाहता था कि हम समाज के अन्दर इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप बतला रहे हैं कि कम से कम पे कमीशन ने बताया है कि ८० रुपये एक आदमी की पे होनी चाहिए और यहां राजस्थान में आप देखिये कितनी कम तनख्वाह है ? उन्होंने बताया है कि सेन्टर के अन्दर कम से कम वेतन एक आदमी को ८० रुपये चाहिए और थर्ड क्लास सर्वेन्ट को जो मंहगाई मिलती है वह ४५ रुपये है और हमारे यहां राजस्थान में मंहगाई मिलती है केवल ३० रुपये। तो आप सोचिये कि दिल्ली में रहने वाला या दूसरे शहर में रहने वाला है उसको सेन्ट्रल की सर्विस में कितनी अधिक तनख्वाह मिलती है स्टेट गवर्नमेंट सर्वेन्ट को कितनी कम। तो इतना बड़ा अन्तर है कि आप एक आदमी को तो मंहगाई ४५ रुपये दें और दूसरे को कम। तो या तो यह कहें कि दिल्ली में जो पैदा हुआ होता है वह ज्यादा खाता है।

(घंटी)

उसकी आमाशय की भट्टी तेज है और हमारी कम है। पर सवाल यह नहीं है !

(श्री मूलचन्द डागा)

सवाल तो यह है कि हम लोग इस बात को नहीं सोचेंगे कि हम कहां पर खर्च में कमी कर सकते हैं। मैंने देखा कि फर्स्ट क्लास गजटेड ऑफिसर राजस्थान में हैं उनके लिए बताया कि उनकी बेसिक पे ७०३ रुपये है और बॉम्बे में ७०२रु०; बॉम्बे की पोपुलेशन और राजस्थान की पोपुलेशन, बाम्बे का काम और राजस्थान के काम में बहुत अन्तर हो सकता है। मध्य प्रदेश को देखिये। मध्य-प्रदेश में बेसिक पे ६६१ रुपये बतायी है। हम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बढ़ोत्तरी देना चाहते हैं लेकिन राजस्थान की जन-संख्या १।। करोड़ की है। उस जन-संख्या के आधार पर, उसकी आमदनी के आधार पर, उसके रेवेन्यू के आधार पर हमने बड़े ऑफिसरों की जनसंख्या को बढ़ाया है, यह उसकी स्क्रूटिनी की जाये तो मालूम हो सकता है। मैं अर्ज करूं कि मैं दो दफा कह चुका हूं और एक दफा और कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे उसका उत्तर नहीं मिला कि जो ब्लॉक्स हैं उनमें शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं और जो सोशियल एज्युकेशन के अन्दर शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं उसकी तनख्वाह २१० रुपये है और वह मैट्रिकुलेट है और एक समाज शिक्षा अधिकारी जो इन्टर होता है उसकी तनख्वाह करीब १४० रुपये है। यह हमारे यहां उदाहरण है। एक मैट्रिकुलेट है उसको तो २१० रुपये और जो इन्टर है उसको १४० रुपये मिलता है। यह जो अन्तर है भत्ते के बारे में देखिये, मकान के किरायों के बारे में देखिये, इसके लिए हमें बहुत गम्भीरता से सोचना होगा। मैं आपको पाली का उदाहरण दूं। वहां इतनी मंहगाई है कि वहां पर किराये पर मकान नहीं मिलता है। क्या यह ठेका जयपुर में रहने वालों का ही है कि उनको मकान किराया देंगे? क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर देना चाहते हैं जहां कि मकान नहीं मिलते हैं, जहां मारे-मारे फिरते हैं लोग? तो हम लोग कुछ बातों के लिए सोचें कि ऑफिसरों की संख्या में कमी कर सकते हैं, हम और चीजों में कमी कर सकते हैं लेकिन हम को इन बातों की ओर सोचना पड़ेगा जब कि हम एक सोशियेस्टिक पेट्रन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं। जब कि हम कहते हैं कि हम लोग गुड एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं। हम एक आदर्श मालिक बनना चाहते हैं। आदर्श मालिक हम ठीक नहीं हो सकते हैं, कुछ बातों की कमी हो सकती है। आदर्श मालिक नहीं मानता हूं, लेकिन हम समानता चाहते हैं। हम स्वयं एक बात चाहते हैं कि हमारा काम अच्छा हो। उन लोगों के पास काम करने का तरीका हो। कोई काम नहीं करता है वह पैसा पाता है और जो काम करता है वह पैसा नहीं पाता है। मैंने यह बताने की कोशिश की है कि समाज में सरकारी अधिकारियों का भी स्टेन्डर्ड होना चाहिए, समाज में वह भी टिक सकें। समाज में जो नहीं टिक सकें वे गरीब आदमी हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वे हर एक से सेवा मांगते हैं और सेवा मांगने वाला मोहताज बन जाता है, मेहरबानी की भीख मांगता है। इस कारण समाज का स्टेन्डर्ड ऊंचा नहीं आ सकता है और इस कारण से समाज में और खराबियां पैदा हो जाती हैं। तो मैं चाहता था कि पे कमीशन का प्रस्ताव रखने वालों ने जो कहा है उसका मैं इतना ही समर्थन करना चाहता हूं कि हमको इन बातों पर और भी गौर करना चाहिए और गौर करके इस बात को

(श्री मूलचन्द डागा)

सोचना चाहिए कि किन अधिकारियों की संख्या कम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो काम चौगुना कर सकते हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट्स में कई जगह काम कम है तो कोर्ट्स में कमी की जा सकती है, उनका नम्बर कम किया जा सकता है, क्योंकि मुकदमों की संख्या कम हुई है। आप अन्दाज लगायेंगे तो सिविल कोर्ट्स में कहीं पर ४०, कहीं पर ५० मुकदमें हैं, कहीं पर ३० मुकदमें हैं। उन मुकदमों में सिविल लिटीगेशन कब हुआ तो कुछ ऑफिसरों की हम कमी कर सकते है।

तो मैंने बतलाया कि कम से कम मिनिमम वेज ८०) रु० की जो पे कमीशन ने सिफारिश की है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने जो खुद १६५६ में जब बनाया उसमें आप देखें डिटेल में तो उसमें जो ४००) रु० पाने वाले अधिकारी थे उसकी १००) रु० की बढ़ोत्तरी हुई और जो न्यूनतम वेतन पाने वाला था उसकी कम बढ़ोत्तरी हुई। आप रेश्यो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को जो....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : ४००) रु० पाने वाले को १००) रु० मिला था तो वह कब बढ़ा ?

श्री मूलचन्द डागा : १६५६ में पे स्केल में जो बड़े बड़े चेप्टर्स में लिखा है तो डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की आपने तनख्वाह में बढ़ोत्तरी की तो ४००) रु० की जगह पर ६००) रु० की गई है बेसिक पे में और उसी जगह पर जो चौथी श्रेणी का कर्मचारी है उसकी बढ़ोत्तरी आपने ५) रु० की है। आप देखिये पूरे उदाहरण हैं वह फ़ाइल मेरे पास में नहीं है। चतुर्थ श्रेणी और प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों में पूरी बढ़ोत्तरी हुई है। सब की बढ़ोत्तरी हुई है। आप चाहते हैं कि हमारी मशीन के बड़े बड़े पुर्जे धार दार ज्यादा हों लेकिन जो छोटे२ पुर्जे हैं वे भी धारदार हों। मैं इस बात को चाहता हूं कि उच्चतम श्रेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह में तथा उनकी संख्या में कमी की जाय और उनको काम ज्यादा दिया जाय और जो ज्यादा काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाह में बढ़ोत्तरी करके उनको दें, तो हम समझते हैं कि असमानता मिट सकती है, अन्यथा असमानता मिटना मुश्किल है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव सीकर से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने रखा है उसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्से में तो वे कहना चाहते हैं कि एक कमीशन बनाया जाय जो कि इस सारे मामले के ऊपर विचार करे, दूसरे हिस्से में लिखा है कि उन्हें २५ फी सदी बढ़ोत्तरी तुरन्त कर दी जाय। जहां तक सरकार का और उनकी सर्विसेज़ का सवाल है इसमें यह कोई दो राय नहीं है कि उनकी आर्थिक स्थिति को उठाया जाय। यह सरकार हमेशा इस कोशिश में लगी रही और जैसे जैसे मौका मिलता रहा है सरकार उस तरफ कदम बढ़ाती रही है, यह बात सदन में सभी सदस्य जानते हैं। यह सवाल उठता रहता है और उसके बारे में हम हमेशा बहुत सी बातें सामने रख कर इन चीजों के ऊपर जोर देते हैं। जोर देते वक्त कुछ जिम्मेदारी से काम लिया जाय तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उनकी स्थिति जो है वह सारे राजस्थान की स्थिति, आर्थिक स्थिति है उसके डेवलपमेंट के साथ में चलने वाली है। आज तक कहीं पर भी किसी देश के अन्दर, कोई आर्थिक स्थिति के अन्दर बहुत बड़ा परिवर्तन इस वजह से नहीं किया जा सका कि उसके संबंध में सारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति को अलग करके कोई काम किया जा सके। कोई भी बात हम यहां पर सुझाव के जरिये कहें, हुकूमत को इस तरह की सलाह दें, तो हुकूमत चाहती है कि २५ फी सदी ही नहीं ५० फी सदी बढ़ोत्तरी कर दें, लेकिन आखिर उस बढ़ोत्तरी के लिए कहीं न कहीं से रुपया प्रोवाइड करना पड़ता है और उस सिलसिले में जो मिनिमम वेजेज़ का और दूसरी चीज का जो कानून का तरीका है वह राजस्थान में सब लागू है। पे कमीशन का सवाल जब होता है तो अनुभव से यह बात मान लेनी चाहिए कि उससे फाल्स होप्स ज्यादा बढ़ जाती हैं, कुछ उम्मीदें लोगों के अन्दर कायम हो जाती हैं। जब कि सेन्ट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट निकल चुकी है तो मैं समझता हूं कि इस तरह का कमीशन राजस्थान के अन्दर बनना अनुपयुक्त होगा। उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहां तक सिद्धान्त की बात है कि उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय, इसमें दो राय नहीं है। इस सिद्धान्त को सरकार भी मानती है, और सरकार उस तरफ कोशिश करती है लेकिन कहनेवालों और सरकार के काम में बहुत बड़ा फर्क है। जब कहनेवाले गैरजिम्मेदारी की बातें कहते हैं कि क्या होना चाहिए उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन जब करने का मौका आता है तब सारे आर्थिक ढांचे को देख कर किया जा सकता है। इसको सरकार ही जायज़ तौर पर ले सकती है। हम नहीं कहते हैं कि उनकी स्थिति के अन्दर बढ़ोत्तरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसका संबंध हमारे सारे आर्थिक ढांचे से होना जरूरी है और वह उसके साथ बढ़ सकता है। कोई वैलफेअर स्टेट और दूसरी दूसरी बातें बहुत कही जा सकती हैं। समाजवादी व्यवस्था का नाम लेकर जो बातें कहीं जाती हैं तो उस बात के अन्दर यह भी देखना पड़ेगा, इस तरह का रिलीफ देने के लिए सरकार जितनी उत्सुक है उतना और कोई नहीं है। हम इस बात को कह कर इस मकसद पर पहुँचना चाहते हैं कि हम तो तुम्हारी तनख्वाह को एक आदर्श तनख्वाह करना चाहते हैं चाहे उसका संबंध आज के बजट से और दूसरी चीजों से हो या नहीं हो। मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक पहला हिस्सा है वह कतई अनुपयुक्त है। मैं इसका विरोध करता हूं। पे कमीशन कितने ही बनते रहें और उन्होंने कितने ही सजेशन्स दिये और उन सजेशन्स के बाद दूसरा दौर शुरू होता है। सेन्ट्रल पे कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है। उसमें से जो कुछ करना है उसके लिए सरकार आर्थिक व्यवस्था देखे तो वह गाइडेन्स के लिए काम दे सकते हैं। इसलिए पे कमीशन की बात कहना बिल्कुल इर्रिलेवेन्ट है। मैं उसका विरोध करता हूं।

जहां तक २५ फी सदी बढ़ाने का सवाल है वहां सरकार ने पहले बढ़ाया है और जब जब सरकार इस तरह की गुन्जायश देखती है तब तब बढ़ाना चाहती है। आज जैसा प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है, सभापति महोदय,

Page No.45

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अगर उस तरह से किया जाय तो आपके बजट के अन्दर डेवलपमेंट और समाज सेवा के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए कितनी ही दिक्कतें हो जायंगी ।

उसके बाद फिर एक ही स्थिति सरकार की रह जाती है । यदि इस तरह की यूटोपियन बात मान ली जाय तो इस प्रकार की सरकार की स्थिति हो जायगी कि उसको अपना सारा ही बजट तनख्वाहों पर ही खर्च करना पड़ेगा । सरकार कोई व्यापार नहीं करती है । वह टैक्स के जरिये पैसे कलेक्ट करती है और टैक्स देने वाले उम्मीद करते हैं कि उनके यहां डेवलपमेंट के काम होंगे, बड़ी बड़ी स्कीमें चालू होंगी और उनके जरिये आगे बढ़ने का मौका मिलेगा । इसके लिए सरकार का एक सम्बन्ध होता है । उसकी रिसोर्सेज़ होती हैं, उसका ओवर ऑल कितने का बजट है और इसके ऊपर इन सब कामों के लिए बजट का कितना प्रपोर्शन होना चाहिए और कितना प्रपोर्शन सरकार अपने कर्मचारियों पर खर्च कर सकती है, यह देखना चाहिए । जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने स्वयं ने बताया, हम कई स्टेट्स से आगे हैं । जहां तक सर्विसेज़ का सवाल है, हमारी निगाहें ऊंची हैं । कई स्टेट्स से राजस्थान आगे है । कई स्टेट्स जो अंग्रेजों के जमाने में आगे थीं उनसे भी हम आगे बढ़ रहे हैं ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

और कुछ नहीं कह कर मैं एक बात और कहना चाहूंगा और वह यह कि जहां तक सत्य बोलने का सवाल है उसे ईसा मसीह से गांधीजी तक सबने सही कहा और उसका असर भी सत्य बोलने के लिए ऐसा ही पड़ता है । लेकिन एक झूठा आदमी सत्य बोलने के लिए कहे तो उसका असर कुछ नहीं होता । जिनके पास कुछ नहीं है, जो अपोज़िशन में बैठे हैं वे अगर वेतन बढ़ाने के लिए कहें तो उनके मोटिव को लोग पूरी तरह से जानते हैं कि इस तरह के प्रस्ताव के जरिये वे कौनसी सच्चाई की बात कह रहे हैं । यह उनके दिल के अन्दर की बात नहीं है । यदि दिल के अन्दर की बात होती तो वे रास्ता दिखावें और सरकार से बात करें फिर तो सरकार का और उनका मकसद एक ही है। सरकार से मिल कर चर्चा करें कि क्या हो सकता है बजाय इसके कि बगैर आर्थिक ढांचे को देखे हुए यह कहें कि क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये । इससे सर्विसेज़ पर असर नहीं पड़ने वाला है । सरकार जो कुछ करना चाहती है उसका मतलब सर्विसेज़ समझती है । गवर्नर के एड्रेस में जो बातें कही गई हैं उसका असर हुआ है । वे जानते हैं कि उनको न्याय मिलने वाला है, सरकार को उनकी चिन्ता है । आज का रिज़ोल्युशन इस तरह की चिमागोइयां करने के मकसद से है, इसको सब जानते हैं ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु०) : माननीय सभापति महोदय, आज जो संकल्प सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है वह हमारे राजस्थान में कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं और जो अधिक वेतनवाले कर्मचारी हैं उनको लेकर प्रस्तुत किया गया है । मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, आज हमारे

(श्री लादूराम सुलाणिया)

राजस्थान के कर्मचारियों की तनख्वाहों के बारे में विचार करने के लिए हमारे सदन को मौका मिला है । वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और माननीय सदस्य जिन्होंने संकल्प रखा है उन्होंने वास्तविक आकड़ों सहित और इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि शायद मुख्य मंत्रीजी इसको अवश्य ही स्वीकार करेंगे । इस दृष्टि से हमारे राजस्थान के लाखों आदमी जो वेतन पर निर्भर करते है और उनको जीवन बसर करने के लिये जो तनख्वाएं मिलती हैं वे बहुत कम हैं और कम और ज्यादा का जो अन्तर है वह बहुत ज्यादा है । मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे आदमी जीवित रह सके और अपना कार्य कर सके और शासन व्यवस्था में ८ घंटा ड्युटी दे सके, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए और कितनी उनकी तनख्वाह होनी चाहिए इस विषय पर काफी लोगों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । इस विषय पर मैं मेरी तरफ से आपसे निवेदन करूंगा ।

सभापति महोदय, जिस वख्त भारत आजाद नहीं था उस समय हमारे नागरिकों की आत्म लालसा थी कि देश स्वतंत्र होने के बाद भर पेट रोटी मिलेगी, पहिनेने को कपड़ा मिलेगा और रहने को मकान मिलेगा। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि आज देश को आजाद हुए १३ वर्ष होने आये हैं फिर भी वे कमियें पूरी नहीं हुई हैं । वे लोग आज भी आधा पेट भर कर रोटी खाते हैं और पूरे कपड़े नहीं पहिन सकते और टूटी झोंपड़ियों में गुजर करते हैं और अपनी सेवा ८ घंटों के बजाय १२ घंटे देते हैं । एक बड़े ऑफिसर के लेवल को और एक चौथी श्रेणी के कर्मचारी को देखेंगे तो उन दोनों के रहन-सहन में बहुत बड़ा अन्तर है । जितने बड़े ऑफिसर्स हैं वे बजाय ८ घंटे ही काम करने के ६ घंटे ड्युटी देते है । यही नहीं बल्कि ४ या ५ घंटे ही देते हैं और उनके नीचे के जो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं वे बजाय ८ घंटों के १२ घंटे ड्यूटी देते हैं, ८ घंटे दफ्तर में तो ४ घंटे ऑफिसरों के घर पर ड्युटी देते हैं । अगर नहीं दें तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं सरकार के सामने कई आती हैं, रात दिन उनके सामने यह बात आती है । एक ओर तो बड़े ऑफिसरों से काम लिया जाय ८ घंटे और छोटे कर्मचारियों से काम लिया जाय १२ घंटे, यह शोभा की बात नहीं है । दूसरी बात इन दोनों के वेतन को लीजिये । ऑफिसरों को वेतन इतना मिलता है कि वे भर पेट रोटी खा सकते हैं, अच्छा मकान बनवा सकते हैं, ऐश आराम कर सकते हैं, २५ रु० गज का कपड़ा पहिन सकते हैं और कार में बैठ कर चल सकते हैं । दूसरी ओर एक चौथी श्रेणी का छोटा कर्मचारी है वह अपने जीवन को किसी प्रकार से सुखी नहीं बना सकता जैसा कि संकल्प प्रस्तुतकर्ता ने २०० रु. का बजट सामने रख कर बताया । यदि उसको ध्यान से देखा जाय तो उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये उनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो कम लगाई हैं । जैसे घासलेट की बोतल ६ आना की एक लगाई है महीने भर के लिए । लेकिन महीने भर में एक बोतल घासलेट

(श्री लादूराम सुलाणिया)

से काम नहीं चलता, कम से कम उसको ४ बोतल घासलेट चाहिये । इसी प्रकार से और चीजें भी कम लगाई हैं । एक तरफ वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ८० रु० तो कम से कम देने ही चाहिये । ८० रु० वेतन देकर हम उन पर कोई ऐहसान नहीं करेंगे बल्कि २०० रु. देकर भी ऐहसान नहीं करेंगे । उनके रहने के लिये मकान, पहिनने के लिये कपड़ा और भर-पेट रोटी तो देनी ही चाहिए । अगर राजस्थान के कर्मचारियों को सुखी बनाना हो तो चाहे २५०रु. दें या ३००रु. दें लेकिन उनको ये तीनों चीजें जरूरत माफिक मिल जानी चाहिए । आज अगर कोई ऑफिसर यह दावा करे कि मैं सही जांच कर सकता हूं कि उनको इतना खर्चा चाहिए तो पहले वे स्वयं उसी स्थिति में ५ बालकों और स्त्री सहित रह कर देखें तो उनको पता चलेगा कि कितना खर्चा लगता है ?

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : चपरासी बना देना चाहते हैं आप सबको ?

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या ? माननीय सदस्य ने क्या कहा, मैं समझा नहीं ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सामने समस्या है कि देश के नागरिकों को हम एक लेवल पर लाकर सुखी कैसे बना सकते हैं, हमारे सामने मसला इस बात का है कि समानता किस तरह देश में ला सकते हैं । हमारे सामने इस बात का मसला नहीं है कि एक आदमी भर-पेट रोटी खाये और एक आदमी खाली पेट सोये । माननीय, सभापतिजी, ...

(घंटी)

अभी मुझे बोलते पांच मिनट नहीं हुए । १५ मिनट का समय होता है ...

श्री सभापति : १२ मिनट हो गये ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : निवेदन करने दीजिये ।

श्री लादूराम सुलाणिया : हमारे सामने मसला है जीवन-मरण का, पेट भर रोटी का मसला हमारे सामने है । हम हमारे देश के लोगों को भर-पेट रोटी नहीं दे सकते हैं और हम उनसे काम करवाने का पूरा अधिकार रखते हैं । सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह सबसे बड़ा जुल्म है, हमारे नागरिकों के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म है । इस जुल्म के नाते लोग उकताये हुए हैं........

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : नागरिकों की चर्चा कर रहे हैं या कर्मचारियों की ?

श्री लादूराम सुलाणिया : नागरिकों और कर्मचारियों में क्या फर्क है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : फर्क नहीं है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं निवेदन कर रहा था कि आप भारत सरकार से कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं तनख्वाह बढ़ाने के लिए । लेकिन तनख्वाह किसकी बढ़ाते हैं, यह हमें देखना पड़ेगा । आप उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं, जो बराबर सुखी हैं, जिनकी तनख्वाह अधिक है । आप उनको अधिक

Page No.48

(श्री लादूराम सुलाणिया)

प्रोत्साहन देते हैं, जिन्हें पहले से ज्यादा प्रोत्साहन मिला हुआ है । पुरानी कहावत है, धन उसको मिलता है, जिसके पास धन ज्यादा होता है ! हमारी सरकार भी इसी सिद्धान्त पर चल रही है । मैं निवेदन करूंगा कि यह बात कानून के विरुद्ध है, कानून इसको प्रोत्साहन नहीं दे सकता है। जनता की जो आवाज है वह इसे नहीं मान सकती है । मैं मिसाल के रूप में, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूं, छोटी छोटी पुस्तकों में हम देखते हैं कि उनमें पुराने समय की कथायें आती हैं कि पुराने राजा होते थे, वे जनता के दुःख–दर्द की देख भाल करते थे । वे देखते थे कि कौन दुःखी है, कौन गरीब है, किसको खाने को नहीं मिलता है और जो ऐसे होते थे, उनके घरों में रुपयों की पोटली डाल देते थे । आज नौकरी करने पर भी उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है । अफ़सोस इस बात का है कि देश को आज़ादी प्राप्त हुई

(घंटी)

देश को आज़ादी मिली, लेकिन इन लोगों को आज़ादी का फ़ायदा नहीं हुआ । मैं निवेदन करूंगा कि एक माननीय सदस्य इधर से बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि सरकार कोशिश में लगी हुई है, बहुत कोशिश कर रही है इस बात की कि जो कम तनख्वाह वाले हैं उनकी ज्यादा तनख्वाह हो। सरकार इस कोशिश में लगी हुई जरूर है, यह मैं भी मानता हूं। लेकिन माननीय सभापतिजी, सरकार इस कोशिश में लगी हुई है, बहुत तेजी से भाग रही है छोटे और बड़े को, अमीर और गरीब को समान करे, इस कोशिश में लगी हुई है, लेकिन आंख बन्द करके। जिस प्रकार तेली बैल की आंख बांध देता है, और कहता है, भागो, बेटा भागो । रात–दिन भागने के बाद उस बैल को विश्वास होता है कि वह बहुत क्षेत्र में भाग चुका है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती हैं तो देखता है कि वह घानी के पास ही है । तो हमारी सरकार भी घानी के बैल की चाल से चलती है। अगर आंख खोल कर देखें तो देखेंगे। कि बड़े बड़े अधिकारी, तो वही के वहीं हैं, जहां १६५० में, १६४७ में, १६४० में थे। तो फिर अन्तर क्या हुआ है ? नागरिकों या कर्मचारियों के जीवन में क्या फर्क हुआ है? आज भी उनके मुंह पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि घी बिल्कुल नहीं मिलता है। हमारे इस प्रस्ताव के संकल्पकर्त्ता ने हिसाब में १६ रुपये घी लगाया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चौथी श्रेणी के कर्मचारी के घर का आप चैकिंग करें तो देखेंगे कि उसको एक छटांक भी घी नहीं मिलता है खाने को। उन्होंने दूध का हिसाब लगाया है आठ रुपये का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक छटांक दूध भी उसके बच्चों को नहीं मिलता है जब कि बड़े लोगों के कुत्तों को दूध मिलता है। माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करूंगा कि हमारी शासन व्यवस्था असमानता को मिटाने के लिए हो, जनतंत्र राज्य इसलिए है कि हमारे यहां के रहने वाले जो लोग हैं–वे सुखी हों, उनको भर–पेट रोटी मिले। आज जगह जगह मजदूर यूनियन मिलती है।-वे कहती हैं कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान दो, या गद्दी छोड़ दो। लेकिन सरकार गद्दी नहीं छोड़ेगी और रोटी, कपड़ा

Page No.49

(श्री लादूराम सुलाणिया)

या मकान भी नहीं देगी। यह तो एक प्रकार की डिक्टेटरशिप हुई हमारे राज्य में। माननीय सभापतिजी, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि अभी हाल में मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे एक तार मिला है। यह तार मिला है कि मजदूरों को आज भर-पेट रोटी नहीं मिलती है, वे अपनी मांगें रखते हैं, उनके लिए अनशन करते हैं....

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री सभापति : आप राज्य कर्मचारियों, चौथी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर बात करिये।

श्री लादूराम सुलाणिया : चाहे राज्य कर्मचारी हो, चौथी तृतीय श्रेणी का कर्मचारी हो, बड़ा ऑफिसर हो, या देश का नागरिक हो, उनका पेट बराबर है।

श्री सभापति : जब मजदूरों का सवाल आये तब बोलें। अभी इस संकल्प पर ही बोलें।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं निवेदन कर रहा था कि आज उसको जरूरत है भर-पेट रोटी की, उसको धन की जरूरत नहीं है। जितने कर्मचारी लोग हैं उनको मिल नहीं चलानी हैं, उनको बंगले नहीं बनाने हैं, उनको चाहिए भर-पेट रोटी उनके बच्चों के लिए पढ़ने-लिखने की व्यवस्था हो, उनको रहने के लिए मकान चाहिए। इनके लिए अच्छी व्यवस्था सरकार की ओर से हो, जिससे उनको संतोष हो कि हमारी सरकार ने हमारे लिए कुछ समुचित कदम उठाया है, हमारे जीवन के अन्दर कुछ परिवर्तन किया है।

मैं निवेदन करूंगा कि आज करीबन चार साल हो गये. अजमेर को राजस्थान में मिले हुए लेकिन वहां के कर्मचारियों में अन्तर है। कई दफा विधान सभा के सामने इस प्रकार के प्रस्ताव रखे, संकल्प रखे, कई प्रकार से मांग की गई सरकार से कि वहां के चपरासी जयपुर में रहते हैं और यहां के चपरासी भी जयपुर में रहते हैं, वहां के चपरासियों की ग्रेड है, ८५ रुपये की और यहां के चपरासियों को मिलते हैं ५५ रुपये। आप देखिये, उनके बच्चों और इनके बच्चों में क्या फर्क है? उनके बच्चे दो फुलके खावें और इनके बच्चे आधा फुल्का खाकर सो जायं। जब हमारे यहां आधे पेट खाकर लोग सोते हैं तो हमको नींद कैसे आये? किसी ने कहा है, किसी विद्वान ने कहा है कि 'भूखे पेट पड़ा पड़ौसी, तूने रोटी खाई क्यों, मैं निवेदन करूं कि हमारे राजस्थान में हजारों लोग भूखे सोते हैं और फिर भी हम रोटी खाते हैं भर-पेट...

श्री सभापति : उसकी दूसरी लाइन नहीं बोले आप।

श्री लादूराम सुलाणिया : लैंग्वेज वही है कि पेट खाली है। और कोई लैंग्वेज नहीं है मेरी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जाय और इस बेसिस पर बढ़ाई जाय कि जितने बड़े कर्मचारी हैं, जितने गजटेड ऑफिसर्स बढ़ाये गये हैं, जो छः घंटे काम करते हैं

(घंटी)

उनकी संख्या कम की जाय, जिनको आप २,२५० रुपये देते हैं उनकी तनख्वाह कम

Page No.50

(श्री लादूराम सुलाणिया)

की जाय और जिनको आप ५० रुपये देते हैं, जिनको ४० रुपये देते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय। मोटे पेट को काट कर छोटे पेट को भरा जाय, यही मेरा निवेदन था। माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करूंगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा आपके द्वारा कि जो सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने संकल्प रखा है। उसको स्वीकार किया जाय और जो हमारे राजस्थान के कर्मचारी हैं, जिनके अन्दर इतना बड़ा अन्तर है उसको आप एक नज़र से देखेंगे और उनको समानता देंगे क्योंकि आप उस पोस्ट पर हैं, उनके पिता हैं, वे आपके सामने बच्चे हैं लेकिन आप बच्चों बच्चों में भेद रखते हैं, यह बड़े जुल्म की बात है। इस जुल्म को जल्दी से जल्दी मिटा कर आप उनको समानता प्रदान करें, ऐसी मेरी इच्छा है। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि हाउस इस संकल्प को स्वीकार करे। जिन माननीय सदस्य ने यह संकल्प रखा है और जो इसके समर्थन में बोलते हैं, इससे उनका पेट भरने वाला नहीं है, लेकिन आपके जो कर्मचारी हैं, उनका पेट भरेगा। आप इस बात को अवश्य स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलालजी मोदी।

एक माननीय सदस्य : बहुत दिनों के बाद।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, यह जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव आया है, जब बजट सेशन शुरू हुआ और बजट पेश हुआ उस बजट के अन्दर इन दोनों श्रेणी के कर्मचारियों की कुछ तनख्वाहें बढ़ा दी जातीं तो यह प्रस्ताव आता नहीं। परन्तु बजट के अन्दर तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, मंहगाई नहीं बढ़ाई और क्योंकि दिन प्रति दिन मंहगाई ज्यादा बढ़ती जा रही है इसलिए वह प्रस्ताव आया, नहीं तो इस प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं थी कि प्रस्ताव हाउस के अन्दर आता। परन्तु सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया तब यह प्रस्ताव विधान सभा के सामने आया, हाउस में आया। यह सभी लोग जानते हैं कि हमें सबको एक समान धीरे धीरे बनाना चाहिए! परन्तु समान बनाना तो चाहते है और विचार भी है परन्तु यह किया कब जायगा? आज हिन्दुस्तान के अन्दर सब लोगों के दिलों में बड़े और छोटे की भावना फैली हुई है और दूसरे कन्ट्रीज़ के अन्दर बड़े और छोटे की भावना नहीं है, यद्यपि तनख्वाहों में जरूर फर्क है। सभापति महोदय, मैं तनख्वाह के लिए नहीं कहता, आप फर्क जरूर रखिये परन्तु लोगों में यह भावना नहीं हो कि यह बड़ा आदमी है, इसको इतनी तनख्वाह मिलती है, मैं छोटा हूं मुझको इतनी कम तनख्वाह मिलती है। वह भूखा नहीं रहता है। उसके कपड़ों के लिये, खाने के लिये और रहने के लिये मकान की व्यवस्था होनी चाहिये, यह जरूरी है। जो बड़े आदमी हैं उनके लिये सब व्यवस्था है। रहने के लिए मकान हैं, कपड़े मिलते हैं, खाते भी हैं। तो सरकार की तरफ से बड़े आदमियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वे बड़े आदमियों को न दी जाकर छोटे आदमियों को दी जायं।....

Page No.51

श्री सभापति : यह किस देश की बात कर रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं दूसरे देशों की, हिन्दुस्तान के बाहर की बातें बता रहा हूं ।

श्री सभापति : जैसे....

श्री मुक्तिलाल मोदी : रशिया है....

(हंसी)

फिनलैण्ड है, अमेरिका है। आप और कहां का पूछते हैं ?

(हंसी)

तो माननीय सभापतिजी, जब तक कि हिन्दुस्तान में यह चीज़ नहीं मिटेगी, छोटे—बड़े की भावना, एक ऑफिसर के प्रति एक छोटे क्लर्क की भावना पैदा हो गई है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वह क्लर्क ही सारे ऑफिस को मैन्टेन करने वाला है....

श्री सभापति : आप भावना बदलना चाहते हैं या तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप तनख्वाह बढ़ायेंगे, वह भूखो नहीं मरेगा तो भावना अपने आप बदलेगी । भावना बदलेगी तभी सारी चीजें हल होंगी । आज हिन्दुस्तान के कोने कोने में देख लीजिये और राजस्थान में तो यह प्रस्ताव आया ही है, परन्तु सारी जगह यह बात है कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को, तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को जिन जिन स्टेटों में ठीक तनख्वाहें और सब सुविधाएं नहीं दी हैं वहां हर तरह की दिक्कत सरकारों के अन्दर होती हैं। क्योंकि तीसरी श्रेणी के कर्मचारी के हाथ में सारे राजस्थान की फाइलें रहती हैं। पहली श्रेणी के कर्मचारियों के हाथों में फाइलें नहीं रहती, तीसरी श्रेणी के कर्मचारी के हाथ में रहती हैं। नोट तीसरी श्रेणी का कर्मचारी हर फाइल पर लगाता है और पहली श्रेणी का कर्मचारी तो केवल दस्तखत करता है। तो मेरा कहना है, सभापति महोदय कि तीसरे श्रेणी के कर्मचारी के हाथ में इतना काम है, उसको सुविधा नहीं देंगे, पहली श्रेणी के कर्मचारियों को ज्यादा सुविधा देंगे तो आपके शासन का काम कैसे चलेगा ? आपके एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसे चलेगा ? तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के हाथ में जब कि इतनी जिम्मेदारी. इतना काम है तो उसको सुविधाएं ज्यादा देनी चाहिये। आज इतने प्रश्न आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं पर तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को सरकार सुविधा नहीं देती, सरकार उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाती। इसलिये सैकड़ों आदमी कहते हैं, कल ही एक आदमी आया और कहा कि आपने तो अपने ५० रुपये बढ़ा लिये, हमारा कुछ भी नहीं बढ़ाया ! तो इस सूरत में ५० रुपये नहीं बढ़ाते तो अच्छा था, सुनने को तो नहीं मिलता। आप तनख्वाह एक पैसा भी मत बढ़ाइये; और इनके बच्चे भी ज्यादा होते हैं, बड़े आदमियों के बच्चे कम होते हैं....

श्री सभापति : यह किस आधार पर कहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इनका प्रत्यक्ष अनुभव है।

(हंसी)

Page No.52

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं भी एक गरीब आदमी हूं, गरीब आदमियों से मिलता-जुलता हूं....

श्री भैरोंसिंह : आपके कितने बच्चे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे आपके समान हैं।

(हंसी)

तो राजस्थान सरकार ने कुछ तो यह किया है कि स्कूलों में छोटी क्लासों में जो फीस लगती थी वह माफ की है। पर राजस्थान सरकार यह कर दे कि प्राइवेट स्कूल चलती हैं उनमें भी फीस माफ कर दे और जो इस प्रकार की सुविधाएं दी जायं वे तीसरी श्रेणी के और चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके बच्चों को दी जायं न कि पहली श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को और दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को। क्योंकि दूसरे कन्ट्रीज़ में भी तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों लिये यह सुविधाएं रखी हुई है, पहली और दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिये नहीं हैं।

मकान बनाने के लिये सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है। उसमें भी यह कर दीजिये कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को ही यह लोन दिये जायेंगे, पहली और दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों को यह लोन नहीं दिया जायगा। यह अगर राजस्थान सरकार कर दे तो एक बड़ा भारी उदाहरण वह हिन्दुस्तान में रखेगी। लोन का पैसा तो वापिस आ जायगा और इनका सबका काम हो जायगा। इन लोगों को ज़मीनें भी सस्ते भाव से देनी चाहिये। काम तो सारा ये तीसरी श्रेणी के कर्मचारी करते हैं और पहली श्रेणी के कर्मचारी तो केवल दस्तखत करते हैं। तीसरी श्रेणी के कर्मचारी उन सारी फाइलों को अपने पास रखते हैं, उन पर नोट बनाते हैं, सारा काम करते हैं तो सुविधाएं भी सब तरह की इन लोगों को देनी चाहिये। आज बजट का तीसरा दिन है। यह साल कल खत्म हो जायगा। अगले बजट में जो भी सुविधा दें वह तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को दें। प्रस्ताव को भले ही मत मानिये, कुछ भी मत कीजिये केवल यह कर दीजिये की लोन तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को ही मकान बनाने के लिये दिये जायेंगे और जमीनें भी जो अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से दी जाती हैं वे इनको सस्ते भावों पर दी जायेंगी। जो स्कूलों में बच्चों को सुविधाएं देते हैं वे सब सुविधाएं चौथी और तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को ही दी जायेंगी। प्राइवेट स्कूलों में भी तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों की फीस माफ की जानी चाहिये। सरकार वहां ७५ प्रतिशत एड देती है फिर भी वे लोग फीस माफ नहीं करते हैं। तो उनको कहिये कि इनके बच्चों की फीस माफ करें। तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को सब प्रकार की सुविधाएं देकर राजस्थान सरकार राजस्थान की उन्नति कर सकती है। अब नया बजट आ रहा है, यह कमीशन बैठाने की बात है, वह तो मेरे भी कम जंचती है।

श्री सभापति : अभी तो आप अगले बजट की बात कहते थे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अजी महाराज

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

१ अप्रेल से लागू हो जायगा, आज ३० हो गई है, दिन तो एक ही घटे है। मैं तो अगला की बात करूं छूं पाछा की तो गई। तो पांच-सात दिन बाद चीफ मिनिस्टर इस प्रकार का सक्युंलर निकाल दें, जिसमें न तो कमीशन की बात आती है और न कोई और बात आती है।

इस सुझाव को मानते हुए जैसे मेडिकल की सुविधा आज प्रथम श्रेणी के अधिकारी को दी जाती है व तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को नहीं दी जाती है। इसलिये मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि थर्ड और फोर्थ क्लास के लोगों को मेडिकल की सुविधा पहले दी जानी चाहिये। ऐसा होता है कि प्रथम और द्वित्तीय श्रेणी के अधिकारी हॉस्पिटलों में दाखिल हो जाते हैं और दो-दो, तीन-तीन महीने तक कमरे दबाये बैठे रहते हैं। तो मेरा यह कहना है कि तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को मेडिकल और एज्युकेशन की ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए और जब आप कम्पलसरी एज्युकेशन करना चाहते हैं तो वह उस हालत में हो सकेगी जब आप फोर्थ और थर्ड क्लास के कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देंगे। जब आप उनको एज्युकेशन में, किताबों में और फीस में माफ़ करके उनके बच्चों को सुविधाएं देंगे तब यह सफल हो सकती है।

एक थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास कर्मचारी के बच्चे तो ५ या ६ होते हैं और एक थर्ड क्लास के कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है १०० रुपये। उसमें से वह खुद खाएगा या अपने बच्चों को खिलाएगा और फिर उनको पढ़ाएगा कहां तक जब ? तक आप उसको सुविधा नहीं देंगे तब तक वह अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेगा। जब आप उनको सुविधा देंगे तो आपका राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा चलेगा और काम ज्यादा होगा और जो आज ३० तारीख के दिन लाखों और करोड़ों रुपयों की सेंक्शन निकल रही है वह पहले ही निकल जाएगी और लोगों को काफी फायदा होगा। मुझे २८ को या २६ को कल ही एक अधिकारी कह रहे थे कि आज सेंक्शन आई है। कैसे तो उसका ड्राफ्ट दिया जाए.....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट और।

तो ऐसा है कि मैं पंचायत समिति की मीटिंग में गया था वहां पर किसी अधिकारी ने बताया था कि आज सेंक्शन आई है कल में क्या किया जाए ? तो मेरा तो माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि उन लोगों को आप सुविधा दें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें और राजस्थान में आप एक मिसाल तो पैदा करें कि राजस्थान सरकार ने अपने थर्ड और फोर्थ क्लास कर्मचारियों को सुविधाएं दी हैं। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आपको इस प्रकार की सुविधा देने में पैसा भी खर्च नहीं करना होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट और बोलना है। अगर आप कहें तो मैं तो बैठ जाता हूँ।

श्री सभापति : एक मिनट बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप चाहें तो अभी बैठ सकता हूँ।

श्री सभापति : एक मिनट बोल सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप अपना एक मिनट यों ही खर्च कर रहे हैं।

श्री मुकिलाल मोदी : तो मेरी यही प्रार्थना है कि इस पर किसी प्रकार का खर्चा नहीं होगा। अगर आप इस संबन्ध में ऑर्डर निकाल देंगे तो भी इसका काफी प्रभाव होगा और लोगों को संतोष होगा।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है, सभापति महोदय, वास्तव में यह संकल्प विचारणीय है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत बड़े तबके पर इसका असर पड़ने वाला हो सकता है बशर्ते कि इस पर कुछ गौर किया जावे। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में आजकल के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का एक दृष्टिकोण है, एक नारा है, एक नया रास्ता हमने बनाने का नारा दिया है और वह हमारा रास्ता है समाजवाद का। समाजवादी दृष्टिकोण, जिसके अन्दर गरीबों को ऊंचा उठाने का, छोटों को आगे बढ़ाने का हमने संकल्प किया है। समाजवादी दृष्टिकोण का जहां तक प्रश्न है इससे वास्तव में हम पर काफी जिम्मेदारी आ जाती है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिये जो आज तक दलित रहे हैं, जो आज तक गिरे हुए रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें हमने आज तक थोड़ी रखीं। उनके जीवन-स्तर को आगे बढ़ाने के लिये, उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिये हमारे सामने बड़ी भारी जिम्मेदारी है उससे किसी भी हालत में इन्कार नहीं किया जा सकता।

अभी आपके सामने आंकड़े रख कर माननीय साथी ने बताया कि किस प्रकार तीसरी और चौथी श्रेणी के लोग अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं, किस प्रकार वे अपना जीवन व्यापन करते हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाहें बहुत थोड़ी हैं। उन्होंने साल भर का बजट बना कर आपको बताया कि किस तरह से उनको जो तनख्वाह मिलती है उससे वे गुजर नहीं कर सकते। सभापति महोदय, अच्छे ढंग से देखें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि थर्ड और फोर्थ क्लासेज़ के कर्मचारियों को वेतन बहुत कम मिलता है। मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता कि वर्तमान बजट में बहुत थोड़ी गुंजायश है। मगर मुझे दुःख इस बात का है कि हमारा नारा समाजवादी है और दृष्टिकोण जो हमारा है वह पूंजीवाद ही है। मुझे इस बात पर मतभेद है कि हमने समाजवाद का नारा लगाया और समाजवाद का रास्ता अपनाया है मगर समाजवाद के रास्ते को अपनाने के साथ साथ हमारा दृष्टिकोण भी समाजवादी ही होना चाहिये। अगर हमारा यही दृष्टिकोण होता तो आज इस प्रकार के संकल्प को यहां पर लाने की जरूरत पैदा नहीं होती और सबसे पहला कदम यही होता कि आज तक जो पिछड़े हुए रहे हैं, कमजोर और गरीब रहे हैं, जो थोड़ी तनख्वाह वाले रहे हैं उनका सबसे पहले हित होता। माननीय सभापति महोदय, मैं महसूस करता हूं और जब बजट को देखता हूं तो इस नतीजे पर पहूँचता हूँ कि बड़े बड़े लोगों के वेतन बढ़ाये जाते हैं। बड़े २ ऑफिसरों को तीन-तीन हजार रुपये देते हैं और छोटे कर्मचारियों को बहुत कम वेतन देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन पर इसका बहुत असर पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो

Page No.55

(श्री मोहरसिंह)

छोटे छोटे कर्मचारी ही शासन में बहुत बड़ा काम करते हैं मगर उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है और वे अधिकारी जो जिम्मेदारी के नाम से केवल दस्तखत मात्र ही करते है, सिग्नेचर करते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा वेतन देते हैं ।

अब यह कहा जाता है कि बजट में गुंजायश नहीं । सभापति महोदय, मैं इस बात के लिये कहता हूं कि हमारा जो सोचने का तरीका है वह छोड़ना होगा, वह पहले वाला ही है । समाजवाद में आज सबसे बड़ी बात है तो वह छोटों को ऊपर उठाने की है । अगर समुद्र में कोई पानी बढ़ाया जाता है तो वह कोई बढ़ाना नहीं । अगर एक अधिकारी को १,०००) रु० वेतन मिलता है उसको अगर १,२००)रु० कर दिये तो क्या, अगर २,५००) रु० पाने वाले के ३,०००) रु० कर दिये तो क्या ? वह तो पहले से ही अधिक वेतन पा रहा है । और एक तरफ़ ऐसे आदमी हैं जिनको रोटी खाने को नहीं मिलती । आपका नारा है समाजवाद का । आप देखेंगे कि एक तरफ़ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं और एक तरफ़ लोगों के पास तरह तरह के भोजन हैं । एक तरफ़ ८ या १० मंजिल की अट्टालिकायें और लोगों के लिये बंगले हैं तो एक तरफ लोगों के पास खाने और पहिनने को नहीं । हमारा रास्ता समाजवाद का जरूर है । हमने नारा समाजवाद का लगाया है मगर उस पर कार्य नहीं होता है, यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है । आज थर्ड और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों पर न जाकर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज जो उनको तनख्वाह मिलती है उससे वे रोटी पूरी तरह से नहीं खा सकते । अगर उनको इन्सानों की तरह से अपनी जिन्दगी बिताना हो, इन्सानों का सा भोजन करना चाहते हों तो वे नहीं कर सकते । एक आदमी के ६ या ७ आदमियों की फेमिली तो होती ही होगी । अगर ७ आदमियों की एक फेमिली ले लें तो उसमें कई आदमी ऐसे होंगे जो ४० या ५० वर्ष के होंगे तो कोई छोटे भी होंगे । उन लोगों के लिये अनाज गेहूँ को ही लें तो उनके लिये एक माह के लिये २।। मन गेहूँ चाहिये । गेहूँ का भाव २० रुपये मन से लगावें तो ५०) रु० तो अनाज के खाने के लिये चाहिये। प्रारंभिक चीज में ही इतना रुपया तो खर्च हो ही जावेगा । यह तो सूखा खाने में खर्च हो जाता है । इसमें चिकनाई, साग-सब्जी आदि कुछ नहीं है । अनाज अनाज में ही ५० रुपये खर्च हो जाते हैं व कपड़े और दूसरी जीवन की जरूरत की चीजें उनको नहीं मिलती है ।

समाजवाद के पहले हमने कल्याणकारी रामराज्य का नारा लगाया था और नारा देते हुए कहा था कि लोगों को रोटी, कपड़े और मकानों का इन्तजाम किया जावेगा, मगर वह भी नहीं किया गया और अब समाजवाद का नारा है । इसमें पहले रोटी-कपड़े का साधन तो बहुत ही निहायत जरूरी चीज़ है । दूसरी नेसेसिटीज़ को तो आप उन गरीबों के लिये छोड़ दीजिये । मैं आपसे यह कहता हूं कि आप उनको रोटी और कपड़ा दीजिये । आज उनको ये दोनों चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं । वे लोग मनुष्यता से रहना चाहेंगे, इसलिये उनको कपड़ा पहिनना भी आवश्यक है । उनको कुछ मकान भी चाहिये । इसके लिये सरकार कह सकती है कि सरकार उनको हाउस एलाउन्स देती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अलॉउन्स

(श्री मोहरसिंह)

सरकार उनको देती है उनसे वे ऐसे गंदे मकान प्राप्त कर सकते हैं जिसमें बहुत मच्छर और बीमारी पैदा हो सकती है। वे लोग गंदे से गंदे मकान उपलब्ध कर सकते हैं। इस पर भी हमारा नारा समाजवाद का है। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मुद्दे की चीज के बारे में कहना चाहता हूं। वह यह है कि हमें इस बात को महसूस करना चाहिये कि जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनकी तरफ हमें विचार करना चाहिये। हमको उनकी तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमारा नारा समाजवादी समाज का है। सबसे पहले समाजवाद में आता है कि गरीब लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना। अगर उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में कुछ कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का यह नारा समाजवादी समाज का जो है उसको लगाने का अधिकार होगा और लोग भी यह समझेंगे कि हम समाजवादी कदम बढ़ा रहे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक हमने यह नहीं किया, समाजवादी दृष्टिकोण केवल कोरा ही रहेगा। एक तरफ भूखे हैं और दूसरी तरफ तृप्त हैं। कितना उनमें आपस में अन्तर है? जमीन-आसमान का अन्तर है। एक जबर्दस्त असमानता है। एक चीज़ और बतायी गई। मंहगाई का भी कारण रखा गया। आज कोई भी इस चीज़ से इन्कार नहीं कर सकता है कि आज प्रान्त में दिन पर दिन मंहगाई बढ़ती ही जा रही है। जो आज राज्य कर्मचारियों का स्तर है वह भी सामने आ गया। उन सारी चीजों को देखते हुए मैं महसूस करता हूं कि इसके बारे में हमको वास्तव में सोचना चाहिये। बजट में यदि हमने इस प्रकार की गुन्जाइश नहीं रखी है तो यह जिम्मेदारी

(घंटी)

हमारी है। अब सवाल यह आता है कि फिलहाल पैसा कहां से आये? तनख्वाह बढ़ाने की सोचें तो कैसे बढ़ायें! २॥ हज़ार की तनख्वाह पाने वाले और दूसरी तरफ इतना कम वेतन पाने वाले में इतना अन्तर किसी भी समाजवादी दृष्टिकोण में उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम इन लोगों से कहें कि वे अपनी तनख्वाहों में कुछ कमी करें, एक हजार से ऊपर की तनख्वाह को कम करें। बड़े बड़े राजाओं के लिए बजट में उनके भत्ते के लिए लाखों रुपया रखा है। उनमें कटौती करके इन कर्मचारियों के लिए हम कुछ रख सकते थे। करोड़ों की पूंजीवाले और पूंजीपति लोगों पर कुछ और टैक्स लगा कर उनके पास से कुछ पैसा इन लोगों के लिए टैक्स के रूप में उनसे प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा गुन्जाइश नहीं कर सकें तो कोई बात नहीं लेकिन इस चीज़ के लिए ध्यान रखें। सदन से इजाजत लेकर इनके वेतन में बढ़ोतरी करेंगे तो यही समझा जायगा कि जो हमने समाजवादी दृष्टिकोण का नारा दिया था उसको अमली रूप देने जा रहे हैं, नहीं तो कथनी और करनी में फर्क है। जो समाजवादी समाज के दृष्टिकोण का नारा दिया गया था वह बेकार साबित होता जा रहा है, यदि हमने इन छोटे कर्मचारियों के लिए आज की इस भयंकर मंहगाई को देखते हुए उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की तो। इसलिए यह जो प्रस्ताव रखा गया है वह सही है, समाजवादी दृष्टिकोण के अनुकूल है, इस पर

(श्री मोहरसिंह)

अवश्य ही गौर करना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : डॉ० बहादुरसिंहजी ! कृपया यह ध्यान रखें कि २ बजे गवर्नमेन्ट रिप्लाई होगा।

डॉ० बहादुरसिंह : दो तो बज रहे हैं। मैं पांच, सात मिनट में ही कह देता हूं।

सभापति महोदय, यह जो सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध इसलिए नहीं करता कि मैं छोटे २ कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना नहीं चाहता, मेरी यह भावना नहीं है। मैं तो यह चाहता हूँ कि उनके वेतन में वृद्धि हो लेकिन इस प्रस्ताव की भावना से मेरा विरोध है। इसका सदन से सम्बन्ध है। सदन एक जिम्मेदार स्थान है, जिम्मेदारी से शासन तंत्र चलाता है और इससे सदन में इसकी कितनी जिम्मेदारी आती है, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। हम यह चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनका वेतन केन्द्रीय वेतन स्तर पर आये। हमें यह सोचना पड़ेगा कि उनके वेतन को केन्द्रीय स्तर पर लाने में हमारे वित्त पर इसका कितना भार पड़ेगा और राज्य की जनता कितने कर का भार वहन कर सकेगी ? इस प्रकार यदि जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तब यह देखना पड़ता है कि आज कितना वेतन हमें हमारे कर्मचारियों को देना चाहिये।

अभी एक माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़े २ कर्मचारी हैं उनका वेतन कम कर देना चाहिये जिनका वेतन तीन हज़ार से अधिक है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में तीन हज़ार या हजार से ऊपर तक के कर्मचारी ज्यादा तो नहीं निकलेंगे। यदि उनका वेतन कम भी कर दें तो भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नहीं दे पायेंगे। इस सम्बन्ध में भी अपने जो नियम हैं उनके अन्दर बंधे हुए हैं। आई. ए. एस. ऑफिसर्स और आर. ए. एस. ऑफिसर्स हैं उनको कॉन्स्टिट्युशन और हमारे उसके अनुसार जो नियम हैं उनके अनुसार उनको वेतन देना पड़ता है। यदि हम केन्द्रीय स्तर पर वेतन देना चाहें इन आई. ए. एस. और आर. ए. एस. ऑफिसर्स को तो केन्द्रीय स्तर पर वेतन नहीं दे सकते। इसलिए हमको साधारण तौर पर या भावना-वश नहीं सोचना चाहिये। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बढ़े, बढ़ना चाहिये, उनको अधिक सुविधायें प्राप्त हों लेकिन आज की इस वित्तीय स्थिति में यह एक दम संभव नहीं है। इसलिए पहले वित्त विभाग ने सहृदयता दिखायी और पांच रुपये की तरक्की हुई। जैसे जैसे कोष में वृद्धि होती है तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का बराबर ध्यान रखा गया है। इसलिए सदन में यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, माननीय सदस्य अपना मत उसके विरोध में दें।

जहां तक वेतन आयोग का सम्बन्ध है उसके लिए इतना ही निवेदन कर दूं कि

(डॉ० बहादुरसिंह)

अभी केन्द्रीय सरकार ने वेतन आयोग नियुक्त किया था और राजस्थान में वेतन आयोग फिर नियुक्त करें तो यह उपयुक्त नहीं होगा। उस केन्द्रीय वेतन आयोग की हमारे सामने सिफारिशें मौजूद हैं, सारे हिन्दुस्तान के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए उस आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं, इसलिए राजस्थान में फिर कोई वेतन आयोग नियुक्त करने का विचार उपयुक्त नहीं है। टाइम हो रहा है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि फाइनेन्स के स्तर को सचेत कर इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

इससे एक फायदा हो सकता है। माननीय सदस्य जो विरोधी दल के हैं वे एक प्रकार से एक्स्प्लोइटेशन कर सकते हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में, कह सकते हैं कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस वाले नहीं चाहते। इस प्रकार का एक्स्प्लोईटेशन वे करना चाहें। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि चाहे किसी भी दल के सदस्य हों उन सब को उनके प्रति सिम्पैथी है। कुछ तो जिम्मेदारी से इस बात को सोचते हैं और कुछ केवल भावना वश ही ऐसा प्रस्ताव रखते हैं। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हमने अभी बजट पास किया है। हमने यह देखा है कि हम २५ लाख की एडमिनिस्ट्रेशन में बचत करने जा रहे हैं। एक तरफ तो बचत करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ सदन में इस प्रकार के खर्चे की बातआ ये, इन दोनों में एक विरोधाभास है। इसलिए सदन के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव का वे विरोध करें। मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री दलपतसिंह : सभापति महोदय....

श्री सभापति : समय तो हो गया है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदय, मैं केवल दो मिनट ही कहना चाहता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेन्ट बात है जिसकी ओर माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यह एक जनरल प्रोब्लम है कि उनकी आर्थिक हालत गिरती जा रही है और उनको अपने स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए तनख्वाह नहीं मिल रही है। सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है तो हिल स्टेशन, मॉउन्ट आबू पर रहने वाले कर्मचारियों पर हो रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे ऑपोज़िशन के हों, माननीय सदस्य इसको न्यायपूर्वक देखेंगे कि नीचे, माउन्ट आबू से नीचे के हिस्सों में फूड प्राइसेज़ में और ऊपर माउन्ट आबू के फूड प्राइसेज़ में काफी डिफरेन्स है। उन कर्मचारियों को वह ही तनख्वाह मिलती है जो कि सिरोही और आस-पास की जगहों में माउन्ट आबू से नीचे रहने वाले हैं उनको। हिल स्टेशन के कर्मचारियों के लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उनके वेतन को ठीक करने के लिए जल्दी से जल्दी विचार करें। यह इम्पोर्टेन्ट बात है जो मैंने आपके सामने रखी है।

२ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आप देखेंगे कि नीचे रहने वाले जो भी

(श्री दलपतसिंह)

कर्मचारी हैं वे यदि हिल स्टेशन पर आते हैं तो उनको हिल स्टेशन का अलाउन्स स्पेशल टी० ए० और डी० ए० मिलता है। जयपुर से जो भी कर्मचारी जाते हैं उनको भी हिल अलाउन्स मिलता है। सर्वे डिपार्टमेन्ट, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया, का जो स्टाफ रहता है उनको भी हिल अलाउन्स मिलता है। पहले जितने भी कर्मचारी माउन्ट आबू पर रहा करते थे उन सब को हिल अलउन्स ज्यादा मिला करता था। माउन्ट आबू पर जो स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग है वह नीचे की अपेक्षा काफी ऊंचा है इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ हिल अलाउन्स उन लोगों को दिया जायगा जो हिल स्टेशन्स पर काम करते हैं, यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी आज जो यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया है उसकी चर्चा करने पर कुछ तथ्यों की छानबीन करने का अवसर प्राप्त हुआ, वह एक हद तक अच्छा हुआ है। सबसे पहले तो मैं उन माननीय सदस्यों को खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ जिन्होंने यह कहा कि हम समाजवादी तंत्र की बातें तो करते हैं लेकिन उसकी ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं, जो भेद चला आ रहा है वह भेद ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। मैं उन माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि शायद वे इस बात को जानते होंगे, समाजवाद का मतलब केवल यह नहीं कि सब की इनकम को बराबर कर दिया जाय उससे समाजवाद आ जायगा; समाजवाद का मतलब है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये कई कार्यक्रम अपनाने होंगे। इस पर भी राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो एक विचारधारा को रिप्रेजेन्ट करते हैं उनका कहना यह है कि चाहे डेवलपमेन्ट के काम हों या न हों, हमें वेतन तो बढ़ा देना चाहिये, मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि अगर हम हमारे वर्क्स जो चल रहे हैं उनको अगर रोक देते हैं और रात-दिन के खर्चे के अन्दर, रेकरिंग खर्चे में बढ़ोतरी कर देते हैं तो इस तरह से कैसे समाजवाद आयगा ? उससे तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं और जो कुछ लक्ष्य हमने निर्धारित किया है उस लक्ष्य से हम दूर भागते हैं।

एक बात जो ज्यादातर माननीय सदस्यों ने कही वह है कि हमने ऊपर के कर्मचारियों का वेतन काफी बढ़ा दिया है और यह भी कहा कि उनके अनुपात से हमारे यहां के क्लास चार और क्लास तीन के कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय तो मैं समझता हूं जब इस स्केल में....

(श्री जनार्दनराय नागर के मंत्री महोदयों की एक कुर्सी में बैठने पर)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of information, Sir, whether a new member has been sworn in the Cabinet ?

श्री उपाध्यक्ष : No, that is not so. And the new member is not conscious of what is being said in the House about him.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : He is busy in something else.

तो मैं जिक्र कर रहा था, जो स्केल यहां रखे गये हैं जब

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इस संबन्ध में चर्चा हुई तो इस सम्बन्ध में जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त पे कमीशन की सिफारिश है उसकी एक अधिकृत रिपोर्ट भी हमारे समक्ष आयी। इस पे कमीशन की रिपोर्ट में बहुत से आंकड़े और बहुत सी सूचनायें दी हुई हैं जिन सूचनाओं के आधार पर मैं सोचता हूं, हमें समझने में आसानी होनी चाहिये। इन सूचनाओं के आधार पर हमें तथ्य पहिचानने में काफी सहूलियत होगी। ये कमीशन की रिपोर्ट है उसके टेबल नं० २ में जो कि पेज ४६ पर है शायद यह रिपोर्ट कुछ माननीय सदस्यों के पास भी होगी, उस पेज पर इस बात का जिक्र किया गया है क्लास वन, टू, थ्री और फोर्थ, इनके अलग अलग एवरेजेज़ क्या हैं सारे हिन्दुस्तान के अन्दर वह बताया गया है। मैं आपके सामने उन सारे आंकड़ों को रखूं उसके बजाय यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक क्लास वन का सवाल है जिसके बारे में बहुत चर्चा की गई और कहा गया कि राजस्थान में दूसरों के मुकाबले हमारे यहां का एवरेज़ ज्यादा है, मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि जो क्लास वन का एवरेज इस रिपोर्ट में दिया गया है उसमें हमारे वेतन का एवरेज सिर्फ मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर से कुछ ज्यादा है क्लास वन में।

क्लास सैकन्ड को लीजिये जिनसे हमारे यहां ज्यादा है वे स्टेटस् हैं मध्य प्रदेश, काश्मीर, उड़ीसा और यू० पी०। क्लास दो के कर्मचारियों को हम देखें तो सिर्फ दो राज्यों में हमारे से बेहतर है वेतन स्तर।

जहां तक क्लास तीन का सवाल है इन सारे राज्यों के मुकाबले हमारा वेतन स्तर ऊंचा रहेगा।

क्लास फोर्थ की बहुत चर्चा हुई। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि क्लास फोर्थ का जहां तक सवाल है आठ राज्यों से हमारे यहां के वेतन स्तर अच्छे हैं। जो हम देते हैं वह इन स्टेटो से एवरेज में ज्यादा पड़ता है। जम्मू-काश्मीर पंजाब, उड़ीसा, बिहार, यू० पी० और मध्य प्रदेश इन राज्यों से हमारा एवरेज ज्यादा है। इसके अलावा एक-दो राज्यों में जहां ज्यादा है वहां केवल एक दो रुपये का अन्तर है। यह जो सूचना मैं आपको दे रहा हूं वह पे कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसी के आधार पर दे रहा हूं। इससे स्थिति काफ़ी स्पष्ट हो जायगी।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है, जिस पर सोचना उचित भी है। मैंने भी इस विषय में जानने की कोशिश की है। ज्यादा से ज्यादा जो तनख्वाह हमारे यहां पर देते हैं क्लास वन और क्लास फोर्थ में और बीच की श्रेणी में जो अन्तर है वह बहुत ज्यादा बताया गया है। यह अन्तर कम होता जाय, हम भी इसी नीति पर चल रहे हैं। राजस्थान के क्लास वन सर्विसेज की तनख्वाह का जो एवरेज़ दिया गया और क्लास फोर्थ का जो एवरेज़ दिया गया है उसका मिलान गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया के क्लास फोर्थ से जो उनको मैग्ज़ीमम मिलता है उसका एवरेज ११.६ टाइम्स है। जब कि राजस्थान के अन्दर क्लास फोर्थ और क्लास वन का एवरेज़ ११.३ पॉइन्ट आता है। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इस वक्त में आसाम में ११.३ है, बम्बई स्टेट में अकेली है ६, ६

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का अन्तर है वहां दूसरे स्टेट में हमसे ज्यादा अन्तर है। हाइएस्ट केटेगरी क्लास वन से जो क्लास फोर्थ के बीच का अन्तर है वह राजस्थान के अलावा बॉम्बे और आसाम का कम है, उसके बाद में राजस्थान का नंबर आता है जहां इन स्टेट्स से अन्तर कम है। दूसरा इसमें इस बात का रिफलेक्शन नहीं मिलता, हमारे यहां जो एज्युकेशनल मेडीकल फेसीलिटीज़ हैं विशेष तौर से २५० से कम वेतन पाने वाले जितने भी कर्मचारियों के बच्चे हैं उनके लिये हमने फ्री एज्युकेशन कर रखी है। बम्बई आसाम आदि दूसरे प्रान्तों में इस बारे में क्या सुविधा है, इसका पता नहीं है। उनको जोड़ा जावे तो मैं समझता हूं कि दूसरों का जो अन्तर अभी है उसमें फर्क पड़ जावेगा। पर आपकी जानकारी के लिये यह इसलिये मैंने रखा कि यह कल्पना कि हमारे यहां की स्थिति दूसरों के मुकाबले में अच्छी नहीं है, ठीक हो सके। पर क्लास फोर के लेवल पर यह कहने का प्रयत्न किया गया जैसे जोबनेर से आने वालों ने, वे शायद जोबनेर से ही आये हैं, कहा कि उनकी स्थिति बहुत खराब है। तो मैंने इस दृष्टि से ये आंकड़े रखने का प्रयत्न किया है।

दूसरे, माननीय उपाध्यक्षजी, एक बात विशेष तौर से उल्लेखनीय है और जो शायद माननीय सदस्यों की भी जानकारी में है कि हमारे यहां १९५० के अन्दर क्लास फोर को ३७) रु.वेतन मिलता था मंहगाई सहित। अब उनका वेतन मंहगाई सहित ५०) बनता है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): मैग्ज़िमम ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं मिनिमम। ३७) से ५०) का स्पोन्डिंग फिगर है और फूड इन्डेक्स जो दे रखा है पुस्तिका में, जो माननीय सदस्यों में प्रसारित की गई हैं जो स्टेटिस्टिक्स के सम्बन्ध में है, उसको आपने सब ने देखा होगा; उसमें अजमेर के बेसिस पर वे आंकड़े उपलब्ध हैं, वे राजस्थान के आधार पर नहीं हैं, ४२ पेज पर हैं मेरे ख्याल से, तो वहां एक कन्ज़ूमर्स गुड्स की प्राइस इन्डेक्स का एक ग्रुप दिया हुआ है। उसको देखने से मालूम होगा और दूसरे आंकड़ों से भी मालूम होगा और एक क्वार्टरली डाइजेस्ट, जो हमारे यहां से प्रकाशित होता है उससे भी मालूम होगा कि फूड कोमोडिटीज़ की प्राइसेज़ तब से ६ पर्सेन्ट इन्क्रीज़ हुई हैं। आज कन्ज़ूमर्स गुड्स की प्राइसेज में इस इन्क्रीमेन्ट के मुकाबले में वेतन जो उनका ३७) से ५०) बढ़ा है तो इसमें ३५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यह ६ के मुकाबले में ३५ का अन्तर है। बीच में, सही है कि कुछ प्राइसेज ५५ में नीचे भी गई हैं फिर ऊंची भी गई हैं, पर फिर भी मैं उस वक्त की प्राइसेज़ और आज की प्राइसेज़ का पर्सेन्टेज ही बता रहा हूं। तो यह अन्तर मैंने आपके सामने रखा। फिर भी आपकी जानकारी के लिये मैं दोहरा दूँ, आप लोगों में करीब सभी जानते हैं उसे, फिर भी दोहरा दूँ तो अनुचित नहीं होगा कि दूसरी योजना काल के अन्दर ही सन् १९५६ में रेशनेलाइज़ पे स्केल फर्स्ट मार्च, से यहां लागू किया गया और इसके अन्दर जिनको २५०) से कम वेतन मिल रहा था उनको एक एडवान्स इन्क्रीमेन्ट दिया गया। ५६ के बाद ही १ अप्रेल, ५७ से, फिर ५) का एड-हॉक इन्क्रीमेन्ट दिया गया जो भी ढाई सौ से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नीचे वालों के लिये था। इसके बाद ५८ के अन्दर फिर ५) का जहां तक इस कैटेगरी के कर्मचारियों का सवाल है एक एडहॉक इन्क्रीमेन्ट इनको दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि इन पिछले सालों में १०) एडहॉक और रेशनेलाइज्ड पे स्केल में एक एडवान्स इन्क्रीमेन्ट ५६ से अब तक के समय के बीच में दिया गया उन कैटेगरीज़ को जिनकी विशेष तौर से चर्चा की जा रही है और फिर ऐसा नहीं है कि हम सतर्क नहीं हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हम यहां पर वेतन दे रहे हैं उसको अगर बढ़ाया जा सके तो मैं समझता हूं कि कोई यह नहीं कहेगा कि नहीं बढ़ाया जावे। पर जैसा पहले भी निवेदन किया था कि जितने कर्मचारी हैं और उनको जितना हम वेतन दे रहे हैं हमारे यहां के पर-कैपिटा टैक्सेशन के स्ट्रेक्चर को देखते हुए और बातों को लक्ष में रखते हुए उस दृष्टि से विचार किया जावे। अगर सदन में एक पक्ष पर चर्चा हो तो दूसरा पक्ष भी ध्यान में रखना चाहिये। हम यह कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह बढ़ा दी जावे तो उन सबका इम्प्लीकेशन स्पष्ट तौर से सामने रखना होगा। प्रस्तावक ने कहा कि हम २५ प्रतिशत इन्टेरिम रिलीफ दें। मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करूं कि अगर हम ५) २५०) तक वेतन पाने वालों के तबके में बढ़ावें तो इसका मतलब यह होता है साल का ६८ लाख रुपया का अतिरिक्त खर्चा। अगर दस रुपया बढ़ावें तो एक करोड़ ८८ लाख रुपया इसकी वज़ह से बढ़ता है। जब कि दस बढ़ाने से भी मैं समझता हूं कि प्रस्ताव की बात की पूर्ति भी नहीं होगी। उनके अनुसार अगर बढ़ाया जावे तो साल में चार करोड़ की वृद्धि होती है।

आज जब हम टैक्स और बढ़ाने की बातें बजट में लेकर आते हैं तो सबकी जानकारी में है कि एक एक रुपया किस तरह बचे इसकी काफी चर्चा होती है। साथ साथ जो इस बार आपका बजट स्पीच के मौके पर वित्त मन्त्रीजी ने आपके सामने बात यह कही कि हम ५ प्रतिशत क्लास फोर में और १० प्रतिशत हम क्लास थ्री में कमी करना चाहते हैं जिससे हमारे यहां पर स्टाफ को कम करके ठीक स्थिति लावें तो इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि यह भी कमी नहीं होनी चाहिये। मैं आपकी जानकारी के लिये और निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैंने जो ५८ से ६० के रिवाइज्ड एस्टीमेट के बेसिस पर जो अगर उपलब्धि हो सकती थी तो हिन्दुस्तान भर के अन्दर कर्मचारियों की जो सब जगह एक करोड़ की रेवेन्यू के रिसोर्सेज पर कितना स्टाफ वे लगाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो हमारे यहा कुछ रेशो बढ़ा, जिसमें एक कारण हो सकता है कि स्कूल टीचर्स की तादाद भी इन्क्लूडेड है इसलिये ज्यादा नम्बर मालूम होता है पर दूसरे राज्यों में यह नहीं है। इतना बड़ा अन्तर है कि आज वहां पर आसाम में एक करोड़ की रेवेन्यू के रिसोर्सेज़ पर १,७७६ एम्प्लॉयीज रखे गये हैं, बंगाल जैसी जगह, १,५३२ हैं, बिहार में २,४३५ हैं, उडीसा में २,६१७, मध्य प्रदेश में २,७००, यू.पी. में २,६३२, पंजाब में १,८३३ और राजस्थान में ४,१६० हैं, बम्बई में १,६३५; आन्ध्र में २,४००, मद्रास में १६१६, मैसूर में ३,०४३ और केरल में २७०० हैं। ये फिगर्स इसलिये रखना चाहता हूँ कि हमारे यहां हमने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कितने एम्प्लॉयीज़ रख रखे हैं। हालांकि राजस्थान का एरिया काफी फैला हुआ है और इसके साथ साथ बोर्डर की रेस्पोन्सिबिलिटी भी हमारी है। साथ साथ प्राइमरी स्कूल के लिये टीचर्स हैं। फिर भी रेवेन्यू रिसोर्सेज़ के मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले में बढ़ते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम निगाह डालें तो मालूम होगा कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहां खर्चा होता है। उन सबको देखते हुए और साथ साथ सदन में जो चर्चा होती है कि जब हम यह कहते हैं कि यह कमी नहीं है रिट्रेन्चमेन्ट नहीं है, एडजस्टमेन्ट है विकास के नेक्स्ट प्लान के लिये है, तो उसमें भी ऐतराज है। तो इन सारे फैक्टर्स पर विचार करेंगे तो स्पष्ट होगा कि जहां हमारे यहां यह जरूरत है कि यहां कुछ जगह कम कर्मचारी काम करें और साथ साथ हमारी आमदनी को बढ़ावें तब तो हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि हमारे आंकड़े ज्यादा से ज्यादा सुधरें। पर फिर भी जैसा निवेदन किया दूसरों के मुकाबले में राजस्थान की आमदनी और दूसरी सारी हालतों को देखते हुए मैं सोचता हूं कि यहां पर पिछले वर्षों में इस दिशा में जितने सम्भव हो सकते थे प्रयत्न किये गये हैं। और इसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती कि और ज्यादा किये जा सकें तो किया जाना चाहिये। उनका हमें विचार करना चाहिये। हम भी विचार करते हैं जिस तरह से हो सकता है। पर इन हालतों में रहते हुए हम जो स्टेप्स ले रहे हैं उनके पूरा हुए बिना आज ही प्रस्ताव पास कर दें तो उस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया जा सकता क्योंकि वित्तीय स्थिति और अन्य सारी स्थितियों को हमें देखना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इस बार भी कहा गया कि गेजटेड ऑफिसर्स काफी बढ़ रहे हैं। इसकी वजह है और वे गजेटेड ऑफिसर इसलिये बढ़ते हैं कि कहीं राजस्थान कैनाल का काम शुरू होता है तो कहीं चम्बल का काम बढ़ता है, कहीं इरिगेशन का काम चल रहा है तो कहीं कुछ योजना का काम हाथ में लिया जा रहा है। हाई स्कूलें ज्यादा खुली हैं, स्कूलें ज्यादा खुली हैं तो इसका अन्तर पड़ता है। कॉलेजों में सैक्शन ज्यादा बढ़ी, लेक्चरार ज्यादा बढ़ते हैं। हमें मास्टर, लेक्चरार्स, टेकनीशियन्स और इन्जीनियर्स चाहिये तो वहां तो तादाद बढ़ेगी ही। विकास के काम में हम इनकी तादाद को रोक कर नहीं चल सकते। जब विकास का काम हम बढ़ाते हैं तो इधर दूसरी तरफ भी काम बढ़ता है। कलेक्टर पर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो उनको हमें एडीशनल कलेक्टर भी देने होते हैं, और और चीजों के भी करने की आवश्यकता आ पड़ती है। तो मैं समझता हूं कि सारे प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार किया जावे तो स्पष्ट होगा कि जो आज ऑफिसर बढ़ाने पड़ते हैं वे कई कारणों से बढ़ाने पड़ते हैं। पर मैं यह भी समझता हूँ कि सब जानते हैं कि कोई जिला कम कर दिया जावे, कोई तहसील कम कर दी जावे तो बहुत से सदस्य ही कहेंगे कि कम क्यों कर रहे हैं? थाना कम क्यों कर रहे हो, तहसील कम क्यों कर रहे हो? डिस्ट्रिक्ट भी वे कोई कम करना नहीं चाहते। तो इन सारी हालतों में मैं समझता हूं सदन इस पर विचार करेगा तो....

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर): फुलेरा की तहसील तो तोड़ **रहे हैं** आप?

Page No.64

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टूटी नहीं होगी, कहीं न कहीं दूसरी जगह आ गई होगी। फुलेरा के बजाय सांभर चली गई होगी। एरिया में या जुरिस्डिक्शन में कहीं फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि हिस्टोरिकली, जोग्राफिकली और हालात को सामने रखते हुए हमें चलना पड़ रहा है। इसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इस तरह का कोई हम सुधार कर पावें और इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति में जितना सुधार किया जा सके, करें। तो जिनके लिये प्रस्ताव आया है उन क्लास फोर के लिये कुछ विचार किया जा सके। क्लास थ्री कर्मचारियों के लिये हम कोई अन्य राज्यों के मुकाबले में सबसे नीची स्थिति में हों, ऐसा नहीं है। दूसरों के मुकाबले में कई मामलों में कई राज्यों से क्लास थ्री में भी हम ज्यादा हैं। पर फिर भी हमारी कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी स्थिति में सुधार करने की और इसकी हमारी इच्छा है। हमारे मन में यह प्रश्न नहीं आता कि हम ज्यादा कर सकते हैं तो भी न करें।

ज्यादा किया जाना चाहिए, उसके बारे में कोई कहे कि जो कुछ मिल रहा है बहुत ज्यादा मिल रहा है क्लास थ्री और फोर को, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो इस बात का है कि जितने साधन हैं उनके अनुसार ही उसको किया जा सकता है। साधनों को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो बचत की जा सकती है उसको करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं और उसको कामयाबी के साथ उपयुक्त समय पर करेंगे इसके ऊपर भी सरकार हमदर्दी के साथ सोचेगी, ऐसा मानकर सदन को चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात सदन के सामने रखता हूं और आशा करता हूं कि इस संकल्प की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि पे कमीशन सारे हालात हमारे सामने रख चुका है और जो बातें मैंने आपके सामने रखीं उनको देखते हुए यह प्रस्ताव अगर पास किया जाये तो इसके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जो इस पक्ष में बैठ कर सरकार चला रहे हैं; कोई भी सरकार ४ करोड़ रुपये की वेतन में वृद्धि करके नहीं चला सकती है, मेरी ऐसी निश्चित मान्यता है। इन बातों को देखते हुए इस प्रस्ताव को प्रस्तावक महोदय नहीं रखेंगे और अगर रखेंगे तो सदन उसका विरोध करेगा, ऐसी मुझे आशा है।

(करतल–ध्वनि)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था सदन के नेता के अतिरिक्त केवल दो सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया है....

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप प्रस्ताव का उत्तर देना चाहते हैं, I don't think it exists there at all.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : I draw your attention to Rule 277. Rule 277 clearly lays down After the member who moves a motion has spoken, other members may speak to the motion in such order as the Speaker may call upon. If any member who is so called upon does not speak, he shall not be entitled, except with the permission of the Speaker, to speak to the motion at any later stage of the debate.

Page No.65

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(ii) Except in the exercise of a right of reply or as otherwise provided by these rules no member shall speak more than once to any motion, except with the permission of the Speaker.

(iii) A member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion is moved by a private member, the Minister concerned may, with the permission of the Speaker, speak (whether he has previously spoken in the debate or not) after the mover has replied."

So accordingly a member who has moved a motion has got a right of relpy.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : Let me ascertain the position.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : The House will go in vacuum.

श्री उपाध्यक्ष : If any member who is so called upon does not speak, he shall not be entitled, except with permissisn of the Speaker, to speak to the motion at any later stage of the debate. Except in the exercise of a right of reply or as otherwise provided by these rules, no member shall speak more than once to any motion, except with the permission of the Speaker. A member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion is moved by a private member the Minister concerned may with the permission of the Speaker, speak (whether he has previously spoken in the debate or not) after the mover has replied.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रोवीज़ो भी है : 'Provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to give any right of reply to the mover of an amendment to a Bill or a resolution save with the permission of the Speaker.'

So this clause is merely discretionary. It depends upon the Chair whether he should exercise this or not...

श्री पी.के.चौधरी(फुलेरा): On previous occasion also, the Chair has already given a ruling that the mover has no right to reply...

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : There is no such ruling.

श्री पी० के० चौधरी : On the previous occasion, there was...

श्री उपाध्यक्ष : I think there is a ruling to this. Let me ascertain मेरा विश्वास है कि इस संबंध में व्यवस्था दी जा चुकी है और एक नहीं कई बार दी जा चुकी है, इसलिए मूवर को कोई अधिकार नहीं है बोलने का ।

Page No.66

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में....

श्री श्रीभानसिंह : On a Point of Order, Sir,...

श्री भैरोंसिंह : What is that? Let me say first. He should have patience to hear me first. मैं यह निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!! आप किस संबंध में बोलना चाहेंगे ?

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस संबंध में आप नहीं बोल सकते।

श्री भैरोंसिंह : मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या नहीं, यह उनको पता नहीं है कि मैं किस संबंध में बोल रहा हूं। आप फिर क्यों बीच में बोल रहे हैं ? मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी जो आपने रूलिंग दी है....

श्री पी० के० चौधरी : But the discussion on the Bill has already stopped.

श्री उपाध्यक्ष : I don't think the Hon'ble Member is speaking on the Ruling that is given by the Chair just. It is some thing othlrwise.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जब चेयर व्यवस्था दे चुकी है तो....

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के ऊपर नहीं बोल रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : But what, Sir?

श्री उपाध्यक्ष : Let me have the glimpse.

श्री पी० के० चौधरी : He has not raised any Point of order or anything. Is he going to speak on the resolution?

श्री भैरोंसिंह : जिस तरह से आपने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं किया है, यों ही बोल रहे थे, शायद वह अधिकार मुझे भी था।

श्री पी० के० चौधरी : I said that the Speaker, the Chair has given its ruling.

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member is not convessing the Ruling.

श्री भैरोंसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने रूलिंग दी है उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, पर मैं यह जानकारी चाहता था कि रूलिंग के कारण आगे हमेशा के लिए क्या यह समझा जाये कि जो रूल्स में आपका डिस्क्रिशन एप्लाई करने के बारे में चेयर को अधिकार दिया है, वह हमेशा के लिए मान कर चला जाये या रूल्स के अन्दर इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट हो गया है....

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक व्यवस्था का संबंध है वह तो सदन के सम्मुख है ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह असर किसी भी समय उपयुक्त समय पर इससे डिपार्चर नहीं करे, ऐसी मेरी मान्यता है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी सूरत में, मैं,

(श्री भैरोंसिंह)

निवेदन करूंगा कि यह बहुत अहम मसला है और पुरानी रूलिंग्स को कनवेन्शन नहीं मान कर इस संबंध में अपना डिस्क्रिशन अपोज़ीशन के पक्ष में करें तो ठीक रहेगा...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! इस संबंध में व्यवस्था दी जा चुकी है। जहां तक डिस्क्रिशन के एप्लाई किये जाने का था वह दृष्टिकोण में लिया था।

(विराम)

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री शंकरलाल ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री शंकरलाल : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जो मैंने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प गिर गया।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : You want a divison then?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प गिर गया।

श्री भैरोंसिंह : Ayes have it, Sir.

Page No.68

श्री उपाध्यक्ष : Again Division ? I think it will be advisable to save the time of the House and, therefore, I may request the Hon'ble Members...

श्री जगदीशप्रसाद माथुर(सीकर) : This is not misuse of the time.

श्री उपाध्यक्ष : It is a matter of...

श्री भैरोंसिंह : It is a wrong convention.

श्री उपाध्यक्ष : Convention has been established. So far as the convention is concerned, we have established the convention. Anyhow the 'Ayes' will go to the 'Ayes' lobby an 'Noes' to the 'Noes' lobby.

(मत-गणना के पश्चात्)

House to order.

(विराम)

Noes—55 & Ayes—20

संकल्प अस्वीकार किया गया।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

('हां' एवं 'ना' पक्ष में जिन सदस्यों ने मत-दान में भाग लिया वे सदस्य निम्न प्रकार हैं)

'हां' पक्ष

श्री अनूपसिंह।
श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
श्री चन्द्रसिंह यादव
श्री दलपतसिंह
मेजर श्री फतेहसिंह
श्री गज्जा पटेल
श्री हीराभाई
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री कालूराम
श्री किशनाराम
श्री मोगजी भाई
श्री मोहरसिंह
श्री मुक्तिलाल मोदी
ठाकुर श्री रघुवीरसिंह
श्री रामकरणसिंह
श्री रामनारायण वर्मा
श्री रिद्धिचन्द
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री श्रीराम बासोतिया
श्री वीराराम

'ना' पक्ष

श्री अब्दुल गफ्फारखां
श्री अमरा मीना रावत
डॉ० बहादुरसिंह
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
श्री भैरोंसिंह (खेजड़ला)
श्री भवानीशंकर नंदवाना
श्री भीखाभाई
श्री भीमसेन
श्री भोगीलाल पंड्या
श्री भोलानाथ
श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
श्री बृजमोहनलाल शर्मा
श्री चन्दनमल वैद

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री दौलतराम सारण
श्री देवा गिरासिया
श्री धर्मपाल पंवार
श्री गणपति लाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री अमृतलाल यादव
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री
श्री हजारीलाल बकोलिया
श्री जयचन्द्र मोहिल
श्री जयसिंह रानावत
श्री जनार्दनराय नागर
श्री जेठमल बरवड़
श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
श्रीमती कमला श्रोत्रिय
श्री कान्हा रेगर
श्री किशनसिंह बाटड़
श्री लालूराम टटवाड़िया
श्री लक्ष्मण हीरात
श्री माणकचन्द कोठारी
श्री मांगीलाल
श्री मनोहर कोठारी
श्री मोडूलाल मीणा
श्री मोहब्बतसिंह
श्री मोहनलाल सुखाड़िया
श्री मूलचन्द डागा
श्री मोतीलाल
राव श्री नारायणसिंह (मसूदा)
श्री नरोत्तमलाल जोशी
श्री परसराम मदेरना
श्री पी० के० चौधरी
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री रामकिशोर व्यास
श्री रामलाल बंसीवाल
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री सज्जनसिंह
श्री शंकरलाल
श्री सोहनलाल भटनागर
श्री श्रीभानसिंह
श्री सूबेदारसिंह
श्री सुगनचन्द जैन
श्रीमती सुमित्रा देवी
श्री विद्यासागर

रिक्शाओं का वितरण नगरपालिका द्वारा करने सम्बन्धी गैरसरकारी संकल्प

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संकल्प इस प्रकार

(श्री मोगजी भाई)

है : सदन की यह सम्मति है कि नगरपालिका क्षेत्रों में रिक्शा चालकों के शोषण को रोकने के लिये रिक्शाओं को ठेके पर दिये जाने की प्रथा को समाप्त किया जाकर रिक्शाओं का वितरण नगरपालिकाओं द्वारा किया जाय । इससे नगरपालिकाओं की आमदनी में भी वृद्धि होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम यहां आते हैं जयपुर नगर में तब देखते हैं कि रिक्शाओं को आदमी घोड़े की तरह से खींच कर उसमें बैठे हुए आदमियों को लाता ले जाता है। वह किस प्रकार से रिक्शा खींचता है और उसकी हालत किस प्रकार की है जब हम उसकी दुःखद कहानी सुनते हैं तो हमें शर्मिन्दा होना पड़ता है । हमारे प्रजातन्त्र राज्य में आजादी मिलने के बाद बेकार लोगों को इस प्रकार का धन्धा करना पड़ रहा है, इन्सानों को घोड़े की तरह खींच कर अपना जीवनयापन करना पड़ता है । हमें उनसे यह जानकारी मिलती है कि जो रिक्शा चलाते हैं उनके परिवार की क्या हालत है और किस प्रकार से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। रिक्शा चलाने से बहुत जल्दी फेफड़ा खराब हो जाता है और उस कारण से जल्दी ही आदमी की मृत्यु हो जाती है । ऐसा भी अनुभव है ।

रिक्शा के जो मालिक होते हैं वे अपने अधिकार में रिक्शा का लाइसेन्स ले लेते हैं और वे लोग रिक्शा चलाने वालों को किराये पर रिक्शा रोजाना देते हैं और उसका मुनाफा इस तरह के कुछ लोग उठाते हैं। जो लोग २४ घन्टों तक रिक्शा चलाते हैं उनको दिन भर में मजदूरी मिले या न मिले लेकिन रिक्शा के मालिक को तो उन्हें किराया देना ही पड़ता है । एक दिन के हिसाब से जो किराया बंधा हुआ होता है वह तो उनको चुकाना ही पड़ेगा । साथ ही साथ उनके साथ ऐसा व्यवहार राजस्थान की पुलिस करती है कि यदि रिक्शेवाला कहीं पर रिक्शा छोड़ कर पेशाब करने, या टट्टी जाने या पानी पीने के लिये चला जाता है तो उसका चालान कर दिया जाता है और उसका दंड उसको भोगना पड़ता है। इस प्रकार से घोड़े की तरह इन्सान को खींचता है अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिये उसके साथ इस प्रकार का अन्याय होता है लेकिन राज्य सरकार उसके लिये किसी प्रकार की रियायत या सुविधा देने का कोई कदम नहीं उठा रही है, इस-लिये मेरा यह संकल्प है। रिक्शा चालकों को किराये के रूप में जिस प्रकार से लूटा जाता है और कुछ लोग उनसे हजारों रुपयों का फायदा उठाते हैं ठेकेदारी के कारण उसको समाप्त करके रिक्शों का किराया कम करना चाहिये और साथ ही साथ उनको दूसरी सुविधाएं प्राप्त हो सके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए और इससे नगरपालिका की आमदनी बढ़ सके ऐसा भी कदम उठाना चाहिये। रिक्शों से आमदनी का हिसाब किस प्रकार से बैठता है उसके लिये जयपुर शहर के आंकड़े सदन को बताना चाहता हूँ। जयपुर में रिक्शा चलाने वाले करीब २,८०० आदमी हैं और जयपुर में करीब ६०० रिक्शे हैं। जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनसे नगरपालिका २ रु० सालाना लेकर उनको लाइसेन्स देती है । रिक्शा चलाने वालों का खुद का रिक्शा बहुत कम होता

(श्री मोगजी भाई)

है ; वे लोग रिक्शा के मालिकों के पास से २।।) रु० या २) रु० रोज पर किराये लाते हैं । दिन भर आदमियों को खींचते हैं और २४ घन्टों में ढाई रुपये जमा करके उनके पास चाहे पीछे कुछ बचे या न बचे, अपने हाथ मलते हुए वापिस घर लौटते हैं । ऐसी हालत में उनको यदि पुलिस ने चालान कर दिया तो उनको जेल तक जाना पड़ता है या जुर्माना भुगतना पड़ता है । उनके परिवार का कैसे पोषण होता होगा, यह समस्या बहुत भारी है । राज्य सरकार को चाहिये कि नगरपालिका को रिक्शे खरीदने का कहे और नगरपालिका रिक्शा चलाने वालों को वितरण करे । ६०० रिक्शों का हिसाब लगावें तो एक दिन में २।। रु० के हिसाब से २,२५०) रु. रोज रिक्शा के मालिकों को रिक्शा चलाने वाले देते हैं । ये २,२५०) रु. एक दिन में मालिकों को मिल जाते हैं । इस रूप में मालिकों को यह रकम सीधी मिलती है । इस हिसाब से मासिक हिसाब बैठाते हैं तो ६७,५००) रु. एक महीने में सीधा रिक्शा मालिक को मिल जाते हैं । ये रुपये रिक्शा चलाने वाले उनको देते हैं । एक महीने में यह इन्कम ६७,५००) रु. बैठती है । यदि २) रु. रोज के हिसाब से ६०० रिक्शों का हिसाब लगावें तो महीने में ५४,०००) रु. बैठते हैं । इतने रुपये रिक्शा-वालों को रिक्शा खींच कर, कमा कर या अपनी जेब से उन्हें देकर मासिक ५४,०००) रु. रिक्शा के मालिकों को देने पड़ते हैं । इस तरह से यदि सालाना या वार्षिक हिसाब लगाया जाय तो ६ लाख, ४,८००० रु. वार्षिक मिल जाते हैं । इस प्रकार से इतनी बड़ी रकम रिक्शा खींचने वाले आदमी अपना जीवन–दान करके, इतनी मेहनत से इन्सान को खींच कर, कमाकर मुनाफाखोर ठेकेदारों को देते हैं, सरकार जिनको लाइ-सेन्स देती है । अगर इस ६ लाख, ४८ हज़ार के लिए नगरपालिकायें इस प्रकार रिक्शाओं की व्यवस्था करे, यदि रिक्शाओं की व्यवस्था करके सीधा वितरण करे और रिक्शाओं को किराये पर चलाने वालों को दिया जाय, तो जो रकम इतनी बड़ी सीधी रिक्शाओं के मालिकों को मिलती है, ठेके-दारों को मिलती है वह सीधी नगरपा-लिकाओं को मिलेगी और नगरपालिकाओं को ६ लाख रुपये की आमदनी सालाना होगी । तो इस प्रकार एक बड़ी रकम के लिए यदि रिक्शा खरीद कर नगरपालिका व्यवस्था करे तो नगरपालिका जो दूसरे दूसरे छोटे छोटे व्यापारियों से टैक्स लेती है, उनको कम कर दिया जा सकता है और एक बहुत बड़ी आमदनी नगरपालिका को हो सकती है । ये रिक्शा जयपुर में ही नहीं हैं बल्कि अलवर, भरतपुर, कोटा आदि अन्य जगहों पर भी हैं । जहां जहां बड़ी नगरपालिकायें हैं वहां रिक्शा हैं और उन नगरपालिकाओं के लिए आमदनी का सीधा और बहुत आसान जरिया है । इसके लिए सरकार म्यूनिसिपल एक्ट में म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारों में संशोधन करके नगर-पालिकाओं से इसकी व्यवस्था कराये और रिक्शाओं को किराये पर देने के लिए कम रेट्स की जाय ताकि दोनों को मुनाफ़ा हो और रिक्शा चालक को भी सीधा मुनाफ़ा मिल सके जिससे वह अपना और अपने परिवार का पोषण कर सके । साथ ही रिक्शा खींचने के कारण जो बीमारियां हो जाती हैं और जिन्दगी में असुविधा होने

(श्री मोगजी भाई)

की वजह से दवा नहीं करा सकते और उन्हें किसी प्रकार राहत नहीं मिलती है, इसके जरिये राहत मिलेगी और वे अपने परिवार का पोषण कर सकेंगे, यदि सरकार इस संकल्प को मानते हुए इसको स्वीकार करे तो। इसी प्रकार मैंने यह भी सुना है कि कुछ नगरपालिकायें कुछ ठेले, गाड़ियां चलाती हैं, और ठेले वालों से नगरपालिका ७२) रु. सालाना टैक्स लेती है और ठेले धन्धे करने के लिये दिये जाते हैं....

श्री भीखाभाई (आयुर्वेद मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, यह प्रस्ताव है, इसमें रिक्शा का जिक्र है। ये ठेले के बारे में कह रहे हैं, यह उसकी परिधि में किस प्रकार आ सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या ठेले में रिक्शा मिला हुआ होता है ?

श्री मोगजी भाई : यह धन्धा है....

श्री उपाध्यक्ष : आप संकल्प की सीमा में बोलेंगे। उसमें रिक्शा आया है, ठेला नहीं आया है।

श्री मोगजी भाई : इसी प्रकार से ठेले के लिए लाइसेन्स लिया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : ठेले पर आप नहीं बोलेंगे, रिक्शा पर बोलेंगे, यह व्यवस्था है आसन की।

श्री मोगजी भाई : मेरा निवेदन यह है कि इस नगर में रिक्शा चलाने वाले २,८०० हैं, तो २,८०० से दो रुपये के हिसाब से लाइसेन्स के लिये जो रुपया नगरपालिका लेती है, इस प्रकार नगरपालिका को सिर्फ पांच, छः हजार रुपया प्राप्त होता है। लेकिन उनके लिये व्यवस्था क्या है ? लाइसेन्स लेने के बाद अगर पुलिस ने चालान कर दिया, तो उन्हें सीधा जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कहीं रिक्शा का साईकल आदि से एक्सीडेंट हो जाय तो इसके कारण जो खराबी रिक्शा में होती है उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी रिक्शा चलाने वाले की है। हमारी नगरपालिका है वह तो पांच, छः हज़ार रुपया लेकर रिक्शा के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है। मेरा निवेदन है कि अगर नगरपालिका रिक्शाओं को खरीदे और उनका वितरण करे तो इससे बहुत बड़ी आमदनी होगी। इस सम्बन्ध में मेरा यह प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या है ?

उपाध्यक्ष : समर्थन इसमें नहीं होगा।

डॉ० चन्द्रकला : मेरा संशोधन है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन ?

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले संकल्प मूव किया गया है, उसमें समर्थन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें अधिकार दिया गया था, मेरी व्यवस्था थी। लेकिन रूल्स की सीमा में वह व्यवस्था आती नहीं है, इसलिए मैंने वापिस करेक्ट किया है, so "anybody who would like to speak" ?

डॉ० चन्द्रकला : मेरा संशोधन है क्या ?

Page No.73

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है। कोई बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें। आप सपोर्ट में बोल सकती हैं, but not as a seconder.

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रिक्शा चालकों की........

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : अभी अभी आपने व्यवस्था दी है, उसके आधार पर माननीय सदस्य कैसे बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि सपोर्ट में बोल सकते हैं, सेकन्डर की हैसियत में नहीं। मैंने यह व्यवस्था दी है।

श्री रामकरणसिंह : मैंने सपोर्ट के विषय में कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : सैकन्डर की हैसियत से बोल रहे थे।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसके सपोर्ट में मैं बोलना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह संशोधन रखा है....

डॉ० चन्द्रकला : कहां रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपकी मर्जी है, कह दें।

(हंसी)

मैंने नहीं रखा है, आपके मित्र ने रखा है।

श्री हीराभाई : माननीय प्रस्तावक ने रखा है, आपने नहीं रखा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका जो मूल कारण है, उसको मैं बताऊं, उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह रिक्शा चालन और सट्टेबाजी का सौदा हमारे देखने में आता है, जितने रिक्शे देश में चलाये जाते हैं वे रिक्शे चलाने वाले लोग यह उम्मीद नहीं करते हैं कि दिन में इतनी आमदनी हो जायेगी, इतने रुपये प्राप्त होंगे, जिसमें से ढाई रुपये मालिक को किराये के चुका देंगे और बाकी से अपना पोषण कर सकेंगे। हो सकता है कि कभी दो रुपये आ जाते हों, कभी पांच रुपये भी आ जाते हों दिन भर के, क्योंकि मैंने यह बता दिया है कि यह सट्टे बाजी का सौदा है, जिसमें अपनी जिन्दगी बर्बाद करनी है और इस दिक्कत को हल करने के लिए अगर सरकार सीधी व्यवस्था करे, जैसा कि कुछ दिन पहले जगह जगह पर हम नारा लगा रहे थे और लगाते आ रहे हैं कि हर प्रकार की समितियां बनायें, सहकारी समितियां बनायें। कई तरह की समितियां आज बनती हैं। उसी तरह अगर नगरपालिका अपने आदमियों में से लेकर एक समिति बना सके तो भी रिक्शा चलाने वाले जो मामूली लोग हैं उनकी जो दिक्कतें हैं वे दूर हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी संस्था ऐसी कोई नहीं है और अगर कोई संस्था बना सकता है, किसी तरह से उनकी संस्था बना कर उनको मदद दे सकता है तो नगरपालिका दे सकती है। इसलिए नगरपालिका के द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह का आपने प्रस्ताव रखा है, यह बिल्कुल ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर

(श्री हीराभाई)

सहकारी समितियों का हम केवल नारे मात्र के लिए नारा लगायें तो हमारा यहां आकर बैठना और नारा लगाना बेकार हो जाता है। नहीं तो, मैं नहीं समझता कि यह व्यवस्था क्यों न की जाय ? इस सदन के सभी माननीय सदस्य, माननीय मिनिस्टर को भी मालूम है कि रिक्शा चलाने वाले लोगों को कितनी पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है। उस हालत में भी उनका पेट भर नहीं पाता- और जो वह कमाता है उसमें से ढाई रुपये तो रिक्शा मालिक को दिये जाते हैं और जो आठ, बारह आने बचते हैं, तो अगर कोई दारू पीने वाला आदमी होगा तो वह दारू पीकर घर जायगा और उसके छोरा छोरी रोते रहेंगे । आप कहेंगे कि उसमें बुद्धि नहीं है, उसे यह नहीं करना चाहिए। हो सकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनमें बुद्धि नहीं हो, लेकिन बुद्धि के साथ उनमें बुद्धि का स्थान भी नहीं है, बुद्धि के साथ वे काम करने वाले नहीं हैं। इसलिये किसी भी तरह की बात करके आदमी को रोजी कमानी पड़ती है। आदमी को रोजी के लिये चोरी भी करनी पड़ती है, सट्टा भी करना पड़ता है। कुछ दिनों पहले अड्डे की बात चली थी, तो अपनी रोटी रोजी के लिये लोग-बाग अपनी इज्जत भी बेच सकते हैं। तो चाहे अपनी जान जाय, कितनी ही कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़े, आदमी को अपना पेट भरना पड़ता है। चाहे पेट भरे कि नहीं, यह अलग बात है।

जहां तक मैं समझता हूं या तो इन रिक्शा चलानेवालों के लिये जिस तरह रेलवे का स्टेशन बनाते हैं, मोटर स्टेन्ड बनाते हैं उसी तरह इनका भी स्टेशन बनाया जाय और इनके खड़े रहने की जगह नगर-पालिका बनाये और सीधा रास्ता यह है कि एक साहूकार के पास १० रिक्शा हैं; उनके किराये के वह साहूकार २५ रुपये रोजाना लेता है, १० आदमी मिल कर २५ रुपया १० रिक्शों का साहूकार को देते हैं और यदि एक रिक्शा चलाने वाला ५ रुपया रोज कमाता है तो ढाई रुपया रोज एक आदमी के रहता है। तो एक तरफ तो एक साहूकार बिना किसी प्रकार की मेहनत किये बैठा बैठा २५ रुपये रोज ले लेता है और उधर बेचारा खून का पसीना करके मेहनत से कमाने वाले रिक्शा चलाने वालों को मुश्किल से २॥ रुपया मिलता है। एक रिक्शा की कीमत मुश्किल से तीन सौ, चार सौ रुपया है। तो ऐसी सूरत में जैसे नगरपालिका इलेक्ट्रिक का इन्तजाम करती है, रोड का इन्तजाम करती है। उसी तरह भारत सरकार से लोन लेकर या सहकारी समिति से लोन लेकर रिक्शे बनावाये और इन रिक्शा चलानेवालों को दे। इससे इन रिक्शा चलाने वालों के लिये मौत का खतरा कम हो जायेगा, नहीं तो चाहे कितनी ही बातें करो रिक्शा चलानेवालों को टी० बी० होगी। तो ऐसी दशा में कोई बड़े २ आदमी हैं उनकी तरफ तो सरकार का ध्यान फौरन चला जाता है पर इस तरह के गरीबों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता। लेबर वालों को सरकार ने कुछ सहायता दी है और हर तरह के मजदूरों को सरकार ने सहायता किसी न किसी तरह कुछ न कुछ दी है, हालांकि वह पेट भर नहीं है फिर भी कुछ न कुछ दी है पर जो इन्सान अपना

(श्री हीराभाई)

पेट भरने के लिये घोड़े बनते हैं उनको किसी भी प्रकार की सहायता सरकार ने नहीं दी है। हां, आदमी को घोड़ा बनाने की तो सरकार ने कोशिश की है पर इससे छुड़ाने की सरकार ने कोई भी कोशिश नहीं की है। ये रिक्शा चलाने वाले जितने परेशान होते हैं वह सब आप देखते हैं, दुनियां देखती है, इस बारे में मैं ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता। मैं यही कहूंगा कि इन सेठों को लाइसेंस न देकर रिक्शा चलाने वालों की सहकारी समिति को लाइसेंस दें। या जो ढाई रुपया रिक्शा के किराये का सेठों को दिया जाता है वह उनको न देकर रिक्शा चालकों को ही दे दिया जाय जो कि आदमी से घोड़ा बन कर काम करते हैं।

मैं समझता हूं मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देकर इस संकल्प को स्वीकार करेंगे ताकि रिक्शा चलाने वालों को सुविधा मिले और आसानी से वे अपनी रोजी कमा सकें।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसमें रिक्शा चालकों के प्रति जो सहानुभूति और उनको शोषण से बचाने की जो भावना और साथ ही नगरपालिका की आमदनी की वृद्धि का ख्याल रखा गया है, उसका मैं समर्थन करती हूं। लेकिन जिस रूप में यह संकल्प है इससे उन भावनाओं की पुष्टि नहीं होती है, उनकी पूर्ति नहीं होती है, इसलिये मैं इस संकल्प का विरोध करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि रिक्शा चालक एक जानवर की तरह काम करता है और यह उसकी मजबूरी है, उसे अपने पेट और बाल-बच्चों के भरण-पोषण के लिये यह जो करना पड़ता है इसलिये मैं मानती हूं कि हमको यह अमानवीय काम बन्द करना चाहिये और यदि हमारी सरकार, नगरपालिका रिक्शा चालकों के प्रति सहानुभूति रखती है तो इन रिक्शाओं को बन्द कर देना चाहिये और रिक्शा बन्द करके इन रिक्शा चालकों को बेकार नहीं छोड़ना चाहिये। अभी जैसे कि माननीय सदस्य ने आंकड़े बताये ढाई हजार आदमी हैं। ६०० रिक्शे हैं इन पर काम करने वाले २,५०० आदमी हैं। तो सरकार आसानी से इन ढाई हज़ार आदमियों को दूसरे धंधों पर लगा सकती है। जब कि ये लोग रिक्शा चलाने में इस लगन से काम कर सकते हैं तो और कोई भी काम लगन से कर सकते हैं। तो इनको दो-चार रुपया रोज ये लोग कमा सकें इस तरह के काम पर सरकार आसानी से लगा सकती है और उधर लोगों को सस्ती सवारी उपलब्ध कराने के लिये यन्त्र चालित रिक्शाओं को चालू कर सकती है। हमें रिक्शा चलानेवालों के प्रति सहानुभूति है तो उन्हें धंधे में लगा कर उनकी रोटी का सवाल हल करें और जनता को सस्ती सवारी देने के लिये यन्त्र चालित रिक्शे प्रारम्भ करें। हमने अपने सिद्धान्त स्वरूप पूंजीवाद के विरुद्ध अपना समाजवाद का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। तो इन रिक्शा संचालकों की जो व्यवस्था है वह पूंजीवादी व्यवस्था है; इसके जो दोष हैं वे प्रत्यक्ष हैं। थोड़े से पैसों में रिक्शा खरीदने वाला ठेकेदार ढाई रुपया प्रतिदिन, प्रति रिक्शा लेवे और दिन भर जो रिक्शा चलाने मेहनत करता है, वह ढाई रुपये पहले ठेकेदार

(डॉ० चन्द्रकला)

को देगा, जो बचेगा वह उसके पास रहेगा और यदि कमाई नहीं भी हुई तो भी ठेकेदार को तो ढाई रुपया देना ही पड़ेगा। तो जो सिद्धान्त रूप से हमने माना है उसको देखते हुए भी हमें इस प्रथा को खत्म करना है। पूंजीवाद को समाप्त करने का हमने संकल्प किया है तो इस चीज़ को भी खत्म करना चाहिये। इसमें मानवीय दृष्टिकोण भी है कि हम मनुष्य को जानवर नहीं बना सकते। इन रिक्शा–चालकों की मजबूरी नहीं होती तो ये क्या से क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मानवीय दृष्टिकोण से सोचना होगा और दूसरे हमारे सिद्धान्त रूप से भी इसे सोचना होगा। हम समाजवादी समाज की बात करते हैं और पूंजीवाद की तरफ हमारा कदम जाय, ये दोनों बेमेल चीजें हैं।

तीसरे, नगरपालिका की आय बढ़ाने की माननीय सदस्य ने बात कही। नगरपालिका की आय का जहां तक सवाल है, नगरपालिका के लाइसेंस का जो पैसा है वह तो बराबर मिलने वाला है ही, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जैसा संकल्प रखने वाले माननीय सदस्य को अनुभव नहीं है कि नगरपालिका के पास कितना काम है, रोशनी, पानी, सफाई का कितना काम है। इस तरह प्रबन्ध यदि वह रिक्शाओं का भी करने लग जायगी तो दूसरी व्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ने वाला है। इसलिये नगरपालिकाएं ठेकेदारों का स्थान नहीं ले सकती हैं और वे इस काम को नहीं कर सकती। आजकल हम सहकारी समितियों को भवन आदि के लिये लोन आदि देते हैं और उन्हें तरह तरह से प्रोत्साहन देते हैं। इसी तरह से इनको भी हमें प्रोत्साहन देना चाहिये। यदि और कुछ न कर सकें तो कम से कम इन रिक्शा चालकों की सहकारी समिति बना दी जाए और सरकार उनको सहायता दे, एड दे या लोन जिस प्रकार दूसरों को देती है दे और सब तरह से मदद दे तो रिक्शा चालकों के खुद के रिक्शा हो जावेंगे। इससे वे जो भी कमावेंगे वह सब पैसा उनको मिलेगा और वे इतना कमावेंगे जितना आवश्यक होगा। आजकल वे लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा पैसा पैदा किया जाए। वे ज्यादा पैसा पैदा करने की कोशिश में अपने स्वास्थ्य और परिवार आदि सब को भूल जाते हैं। इसलिये यदि हम उनकी सहकारी समिति बना कर उनको लोन आदि सहायता के रूप में देंगे तो वह बहुत अच्छी तरह से अपना रिक्शा बना कर अपना जीवन–निर्वाह कर सकेगा। इस संकल्प को सरकार स्वीकार करे या न करे लेकिन इसके पीछे जो भावना है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। हमें उन रिक्शा चालकों के शोषण को बन्द करना पड़ेगा। तो मैंने जो कुछ कहा है वह तो है ही, मगर किसी प्रकार से ठेकेदारों के स्थान पर नगरपालिका बैठ जाय, यह उचित नहीं है। म्युनिसिपैलिटी के पास बहुत बड़े बड़े दूसरे काम हैं। इसलिये वे इस काम को नहीं करके सहकारिता को यह काम दे दे। इसलिये मैं अपनी सरकार का ध्यान रिक्शा चालकों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके इन रिक्शा चालकों का काम बन्द करके उन्हें ऐसी जीविका का

Page No.77

(डॉ० चन्द्रकला)

साधन दें जिससे वे मनुष्यों की जिन्दगी बिता सकें और जानवर न रहें। मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करती हूं।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, जो प्रस्तुत संकल्प है उसके सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि जहां तक हमारे रिक्शा चालकों की स्थिति है वह बड़ी दयनीय और दुःख-पूर्ण है। हमारे यहां राजस्थान में साइकिलों के रिक्शा देखे हैं लेकिन हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां मनुष्य घोड़े की तरह अपने सीने पर रिक्शा लगा कर खींचता है। आपने यदि मद्रास और कलकत्ते में देखा हो तो आपको मालुम होगा और मैं समझता हूं कि उस समय हमारे मन में इस प्रकार की कल्पना जरूर पैदा हो सकती है कि क्या आदमी आदमी को खींचता है? यह स्थिति हमारे समाज रचना के युग में कब तक चल सकती है और चलाई जानी चाहिये। जहां तक हमारे प्रान्त का प्रश्न है मैं समझता हूं कि आज रिक्शा चालक को एक दिन के २॥) रु० प्रतिदिन किराये के देने पड़ते हैं और जो रकम किराये देने के बाद बचती है वह अपने भरण-पोषण और बाल-बच्चों के ऊपर खर्च करता है और उनके शिक्षण में बचने पर खर्च कर सकता है। मगर उसको सबसे पहले २॥) रु० तो उस रिक्शा मालिक को देना होगा रिक्शे वह किराये पर लेता है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि हमारे यहां जितने रिक्शा अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं उसके सिवाय किसी नये रिक्शे को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिक्शों के मालिक हैं उनका एकाधिपत्य है और उन लोगों को जो रिक्शा चलाते हैं मजबूर होकर और झख मार कर उन्हीं के पास जाना पड़ता है और जो भी किराया मांगेगे और टर्म और कन्डीशन रखेंगे उसकी पूर्ति करनी होगा।

मैं समझता हूं कि हमारी राज्य सरकार, जहां एक और छोटे और बिल्कुल निम्न स्तर के कर्मचारी हैं उनको लो इन्कम हाउसिंग स्कीम या मीडियम इन्कम हाउसिंग स्कीम के अनुसार लोगों को लोन देती है और वह इसलिये कि लोग अच्छी स्थिति में अपने घर बना कर रह सकें और अपने आपको सुखी बना सकें। इसी तरह से गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिये। आज बहुत बड़ी संख्या में रिक्शा चालक हैं और गवर्नमेंट थोड़ी बहुत उनको मदद देकर या कर्जा देकर उनके रिक्शे बनवा दे और उनके पैसे इन्सटॉलमेंट में वसूल करे तो उनका बहुत हित हो सकता है और जो लोग बहुत ज्यादा प्रान्त की सेवा करते हैं, जो लोग जानवरों की तरह रिक्शा में काम करके दिन भर परिश्रम करके कमाते हैं और उसकी कमाई का ज्यादा हिस्सा मीडियेटर जो रिक्शा मालिक है, जिसने पैसे खर्च कर रिक्शा खरीद करके अपना आधिपत्य जमा रखा है उसके पास चले जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस समस्या पर हमारी सरकार को उदारता-पूर्वक सोचना चाहिये। जिन माननीय सदस्य ने यह संकल्प रखा है वे समझते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज़ की ऐसी स्थिति हो कि जहां तक इन रिक्शाओं का संबन्ध है उन्होंने यह सुझाव दिया है कि नगरपालिका के जरिये उनका कन्ट्रोल हो और रिक्शा मजदूरों को

(श्री मनोहर कोठारी)

वही वितरण करे और इस तरह से वे यह चाहते हैं कि इससे म्युनिसिपैलिटी की इन्कम बढ़े। मैं समझता हूं कि इस तरह से म्युनिसिपैलिटी की इन्कम की बात को सोचना उचित नहीं होगा। यह बात ठीक है कि इससे एक्सचेकर को पैसा मिलता है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जिसमें बुराई हो और बुराई से जो पैसा मिलता है वह ठीक नहीं होता। हमने शराबबन्दी का कानून कई जगह पास किया है और राजस्थान सरकार भी अग्रसर होना चाहती है ! यह जानते हुए कि इससे बहुत बड़ी इन्कम कम होने वाली है, इसके बावजूद भी हमारी राज्य सरकार यह चाहती है कि शराब बन्द की जावे और इससे जो लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, लोगों का और गरीबों का खास कर पैसा खराब होता है उसको बचाया जावे। इसलिए मैं समझता हूं कि संकल्प बड़ा नेकनियत से रखा है लेकिन इस पर माननीय मंत्री और राज्य सरकार सोचे कि क्या नगरपालिकाओं के जरिये रिक्शा का वितरण करना चाहिये या गवर्नमेंट लोन देकर कुछ किया जाए। यह भी मालूम हुआ कि नये रिक्शों का लाइसेन्स सरकार नहीं देती है। नये रिक्शे कोई भी म्युनिसिपैलिटी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते तो उन रिक्शों को जो मौजूदा रिक्शा चालक रजिस्टर्ड हैं उनको सौंप दे और जिस तरह से सरकार ने जागीरदारी को हटाया उसी तरह से इनको भी मुआवजा के तौर पर पैसा देकर उन रिक्शा चालकों को रिक्शा दिला दिये जावें। इस तरह की अगर कोई योजना बने तो मैं समझता हूं कि बहुत उचित और काफ़ी लाभप्रद होगी और यह बात कि एक आदमी को एक आदमी जानवरों की तरह घसीटे तो क्या यह हमारे कल्याणकारी राज्य के लिये शोभाजनक होगी ? अगर हमारे कल्याणकारी राज्य में भी आदमी आदमी को घसीटता रहेगा और फिर भी वह भूखे मरता रहेगा और उसकी मेहनत का फल मीडिएटर लेता रहेगा तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी। एक रिक्शे की कीमत ८०० रुपये से ज़्यादा नहीं होती। वह आदमी २॥) रु० रोजाना किराये के देता है ....

एक माननीय सदस्य : ४०० रु० में रिक्शा आता है।

श्री मनोहर कोठारी : वह २॥) रु० रोजाना किराये के देता है। हम इतनी बड़ी रकम मीडिएटर को दे देते हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक संकल्प रखा है उसका मैं इस तरह से समर्थन नहीं करता लेकिन मैं समझता हूं कि इसके पीछे जो भावना है वह यह कि रिक्शा चालकों को ऊपर उठाया जाय और उनकी स्थिति को म्युनिसिपैलिटी और राज्य सरकार के जरिये मदद देकर सुधारा जा सकता है। माननीय सदस्य की यह भावना है तो इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार सोचे तो ज्यादा उचित होगा। इन बातों के साथ मैंने जैसा निवेदन किया इसका समर्थन तो नहीं कर सकता लेकिन यह कहूंगा कि मूल में भावना अच्छी है। इस पर राज्य सरकार सोचे और विचार करे और इसके पीछे जो मनोवृत्ति है उस दृष्टिकोण से सोच कर प्रयोग करना चाहिये जो भी हम कर सकते हैं।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष, बांसवाड़ा से आये हुए माननीय सदस्य जो समाजवादी पार्टी के कहते हैं,

(श्री मनोहर कोठारी)

उन्होंने असमाजवादी प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, यह जो प्रस्ताव है वह पूरा ही समाजवाद के खिलाफ है और मानवता के भी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : समाजवादी समाज के खिलाफ है या समाजवाद के ?

श्री मोतीलाल : समाजवादी समाज के।

माननीय उपाध्यक्ष, यह प्रस्ताव रखा गया है कि रिक्शा वालों का शोषण है उससे उनको मुक्ति दिलाने के लिये नगरपालिका की ओर से रिक्शे बांटे जायें। हम थोड़ा इस सम्बन्ध में सोचें। मुझे इस प्रस्ताव के विरोध में दो बातें कहनी हैं। मैं इस प्रस्ताव को दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं। पहला-क्या मनुष्यों द्वारा जो रिक्शा चलाये जाते हैं उनको रखना है ? यदि रखना है तो उन मनुष्यों को उन पर होने वाले शोषण से किस प्रकार से मुक्त करना है और उसका क्या तरीका है ? सबसे पहले मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह जो रिक्शा प्रथा है, एक आदमी दूसरे आदमी को खींच कर ले जाता है जो शरीर विज्ञान की दृष्टि से इतना हीन काम है कि जिसके लिए वैज्ञानिक द्वारा यह कहा जाता है कि एक मनुष्य के जीवन का वास्तव में नाश करना है। इसलिए इस रिक्शा चलाने की प्रथा को जितना जल्दी बन्द कर सकें उतना ही अच्छा काम है। यदि इनको बन्द नहीं करेंगे तो शोषण को खत्म करने का क्या तरीका है और यदि बन्द करते हैं तो तीन हजार मजदूरों जो बेकार हो जावेंगे उनका क्या करेंगे ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सदस्य बैठना बन्द कर दें तो बन्द हो जाय।

श्री मोतीलाल : मेरा इतना ही कहना है कि जो काम गलत है, जो काम शरीर विज्ञान की दृष्टि से गलत है और जीवन को नुकसान पहुँचाता है उसको बन्द कर देना चाहिये। जैसे कि हम शराब बन्दी की बात सोचते हैं जो कि समाज में लगी इस बुराई से उन लोगों को मुक्त करना है जो कि इसको काम में लेते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है और आर्थिक दृष्टि से भी जो निकम्मे रहते हैं, जैसे मृत्यु भोज, एक सामाजिक बुराई थी उसको बन्द किया। ये जो चीजें हैं हम उनको चाहते हैं कि वे नुकसानदेह हैं इसलिए बन्द हों। डकैती है, चोरी है, लाखों लोग चोरी करके पेट भरते हैं; चूंकि ये समाज के विरुद्ध है इसलिए इनको बन्द करना है और किया है। इस दृष्टि से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खींच कर ले जाय जिससे उसके जीवन का नाश हो, इस रिक्शा चलाने की प्रथा को हमें बन्द करना है और सरकार से निवेदन है कि वह इसको बन्द करे। इसको बन्द करने से पहले सरकार यह जवाब दे कि उन तीन हजार परिवारों या जितने व्यक्ति रिक्शा चलाते हैं उनके दूसरे एम्प्लॉयमेन्ट का साधन क्या हो। एम्प्लॉयमेंट के सैकड़ों साधन हो सकते हैं और उनकी व्यवस्था है। जितने डकैती और चोरी के मामले जो करते थे उनको बन्द किया, वेश्या वृत्ति करने वाली महिलायें थीं, इसी जयपुर की बात है, हिसाब लगायें तो चार हजार के करीब इस तरह का काम करने वाली और उनके आश्रित मनुष्य थे उस प्रथा को रोका इसलिये रोका कि वे समाज के विरुद्ध हैं। इस दृष्टिकोण से इस पर भी सोचें और ध्यान दें। या तो इसको बिल्कुल बन्द कर

(श्री मोतीलाल)

दें और उसकी जगह मोटर, रिक्शा, ऑटोमोबाइल आदि की व्यवस्था करें। इस डर से बन्द नहीं करेंगे कि चूंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट फैल जायेगा, तो मैं तो कहूंगा कि इस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता नहीं है जो मनुष्य के जीवन का ही नाश कर दे, आनेवाली पीढ़ी को इससे काफी नुकसान पहुंचे-इस प्रश्न को मेडिकल दृष्टि से देखा गया है और यह बताया गया है कि इस रिक्शा चलाने की प्रथा के कारण मनुष्य के स्वयम् के ऊपर और उसकी आने वाली पीढ़ी पर बड़ा भारी असर पड़ता है। जब आने वाली पीढ़ी पर इसका इतना असर होता है तो फिर इस काम को क्यों चालू रखें ; इस दृष्टिकोण से मैं इसका विरोध करता हूं।

जब तक इसको बन्द नहीं कर सकते हैं, जो लोग शरीर से मेहनत करके रिक्शा चला कर पेट भरते हैं उनको इस शोषण से किस प्रकार दूसरा काम दें। यह विचार सरकार के विचार में आ गया है और सरकार इस पर सोच भी रही है। मैं आपको बताऊं कि इन मज़दूरों की एक सहकारी समिति बन चुकी है, ७०–७१ इसके मेम्बर बन चुके हैं, और उसमें से ११–१२ रिक्शा पुलर्स भी बन चुके हैं। अब नम्बर और बढ़ गया होगा; १३–१४ हो गये होंगे।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : आदमी समझते हैं या जाति समझते हैं ?

श्री मोतीलाल : एक हिस्सा मैंने कहा।

डॉ० बहादुरसिंह : उसको बढ़ावा देने का है।

श्री मोतीलाल : जब तक रिक्शा को बन्द नहीं कर सकते हैं तो इस शोषण को बन्द करने के लिए उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन मिल जाय। जैसे ९०० रिक्शा हैं तो १,८०० पुलर्स होते हैं ....

डॉ० चन्द्रकला : १,२०० हैं।

श्री मोतीलाल : १,२०० हैं तो २,४०० होंगे। ऐसा करते हैं कि जो दिन में चलता है वह रात में नहीं और रात में चलता है वह दिन में नहीं। दिन का १) और रात का १।) मान लीजिये कि कभी कोई बीमार हो गया। कुल ३ हजार रिक्शा पुलर्स माने जा सकते हैं। यदि म्युनिसिपैलिटी परमिट दे तो एक रिक्शा की कीमत ४५०) है नहीं तो ३००) ३५०) और यदि पुराना है तो उसकी मार्केट वेल्यू १००) भी नहीं होगी। म्युनिसिपैलिटी के लॉ में व्यवस्था है कि म्युनिसिपैलिटी को हर साल इनका परमिट रिन्यू करना पड़ता है। यह म्युनिसिपैलिटी के हाथ में है जो रिक्शा रद्दी है, वीयर टीयर हो चुका है, उसकी कीमत हट चुकी है, तो उसको बिल्कुल बन्द कर दे। लीगली और कॉन्स्टिट्युशनली उसका कोई विरोध नहीं हो सकता। हाईकोर्ट में आकर रुकवा दें, ऐसी भी बात नहीं है और स्टे ऑर्डर नहीं आ सकता। हर रिक्शा का एवरी इयर रिन्युअल होता है और उसको नया लाइसेन्स मिलता है। रिक्शा मालिक इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है और उसको बन्द कर देने में कोई रुकावट नहीं हो सकती। म्युनिसिपैलिटी तो इतना ही कह दे कि प्रेजेन्ट जो रिक्शा हैं, तीन साल तक चल चुके हैं, जिनकी कन्डीशन खराब हो चुकी है उनका परमिट रिन्यू नहीं होगा। यह सब

(श्री मोतीलाल)

कोऑपरेटिव को दे दे। उसके लिए क्या पॉलिसी होगी ? जिसको परमिट मिलेगा, रिक्शा की कीमत ३५०) होगी एक आदमी को तो १५०) ही पड़ता है यदि १७५) भी हो तो एक एक आदमी पर भार होगा। बहुत सीधा यह रास्ता है। इधर शोषण कितना क्लाइमेक्स है ? जो रिक्शा ३००); ४००) का है उसका मालिक डेली २); २।) ले लेता है। इस तरह से इन्ट्रेस्ट के महीने में ६०)रु० ले लेता है। यदि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा शोषण वृत्ति करने वाला भी कोई हो, इन्ट्रेस्ट लेने वाला हो तो ४) पर सैकड़ा ब्याज तो कहीं भी हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता। लेकिन जब कि यहां पर ६०)महीने का ब्याज पड़ता है। २) रोज के नीचे एक रिक्शा पड़ता नहीं है। नया ३००); ३५०) का रिक्शा है और पुराना हुआ तो १००) भी उसकी कीमत नहीं हो सकती। लेकिन परमिट के हिसाब से अधिक कीमत मिल जाती है। यदि परमिट नहीं है तो उसका १००) भी नहीं मिल सकता। यह तो केवल परमिट की कीमत है। इसलिये म्युनिसिपैलिटी को चाहिये कि ऐसे पुराने रिक्शों को बन्द कर दे और अच्छे रिक्शे रहने दिये जायं। यदि लोन गवर्नमेंट नहीं दे सकती है तो कोऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक इनको लोन दे सकता है। इनके प्रति भावना को देखते हुए किसी धर्मादे से भी लोन मिल सकता है? रिक्शा वाला अपना खुद का रिक्शा बना लेगा और वह लोन भी लौटा देगा। तो इसके साथ साथ मेरा यह निवेदन है कि कोऑपरेटिव बने उसी को लाइसेन्स मिलना चाहिये। पांच साल के बाद में साइकिल रिक्शा नहीं रहे, यह भी हमारी नीति होनी चाहिये। उनको यह शर्त लगा देनी चाहिये कि उसके बाद उन रिक्शों को ऑटो रिक्शे में परिवर्तित किया जायगा और इन पांच सालों में पुलर्स जो हैं वे इसकी मैकेनिकल ट्रेनिंग ले लें ताकि वे ऑटो रिक्शा चला सकें। आखिर जब आप साइकिल रिक्शा को बन्द करते हैं और उसकी जगह ऑटो रिक्शा चलाने की कहते हैं तो उसके लिये करीब तीन–चार हज़ार रुपया चाहिये। इसमें भी लाखों रुपयों का सवाल है। इसमें भी वे ही पूंजीपति आगे आयेंगे जो इतना पैसा इसमें लगा सकते हों। हमें कोऑपरेटिव के लिये यह भी शर्त रखनी चाहिये कि पांच साल या सीत साल के बाद उस कोऑपरेटिव को ऑटो रिक्शा करना होगा। ऐसी व्यवस्था शुरू से कर दें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से जैसा कि कुछ कोऑपरेटिव में शेयर रहता है इसमें भी वे शेयर्स रख सकते हैं अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो बैकवर्ड क्लास के लिये यह रखा गया है वे बिना इस प्रकार के शेयर्स की व्यवस्था किये अपने पास से तो इतना पैसा लगा नहीं सकेंगे; वैसी हालत में भूखों मरने की नौबत आ जायगी।

डॉ० बहादुरसिंह : बैकवर्ड क्लास की तरफ से ही प्रस्ताव रखा गया है।

श्री मोतीलाल : उनको सब-सिडी दे सकते हैं, लोन दे सकते है उनको एस्टेब्लिश करने के लिये। इस प्रस्ताव के संबन्ध में मेरे यह सुझाव हैं, इस ओर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि कितने दिनों के अन्दर रिक्शा सिस्टम हटा देंगे, चाहे उसमें एक साल लगे या पांच साल लगे लेकिन इस

Page No.82

(श्री मोतीलाल)

बारे में निश्चित होना चाहिये । और उसके बाद जो इस कार्य में लगे हुए लोग हैं उनको रीएम्पलॉय की करने क्या व्यवस्था कर सकते हैं, यह भी सोचना चाहिये । साइकिल रिक्शा की जगह मोटर रिक्शा आ जाता है या घोड़ा गाड़ी या मोटर गाड़ी, तो इसमें तो पूंजीपति ही आगे आयेंगे, वैसी हालत में उनके साथ न्याय नहीं होगा । आज जो मज़दूर एक्चुअल काम करते हैं वे पिक्चर से हट जायेंगे । जहां हमें उनका स्टेंडर्ड ऊंचा करना चाहिये वहां हम इस प्रकार से उनको रोजी-रोटी से भी अलग कर देंगे । इसलिये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनती हैं उनको लोन देकर और घोड़ा, गाड़ी आदि के लिये उन्हीं को परमिट दिये जायं । मैं मानता हूं कि लोन देने के लिये सरकार या म्युनिसिपैलिटी तैयार नहीं होगी । म्युनिसिपैलिटी यह तय कर ले कि एक्चुअल जो पुलर्स हैं उसके पास लाइसेन्स हो और वह लाइसेन्स कोऑपरेटिव को दिया जाय । इस तरह से लाइसेन्स यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल जाता है तो उस पर आसानी से बैंक द्वारा कर्ज़ा मिल सकता है और दूसरी जगहों से भी कोऑपरेटिव व्यवस्था कर सकती है । इसलिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस सिस्टम को तोड़ने की व्यवस्था करे और ठेकेदारों के शोषण से जो रिक्शा चालक त्रस्त हैं उनके लिये सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि आयन्दा रिक्शा चलाने का लाइसेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ही दिया जाय । यह व्यवस्था इस तरह से आसानी से लागू हो सकती है जब कि नये साल का परमिट देना हो तो नये रिक्शा को परमिट दें और पुराना जिसका चला आ रहा है उसको न दें । इन शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष, महोदय बांसवाड़ा से आने वाले समाजवादी माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह असमाजवादी है इसलिये इस प्रस्ताव को पास करने की आवश्यकता नहीं । अच्छा तो उनके लिये यही होगा कि वे या तो इस प्रस्ताव को वापिस लें लें यह उनकी गलत नीति है या इस प्रस्ताव पर जोर न दें, यही मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मैं सूचना के लिये यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रस्ताव के लिये भी समय का निर्धारण किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस पर वाद-विवाद के लिये दो घंटा है ।

अभी मैं बतला देता हूं । The debate will conclude at 4. 30 and then the Hon'ble Minister will reply.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बासवाड़ा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उनको धन्यवाद देता हूं । वह इसलिये देता हूँ कि उन्होंने उन गरीब रिक्शा चालकों के सम्बन्ध में सदन में विचार करने का अवसर दिया । जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं प्रस्ताव का समर्थन तो नहीं करता....

श्री मोगजी भाई (बासवाड़ा) : क्योंकि आ छिप गया है ?

डॉ० बहादुरसिंह : व्हिप का सवाल नहीं है, जहां तक इस प्रस्ताव की भावना का सवाल है इसमें बात यह है कि नगरपालिका के लिये जो यह प्रस्ताव है इस प्रस्ताव के अनुसार मांग है कि नगरपालिका के क्षेत्र में जो रिक्शा चालक हैं उनके लिये ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जाय और उस प्रथा को म्यूनिसिपैलिटी ले ले।

३. ३५. म० प०

(श्री मोतीलाल, सभापति, पदासीन)

मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। चाहे वह प्रथा नगरपालिका के पास हो या सरकार के पास, यह प्रथा ही खराब है। इसको जारी रखना इसको जिन्दा रखना इसके मैं ज्यादा विरुद्ध हूं। यदि यह प्रस्ताव होता कि इस रिक्शा चलाने की प्रथा को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाय तो मैं सोचता हूं, सदन इस बारे में एक मत होता और हम भी उसका अच्छी तरह समर्थन करते। जहां तक ठेकेदारी प्रथा का सवाल है यह एक दिन भी जिन्दा रहती है तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। जितनी जल्दी इसकी समाप्ति की जाय वह होनी चाहिये। हम उन लोगों की परिस्थितियों पर विचार करें जो लोग दूर दूर से आते है और बड़े बड़े शहरों में इसलिये आते हैं कि उनको कुछ धन्धा मिल सके। जहां धन्धा करने का सवाल है वे रिक्शा चलाने का पेशा अख्तियार कर लेते हैं। वह इसलिये कि सुगमता से यह काम प्रारम्भ हो जाता है ज्यादा टेक्निशियन्स का काम नहीं थोड़ी सी मेहनत के अन्दर ही रिक्शा चलाने का काम आ सकता है। यह मानवता के खिलाफ है उसको कभी उत्तम नहीं कहा जा सकता। चाहे यह काम सहकारी समितियों द्वारा करवायें या म्युनिसिपैलिटी द्वारा। जब हम यह बात मान लेते हैं कि यह प्रथा खराब है तो चाहे वह सरकार द्वारा चलायी जाय या सहकारी समिति द्वारा उसे खराब ही माना जायगा। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि क्या हमारी नगरपालिका इस स्थिति में है कि वह उनको रिक्शा देने के लिये तैयार है? मेरा जहां तक ख्याल है नगरपालिका इस स्थिति में नहीं होगी और जो रिक्शा चलाते हैं उनके घर का रिक्शा भी नहीं यानि जहां तक रिक्शा चलाने की बात है उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। लेकिन जहां तक ठेकेदारी प्रथा का सवाल है हमें ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर देना चाहिये और उसी की समाप्ति के लिए माननीय सदस्य ने भी निवेदन किया है। लेकिन वे चाहते हैं—रिक्शा की जगह वे रिक्शा को ही रिप्लेस करना चाहते हैं। मेरा उसमें यह निवेदन है उन्हें इस प्रकार का अधिकार नहीं मिलना चाहिये। अगर रिक्शा चालक ही रिक्शा लेते हैं उसी को बराबर लाइसेन्स मिलना चाहिये। और जो किराये पर रिक्शा चलवाते हैं उनको लाइसेन्स नहीं मिलना चाहिये और ठेकेदारी प्रथा को जितना जल्दी हो समाप्त कर देना चाहिये। इसके अलावा जितने भी रिक्शा ऑनर्स हैं अगर वे रिक्शा नहीं चलाते हैं तो उनको लाइसेन्स नहीं मिलना चाहिये। अगर रिक्शा चालक बेकार हो जाते हैं तो वह भी राज्य की जिम्मेदारी है कि उनको काम पर लगावे। हम देखते हैं कि विदेशी मेहमान जो हमारे यहां देखने के लिये आते हैं वे जब रिक्शा चालकों को हवा महल के नीचे खड़े देखते हैं तो उनकी यह भावना बनती है कि जो देश आज विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और जिस देश का मान

(डॉ० बहादुरसिंह)

किसी समय बहुत था यहां लोगों को गुरू मानते थे आज वहां के निवासी रिक्शा चलाते हैं। यह अच्छा असर नहीं डालते। इसलिये जहां तक रिक्शा चलाने का सवाल है इसको हमें बन्द करना चाहिये....

एक माननीय सदस्य : आयुर्वेद के हिसाब से बतलाइये, क्या हानि है ?

डॉ० बहादुरसिंह : मैं आयुर्वेद दृष्टि से भी और मानवता की दृष्टि से इसमें क्या हानियां हैं यह बतलाऊंगा ? यह केवल जयपुर शहर का प्रश्न नहीं है। इसके अलावा एक सवाल हमारे सामने और है वह यह कि नगरपालिका के हिसाब से करीब एक हजार रिक्शा हमारे यहां चलते हैं। इनमें से चालीस पर्सेन्ट रिक्शे ऐसे होंगे जो म्युनिसिपैलिटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं। ऐसे भी बहुत से रिक्शे हैं जो अन–रजिस्टडर्ड चलते हैं। अगर हम रजिस्टर्ड और अन–रजिस्टर्ड रिक्शों की जांच करें तो इससे हमारी बहुत सी तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम ऑटो रिक्शा के लिए कुछ प्रयत्न कर सकते हैं। यह ऑटो रिक्शा चलाने के लिये उनको साधन दें, जिससे लोगों को जो परेशानी होगी वह नहीं होगी !

दूसरी, जो ठेकेदारी प्रथा है तो नगरपालिका को इस बात के लिए बाध्य कर दे, जैसे अफीम को कम करने के लिये प्रयत्न किये हैं कि १० प्रतिशत हर साल अफीम की भूमि को खत्म करना है, उसी प्रकार से १०, २० या २५ प्रतिशत इस प्रकार की पर्सेन्टेज लगा देनी चाहिये कि नगरपालिकाओं को ठेके के रिक्शों की संख्या में इतना पर्सेन्टेज हर सम्भव उपाय से समाप्त करना चाहिये। चाहे उन पर कोई भी दोष लगाये लेकिन उसको समाप्त करना ही होगा। वह पर्सेन्टेज धीरे धीरे कम करते जायं और जैसा कि मैंने निवेदन किया रिक्शा चालकों को लाइसेन्स दें। मैं सहकारिता के विरोध में नहीं हूं, लेकिन सहकारिता की ओट में यह मानवता का कलंक जिन्दा रहता है तो उसके पक्ष में नहीं हूं।

अब मैं आपको थोड़ा सा जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं इस सम्बन्ध में आयुर्वेद की दृष्टि से क्या असर पड़ता है रिक्शा चालकों पर वह बताऊंगा। चाहे आप साइकिल चलायें या रिक्शा चलायें असर दोनों पर बराबर पड़ता है। मेरी मान्यता है कि रिक्शा और साइकिल में कोई फर्क नहीं है। रिक्शा चलाने में थोड़ा वजन ज्यादा पड़ता है और साइकिल में कम। लेकिन दोनों का असर शरीर पर करीब करीब एक सा पड़ता है। माननीय सदस्य चाहें तो साइकिल चलाने के बाद में अपने बॉडी का एक्ज़ामिनेशन करवा लें। साइकिल चलाने के बाद आप अपने शरीर के अन्दर एक प्रकार का यह पायेंगे कि कुछ अधिक थके हैं। उसका कारण यह है कि शरीर के अंगों पर दबाव पड़ता है, रगड़न पड़ती है उससे कमज़ोरी आती। इस तरह से यह मैं मान कर चलता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह प्रथा बिल्कुल ही अहितकर है। उसको तत्काल ही समाप्त करना चाहिये। चाहे आप बड़े शहरों में जाइये। मद्रास की बात आप छोड़िये, मद्रास का लिविंग स्टेन्डर्ड बहुत कम है। बम्बई में साइकिल नहीं मिलेगी, रिक्शा नहीं मिलेगी। मद्रास में है वह हाथ के हैं। एक आदमी पर एक आदमी चढ़ कर जाना; यह

(डॉ० बहादुरसिंह)

उपयुक्त नहीं है ; और मैं यह समझता हूं कि यह प्रस्तावक महोदय की भावना बहुत सुन्दर है। उन्होंने उसके द्वारा सदन को रिक्शे चालकों के लिए विचार करने के लिये एक सुअवसर दिया है। सदन इस पर विचार करके सरकार को मार्गदर्शन दे सकता है। लेकिन मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और वह विरोध इसलिये करता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज़ की ऐसी स्थिति नहीं है कि इतना बर्डन ले और न म्युनिसिपैलिटीज़ को इस प्रकार से बाध्य करना चाहिये सदन की ओर से जब तक कि हम उनको इस बात के लिये कम्पेन्सेट नहीं कर सकते हैं। रुपया हम नहीं दे सकते हैं और खुद के सोर्सेज़ नहीं हैं कि एक एक रिक्शा खरीद सकें। यह बाध्य करें म्युनिसिपैलिटीज़ को, उनको यह आदेश देना चाहिये कि इतनी पर्सेन्टेज के हिसाब से ठेके के रिक्शे समाप्त करना है। अगर वे यह कहते तो नगरपालिका को हम आदेश देते कि ५ पर्सेन्ट रिक्शा कम कर दे ठेकेदारों के तो, मैं उनका हृदय से समर्थन करता। लेकिन उनके द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव का विरोध करें। लेकिन जहां तक उनकी भावना है, रिक्शा चालकों के प्रति जो मानवता की मांग है उसको राजस्थान सरकार और माननीय मंत्री हृदय से जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। वह स्वास्थ्य विभाग को लेकर चलते हैं, इसलिये उनके ऊपर जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को ज्यादा महसूस करना चाहिये। इसलिए मैं उनके द्वारा सरकार को निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि वे सरकार को इस बात के लिये केबिनेट में प्रेस करें कि इस प्रकार का आदेश देकर उस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिये। यह निश्चय करके अगर हम चलेंगे तो मैं समझता हूं कि मानवता के कलंक को समाप्त कर सकेंगे। बहुत कुछ आदेश केन्द्रीय सरकार के हैं कि नये रिक्शा चालकों को लाइसेन्स नहीं देना चाहिये, लेकिन फिर भी देते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में अच्छी तरह से विचार करना चाहिये और विचार करके जितना जल्दी इस प्रथा को समाप्त कर देंगे भारतवर्ष के अन्दर से एक कलंक को हम जल्दी से मिटा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव के संबंध में एक ही मसले की नाना प्रकार से चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि रिक्शा-चालकों की जो स्थिति है और यह जो प्रथा है वह एक तरह से खराब है। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दर्म्यान मैंने इस सम्बन्ध में इसी सदन में एक बात सामाजिक शोषण के सम्बन्ध में कही थी कि हम सामाजिक शोषण की दृष्टि से राजस्थान के अन्दर कुछ अधिक नहीं कर रहे हैं, और उस वक्त मैंने रिक्शा-चालकों का भी उदाहरण दिया था। सभापति महोदय, उस समय यह कहा गया कि राज्य सरकार को रिक्शा चालकों की यह जो प्रथा है इसको बिल्कुल समाप्त करना चाहिए।

हमारे सामने दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि क्या रिक्शा प्रथा जो है इसको बिल्कुल

(श्री शंकरलाल)

समाप्त किया जाय, और अगर यह बिल्कुल समाप्त नहीं की जाती है, तो फिर आगे किस दृष्टि से चलाया जाय और रिक्शा–चालकों की दशा को किस प्रकार से सुधारा जाय ? सभापति महोदय, अगर सरकार चाहती है कि साइकिल के जो रिक्शा हैं उनको बिल्कुल बन्द कर दिया जाय राज्य में तो मैं समझता हूं कि उसके बाद हमें रिक्शा–चालकों की स्थिति पर विचार करने के लिए कोई चीज़ शेष नहीं रहेगी। लेकिन एक दृष्टि से यह रिक्शे चालू रखे जाते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा ? तो अगर साइकिल के रिक्शे बिल्कुल खत्म कर दिये जाते हैं और सरकार कर सकती है क्योंकि इसमें बहुत सी बुराइयां बताई गई, स्वास्थ्य की दृष्टि से और दूसरी दृष्टियों से भी लेकिन हमारे सामने सवाल है कि साइकिल रिक्शा को अगर सरकार खत्म नहीं करती है तो फिर क्या करना चाहिए ?

सभापति महोदय, ठेकेदारी प्रथा के बारे में जो बातचीत मेरी रिक्शा चालकों से हुई है उस बातचीत से मुझे कटु अनुभव हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के अन्दर समाज की व्यवस्था अच्छी हो, जमीन की व्यवस्था अच्छी हो और किसी प्रकार की व्यवस्था में से जो बिचौलिये हैं उनको समाप्त करें। हमारी सरकार ने इस नीति की घोषणा की है कि कोई इन्टरमीजियेरी नहीं चाहिए। रिक्शा चालक और रिक्शे पर बैठने वालों के बीच में ठेकेदारी प्रथा आती है जिन्हें हम लैण्ड लोर्ड कह सकते हैं जो कि रिक्शाओं के जागीरदार हैं, बिना परिश्रम के फायदा उठाते हैं। सभापति महोदय, ढाई रुपये रोज उस रिक्शे के दिये जाते हैं जब कि रिक्शे की कीमत ४५०)रु० या ५००)रु० होती है। ५००)रु० पर ब्याज कितना होता है ? अगर एक रुपये सैकड़े से भी ब्याज लिया जाय तो ५)रु० से ज्यादा खर्च नहीं होता है। २॥)रु० रोज रिक्शा का लिया जाता है तो ७५)रु०, ८०) रु० महीने का ब्याज लिया जाता है। कोई भी धन्धा ऐसा नहीं है जिसके अन्दर इतनी छोटी सी पूंजी के ऊपर इतना ब्याज मिलता है। रिक्शा चलाये कौन ? शरीर किसका ? मेहनत करने वाला रिक्शा चालक है। वह अपने परिश्रम से पसीना बहा कर कमाता है। वह कड़ी धूप के अन्दर आदमियों को बैठाये २ फिरता है और रिक्शों पर बैठने वालों से जो पैसा लिया जाता है वह जाता है उन आदमियों की जेबों के अन्दर जो कि दूकान पर आराम से गद्दी तकिये लगाये बैठे हैं। उन्होंने केवल ४५०)रु० की पूंजी खर्च की है। इस वजह से एक बिचौलिया बना बैठा है और उनको पैसा दिया जाता है। मैं कहता हूं कि यह कहा गया है कि ५ पर्सेन्ट खत्म कर दिये जायं या इतने पर्सेन्ट खत्म कर दिये जायं तो क्या अड़चन आती है सरकार के सामने इस प्रकार की ? सभापति महोदय, वह चालू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का कानून नहीं बनाया जा सकता है कि रिक्शा चालकों और रिक्शा पर बैठने वालों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा और वह ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाती है। सदन को अधिकार है, सरकार को अधिकार है। रिक्शा चालकों की स्थिति को देखते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब रिक्शा चालकों की दुरावस्था को देखते हैं तो उससे और कोई बुरी बात नहीं है। क्या कानूनी अड़चन

(श्री शंकरलाल)

आने वाली है कि इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता है ? यह बड़ी आसानी से समाप्त की जा सकती है।

अगर इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है तो दूसरा एक और तरीका है। एक तरफ आप यह कहते हैं कि यह प्रथा खराब है इसलिए रिक्शे बढ़ाना नहीं चाहते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा चालू रहेगी, तो क्या मतलब है ? अगर आप इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म नहीं करना चाहते हैं, अगर आप में हिम्मत और साहस नहीं है कि इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाय तो दूसरा और जरिया है कि आप इस बात की छूट दे दें कि कोई भी आदमी रिक्शा बना कर चला सकता है। रिक्शा चलाने-वाला कहता है कि मेरे पास पैसा है, मैं किसी के पास से इतनी पूंजी उधार ले सकता हूं। आठ आने सैकड़े के ब्याज से और रिक्शा चला सकता हूं तो जिस प्रकार से एक किसान को ऋण दिया जाता है सरकार से बैलों के लिए, बीज के लिए और उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती है। दूसरे धन्धों के लिए ऋण दिया जाता है, और सरकार कहती है कि यह प्रथा खराब है तो या तो इस प्रथा को बिल्कुल खत्म कर दें या अगर खत्म नहीं करते हैं और रिक्शा चालक चाहते हैं कि वे अपनी पूंजी से रिक्शा बनावें तो उनको छूट दें रिक्शा बनाने की।

जब तक आप रिक्शा प्रथा को खत्म नहीं करते हैं तो जो रिक्शा चालक हैं उनको छूट होनी चाहिए कि वे चाहें तो अपनी पूंजी लगा कर रिक्शा चलायें ; आप उनको क्यों मालिक बनने से रोकते हैं ? क्यों आप ठेकेदारी प्रथा को कायम रखना चाहते हैं ? उस समय आप कहते हैं कि हम तो इस प्रथा को खत्म करना चाहते हैं इसलिए रिक्शा बढ़ाना नहीं चाहते। तो या तो आप बिल्कुल ही इस रिक्शा प्रथा को खत्म कर दो या फिर जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनको ही वे रिक्शे दे दिये जायें और उनसे उनकी कीमत वसूल कर ली जाये ताकि बिचौलिये खत्म हो जायें। जैसा आपने बताया कि आज शहर में रिक्शा चालक दो हज़ार हैं तो कल तीन हज़ार भी हो सकते हैं। एक ही रिक्शा को दो आदमी चला सकते हैं। एक तो रात में चला सकता है और फिर दूसरा दिन को चला सकता है। दोनों पाली चलती हैं। यह जो पैसा ठेकेदारों की जेब में जाता है तो आप इस तरह से उनको छुट्टी देते हैं कि मामूली पैसों में खूब दिन-रात कमाओ। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम रिक्शा प्रथा को खत्म करना चाहते हैं इसलिए रिक्शाओं की संख्या को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरे दो सुझाव हैं। पहला तो यह कि या तो इस रिक्शा प्रथा बिल्कुल ही खत्म कर दी जाये और दूसरा सुझाव यह है कि अगर किसी तरह से प्रथा चालू भी रखी जाती है तो उसके लिए सरकार को हिम्मत के साथ यह कदम उठाना चाहिए कि ठेकेदारी की प्रथा को खत्म किया जाकर रिक्शा चालकों को राहत पहुंचाये और जो रिक्शा अभी मौजूदा हैं वे रिक्शा चालकों को दे दिये जायें और जो उनके मालिक हैं उनको उनकी कीमत दिला दी जाये ; वह भी इन्स-टालमेंट में दिलाई जाये। जिस प्रकार जागीरदारों ने बहुत पैसा इस जमीन से कमाया है और बहुत दिनों तक अपनी जागीरी से फायदा उठाया है उसी प्रकार से

(श्री शंकरलाल)

रिक्शा मालिक बहुत दिनों तक जागीरदार बने रहे। अब उनकी रिक्शाओं को सरकार ले ले और उनको कम्पेन्सेशन दे दे। जो उसकी वाजिब कीमत हो वह रिक्शा चालक से मालिक को दिलाये और अगर रिक्शा चालक के पास पैसा नहीं हो तो वह इन्सटॉलमेंट में दे सके, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर ऐसा कदम हमारी सरकार उठाती है तो मैं समझता हूं कि वास्तव में उन हज़ारों आदमियों को फ़ायदा पहुंचेगा जो कि अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई से इस प्रकार का धंधा करते हैं। यहां पर राजस्थान की राजधानी में हमें यह सामाजिक शोषण देखने को मिलता है। वास्तव में यह अच्छी बात नहीं है। यह बहुत चुभने वाली बात है। जब सरकार की यह स्पष्ट नीति घोषित हो चुकी है कि हम किसी प्रकार के बिचौलिये नहीं चाहते तो क्यों नहीं सरकार इनको खत्म करती है? इस प्रस्ताव में नगरपालिका की बात कही गई कि नगरपालिका को वितरण करने का अधिकार दे दिया जाये पर इसको नगरपालिका क्यों सरकार कर सकती है। चाहे वह जितना टैक्स लगाये और वितरण करने की छूट दी जाये यह नगरपालिका करे। तो इस दृष्टि से करे, रूल्स और कानून की दृष्टि से अधिकार दिया जाये कि इसको मद्देनजर रखते हुए इसको करे। हमारे पास जवाब नहीं है कि हमने क्यों अभी तक बिचौलियों की प्रथा रिक्शा चालकों की चालू कर रखी है। तो सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जहां तक रिक्शा चालकों का प्रस्ताव है मैं उस हद तक तो उसका समर्थन करता हूं और साथ ही जो मैंने सुझाव दिये हैं कि हमारी स्पष्ट नीति हो कि या तो इस प्रथा को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाये या फिर रिक्शा प्रथा को खत्म नहीं करते हैं तो जो ठेकेदारी प्रथा है उसको खत्म कर दिया जाये और रिक्शा चालकों को ही रिक्शे दे दिये जायें। मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्यों इस प्रथा को चालू रखना चाहते हैं जिससे परिश्रम करने वाले जो आदमी हैं उनकी कमाई का पैसा दूसरों की जेब में जाता है? तो मैं और निवेदन करूंगा कि वास्तव में इसके ऊपर गंभीरता से सोचा जाये, सरकार की तरफ़ से, इसके लिए कोई न कोई कदमे उठाये जायें।

श्री सभापति : श्री धर्मपाल।

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर-सु०) : माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में रिक्शाओं की संख्या १३७ है और १३७ मालिकों के रिक्शा हैं और एक रिक्शा यूनियन बनी हुई है और यूनियन के पास १० रिक्शा ही हैं जो बहुत ही कम हैं। रिक्शा प्रथा देश के लिए वास्तव में एक कलंक की चीज है। एक आदमी को आदमी घसीट कर ले जाये, यह बहुत ही शर्म की बात है। मैं अपना स्वयं का अनुभव बताऊं कि मैं जब कभी यहां रिक्शा पर आता था तो मैं सोचता था कि यह कितना बड़ा कलंक है....

एक माननीय सदस्य : आप भी तो रिक्शा पर आते हैं।

श्री धर्मपाल पंवार : मैं अब नहीं बैठता हूं इसीलिये ही एक साईकिल ले ली है। जो यह प्रथा है कि एक इन्सान इन्सान को घसीट कर ले जाये, यह वास्तव में प्रथा बहुत बुरी है और लज्जाजनक है। मैं इस

Page No.89

(श्री धर्मपाल पंवार)

प्रस्ताव का इस रूप में समर्थन करता हूं कि प्रस्तावक महोदय की भावना वास्तव में हमदर्दी भरी है इन्सान के प्रति और जब तक हम इस प्रथा का अन्त नहीं करेंगे तब तक हम वास्तव में समाजवादी व्यवस्था जो लाना चाहते हैं उसके लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकेंगे। समाजवाद हम तभी ला सकते हैं कि इस किस्म के जो पेशेवर लोग हैं, जो शारीरिक परिश्रम करके अपने बाल-बच्चों का पोषण करते हैं उनकी आर्थिक आय का दूसरा जरिया अपनाना चाहिए। गवर्नमेन्ट को चाहिए कि ऐसे जरिये निकाले कि जिससे इनकी उदरपूर्ति हो सके और कहीं ऐसा न हो कि रिक्शा चालकों में बेकारी बढ़ जाये। रिक्शा हमारे जयपुर शहर में हैं और गंगानगर में भी हैं। मेरे खयाल से शायद अलवर में भी चलते होंगे। बीकानेर में नहीं चलते, दिल्ली में नहीं चलते। हां, पहले दिल्ली में हाथ रिक्शा चलते थे लेकिन आजकल वे भी बन्द हैं। साथ ही रिक्शा चलाने वालों का परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। सब जानते हैं कि रिक्शा चलाने वाले की और साइकिल चलाने वाले की क्या स्थिति होती है, उसको मनहूस बीमारी का शिकार होना पड़ता है। इस दृष्टि से देखें तो भी यह प्रथा अच्छी नहीं है और आमदनी के लिहाज़ से भी देखें तो रिक्शा चालक को २॥) रुपया तो मालिक को किराया के रूप में देना पड़ता है और दिन भर की कमाई में बहुत कम पैसा बचता है जिससे वह अपने बाल बच्चों का भरण-पोषण कर सके। कई बार ऐसा देखा जाता है कि रिक्शा-चालकों का सवारियों से झगड़ा हो जाता है और यहां तक मैंने नौबत आते देखी है कि मारपीट हो जाती है। इससे रिक्शा चालकों की बेचारों की कमबख्ती आ जाती है। जिस समय रिक्शा वाले को पैसे देने का सवाल आता है तो अक्सर झगड़ा लड़ा हो जाता है। आप ही बताइये बेचारे रिक्शा चालक का पेट ही नहीं भरता तो वह झगड़ा नहीं करे तो और क्या करे? मैंने कई बार देखा है कि बहुत बार एक्सीडेन्ट्स हो जाते हैं और सवारियों को भी चोटें आ जाती हैं। रिक्शा के अन्दर दो से भी ज्यादा सवारियों को चढ़ते देखा है। यह प्रथा हमारे देश में बहुत ही खराब है और इस प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार कदम उठाये और इसके लिए यूनियन बनाये या कोई यंत्रचालित रिक्शा चलायें और उनकी बेकारी न बढ़े, इस ओर भी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। चाहे इसके लिए सहकारी समिति बनाई जायें या दूसरे उपाय निकाले जायें। जब तक ये रिक्शे चलते हैं तो ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिये कि इनके किरायें की दरें निश्चित कर देनी चाहिए। जैसे यहां से हम गवर्नमेन्ट होस्टल जाते हैं या यहां से सेक्रेटेरियट जाते हैं तो उसका निश्चित पैसा बंधा हुआ हो जिससे न तो झगड़ा हो और न किसी तरह की दिक्कत हो। घंटे के पैसे भी वैसे बंधे हुए हैं लेकिन वह बहुत स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए इस प्रथा को कुछ दिनों तक रखें तो इसकी ऐसी व्यवस्था भी जरूर कर देनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है और इसका अन्त कर दें। इनके स्थान पर यंत्र चालित रिक्शा चलाये जायें। तो इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रस्तावक महोदय की भावना की कद्र करते हुए सरकार इस तरफ अवश्य ध्यान दे।

श्री मोहरसिंह (चुरू): माननीय सभापति महोदय, सदन के सम्मुख माननीय

(श्री मोहरसिंह)

मोगजी भाई ने एक संकल्प पेश किया है। उन लोगों के मुताल्लिक यह संकल्प है, सभापति महोदय, कि वास्तव में जो आज. के नकली समाजवाद में बहुत नीचा जीवन—यापन कर रहे हैं....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : नकली समाजवाद ?

श्री मोहरसिंह : जी हां, नकली समाजवाद ।

माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों की तरफ से कहा गया कि इन्सान के ऊपर इन्सान सवारी करके चले, यह हमारे लिये लज्जा की बात है। इस बात कोई से इन्कार नहीं कर सकता है, सभापति महोदय, कि वास्तव में हमारे देश के अन्दर जिसको हम कभी बहुत ऊंचे नाम से स्मरण किया करते थे, हम ही नहीं और दुनिया के लोग भी वह आज किस अवस्था में पहुँच गया है कि वहां पर इन्सान इन्सान को खींच कर ले जाय, इन्सान इन्सान को घसीट कर ले जाय। वह इसलिए करता है कि पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिए उसके पास दूसरा अन्य कोई तरीका हमने बता नहीं रखा है। सभापति महोदय, उन साथियों ने यह कहा कि यह लज्जा की बात है कि इन्सान को एक इन्सान खींचे, वहां पर मैं इस बात से भी ज्यादा लज्जा की बात यह महसूस करता हूँ कि इस नकली समाजवादी राज्य में हम उन लोगों को रिक्शा चलाने के पेशे के सिवाय इसके अलावा हम उनको पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए अन्य कोई रोज़गार नहीं दे सके; जो कि किसी भी सरकार का यह फर्ज होता है। आज से २० वर्ष पहले के पंडित नेहरू के वे शब्द एक दफा के मेरे को याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि वह सरकार, वह गवर्नमेंट काबिले बर्दाश्त नहीं है जिसके राज्य में एक इन्सान एक वक्त भी भूखा सोये। एक तरफ वे शब्द हैं, दूसरी तरफ हम समाजवाद का नारा लगाते हैं और इधर इन्सान इन्सान के ऊपर चढ़ कर चलता है। यह लज्जा की बात है। इसको हमें गहरे रूप से सोचना चाहिए, गम्भीरता से सोचना चाहिए कि आखिर यह उनको करना क्यों पड़ता है? यह व्यवस्था कहां से चली है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर इस चीज़ को सोचते हैं तो महसूस करना पड़ता है कि वास्तव में समाजवाद का नारा जो हम देते रहे हैं उससे हम कोसों दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं। वास्तव में, सभापति महोदय, वह इन्सान करे तो क्या करे? बहुत मुश्किल से दिन भर में ३) रु० कमाये। उसमें ढाई रुपये शाम को मालिक को देना पड़े, क्योंकि वह रिक्शा—वाला है। जब वह आठ आने के पैसे लेकर शाम को बच्चों के पास जाता है तो महसूस यह करता है कि उसने कुछ खोया है। किस तरह से उसके बच्चों का वह एक दिन का गुज़रान करेगा जब तक कि शाम को दूसरे दिन फिर पैसे लेकर नहीं पहुंचेगा? यह रोज़ाना उनके साथ में बीतती है। हमें इस बात पर विचार करना है कि समाजवाद कहां है? समाजवाद में जहां श्रम को प्रधानता दी जानी चाहिए वहां पर पूंजी को प्रधानता मिल रही है। लेकिन आज श्रम के साथ में इस तरह से पूंजी का भयंकर खिलवाड़ हो रहा है, बड़ा जबर्दस्त खिलवाड़ हो रहा है। हमें इसकी गंभीरता को महसूस करना

(श्री मोहरसिंह)

चाहिए। एक तरफ तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अन्दर नूपुरों की खनखनाहट में हम मस्त हो रहे हैं, हम एशोआराम कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक आदमी दिन भर की मज़दूरी के बाद में आठ आने लेकर घर जाय, यह क्या दृश्य है ? क्या नजारा है ? उस चीज़ पर हमें विचार करना चाहिए । यह एक चरम सीमा है। एक तरफ सांस्कृतिक प्रोग्रामों के संबंध में एशो आराम है, विलासिता है और दूसरी तरफ वह भूखा आदमी मायूस होकर, दुखी होकर, हैरान होकर, परेशान होकर आखिर रिक्शा चलाने के घृणित पेशे को करने को तैयार होता है। इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो पेट की ज्वाला बुझाने के लिए रिक्शा खींचते हैं । जैसा कि हमने अभी कहा कि यह देश के लिए लज्जा की बात है कि इन्सान इन्सान को खींचता है। अगर हम इसको लज्जा की बात समझते हैं तो हमें पूंजीवादी बिचौलिया प्रथा के बजाय श्रम को प्रधानता देनी पड़ेगी। श्रम को प्रधानता देने के लिए विचार करते हैं परन्तु वास्तव में हम पूंजीपति को, सरमायेदार को, पैसे वालों को जो ४५०) रु० का रिक्शा देकर उससे ढाई रुपया रोज वसूल करता है और महीने में ७५) रु० कमाता है, जो ४५०) रु० इन्वेस्ट करके ६ महीने में रिक्शों को डबल करता है, इस तरह की चोरियां करने वालों को हम इस नकली समाजवाद में बढ़ावा देते हैं। उसके लिए जो आठ आना मुश्किल से दिन भर में बचा कर ले जाता है हमारे दिल के अन्दर ग्लानि नहीं, उसकी कोई हमारे दिल के अन्दर सोच-फिक्र नहीं है, चिन्ता नहीं है। इसलिए मैं प्रस्ताव रखने-वाले महानुभाव के साथ सहमत होकर वास्तव में इस प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था चाहे कोऑपरेटिव के जरिये की जाय या म्युनिसिपैलिटी स्वयं करे । जयपुर शहर में ६०० रिक्शे हैं और ४५०) रु० प्रति रिक्शे के हिसाब से ४,०५,०००) रु० बड़ी मुश्किल से जुड़ेगा। तो ४ लाख की व्यवस्था हम किसी तरह से करके उनको देदें । मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। इस तरह से उनका गुज़ार होगा और मनुष्य बन कर वे अपनी जिन्दगी काल क्षेप कर सकेंगे, अच्छे तरीके से गुजारा कर सकेंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि समाजवाद का नारा देने के बजाय गम्भीरता के साथ में उन लोगों को जिनका कि स्टेन्डर्ड बिल्कुल गिरा हुआ है, जीवन-स्तर बिल्कुल नीचा है, प्रमुखता दें, उनके लिए सोचें। उसके बाद में हमारा हक है कि हम किसी प्रकार के एम्यूज़मेंट के ऊपर पब्लिक का पैसा खर्च करें और इन सारी चीजों के लिए प्रस्तावक की जो मन्शा है उसको बिल्कुल सही मानता हूँ और ज़रूरी मानता हूं और गम्भीरता के साथ में महसूस करते हुए, समर्थन करते हुए, यह मांग करता हूं कि नगरपालिकाओं के मिनिस्टर साहब इसको सोचें। सदन में इस विषय के लिए विचार करें। यह एक अहम समस्या है और वास्तव में समाजवाद की तरफ सही और सच्चा कदम बढ़ाते हैं और यह नजीर पेश कर दें देश के लिए कि हमने कुछ किया है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इनके संकल्प का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, यह प्रथा समझ में नहीं आई।

Page No.92

(श्री मूलचन्द डागा)

प्रथा तो वह होती है, जैसे सती प्रथा। प्रथा क्या है? प्रथा रूढ़ियों पर चलती है तो रूढ़ियों को मिटाया जा सकता है और रीति और रूढ़ियां तो बुद्धिहीनों के कानून होते हैं जिनको मिटाना चाहिए। यह प्रथा क्या है? इन्सान इन्सान पर हुकूमत करता आया है। इन्सान जिन्दगी भर से करता आया है और आज भी यदि करता है तो क्या है? नहीं करता तो वह लोकतन्त्र में, लेकिन जब पूरा लोकतन्त्र बन जायगा तब यह नहीं होगा। आज मोटर पर गुजरते हुए हम देखते हैं कि कितने मुर्दे पड़े रहते हैं सड़क पर और 'एक पैसा दे दो बाबा' चिल्लाते रहते हैं तो इन्सान की इन्सान पर हुकूमत होती आयी है। सैकड़ों वर्षों से हुकूमत होती आई है। हमने ज्यों ज्यों तरक्की की है मनुष्य ने और समाज ने तो क्या मनुष्य मुनष्य के बीच का भेद-भाव कम हुआ है? मुझे मालूम है आप लोग धन पैदा करते है और खोते हैं। दिन रात यह चक्कर घूमता रहता है। कभी कोई नतीजा निकला है अब तक? ये तो बातें हैं जो आप और हम मिल कर करते हैं। क्या आंखें मूद कर चलते हैं मंत्री महोदय? संसार ही ऐसा है। आदर्श ठीक है। हम बात कर लें। बातें करने के लिए वह ठीक है कि किसी को रिक्शा नहीं चलाना चाहिए। कभी हम कहते हैं कि परिवार-नियोजन की समस्या को हल नहीं करना चाहिए। पब्लिक की पेट की आग को बुझाने के लिए; उनको भूख लगती है उसको मिटाने के लिए कोई साधन करें सरकार। अगर साधन उपलब्ध नहीं करती है तो एक आदमी कड़ी सर्दी में भिष्टा की टोकरी सिर पर उठाता है और काफ़ी दूर पैदल जाता है और उसके पग में जूता नहीं होता है। यह तो व्यवस्था है। आज की व्यवस्था के जुल्मों से उनकी आत्मा जाग जायगी। उन जुल्मों की ठोकर से आदमी जाग जायगा और जागने के बाद में वह उस प्रथा, व्यवस्था को मिटा देगा जिस व्यवस्था से आदमी का शोषण होता है। इसलिए अगर १०, २० मर जायं तो मर जाने दो। न एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है और न मन्त्री कर सकते हैं। भरपूर जुल्म होने दो और जब वह मर जायगा और उनकी लाशें उनके आगे से निकाली जायगीं तो इन्कलाब आ जायेगा। एक नई पद्धति जन्म लेगी।

आज हम बात करने के लिए बात कर सकते हैं। रिक्शे पर हरएक सवारी करता है। तीन आने दिये और गवर्नमेंट होस्टल पहुंचते हैं। 'न दया न हया'। कवि कविता कर देता है और समालोचक समालोचना कर देता है, लेकिन बैठते सब हैं। ठेकेदारी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। नाम ही बुरा है ठेकेदारी। शराब का ठेकेदार पानी मिलाता और बोतल भर कर बेचता है आपने अक्ल की ठेकेदारी ले रखी है, यह भी बुरा है। ठेकेदार हर एक बात का बुरा है। उसको मिटाना है। उसको मिटाने के लिए आज के प्रजातन्त्र में हम क्या कर पाये हैं? मैं कहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के पास में १५ करोड़ का बजट आया है। उसमें से वह डेढ़ करोड़ रुपया दे। समाज कल्याण विभाग क्या करता है बैकवर्ड क्लासेज़ में? चन्द दिनों उसके केन्द्र नहीं चलते हैं। १५ करोड़ रुपये की समाज कल्याण विभाग के पास रकम है उसमें से डेढ़ करोड़ रुपये की रकम के मशीनी रिक्शे जयपुर में लगा दे तो क्या? यह काम समाज कल्याण विभाग

(श्री मूलचन्द डागा)

का सबसे बड़ा आदर्श काम होगा और मज़बूत काम होगा। रिज़ोल्यूशन पड़ा हुआ है। पैसा पड़ा हुआ है। हम उनको पनपा सकते हैं, उनके घरों को खिला सकते हैं। बगीचा लगा सकते हैं। कहा जाता है कि शरीर सूख जाता है लेकिन शरीर हरा हो जाता है, पैसा मिलना चाहिए। पैसा मिलता है तो कुछ नहीं होती हैं। जहां पैसा है वहां पर टांगे कमज़ोर नहीं होता है। मैं वकील हूं। मैं ७ घन्टे खड़ा रहता हूं। मैं ७ से ११ घन्टे खड़ा रह सकता हूं फीस देने वाला चाहिए। सवाल यह नहीं है कि बंद करने के लिये आपके पास साधन नहीं हैं। आप इसको तोड़ दीजिये हथौड़ा लेकर, मिनिस्टर साहब कह दें कि यह खत्म कर दिया जाय। ठेकेदारी बुरी प्रथा है, यह दुनिया मानती है, सब मानते हैं कि यह टूटनी चाहिये। लेकिन इसके लिये इरादा चाहिये, संकल्प चाहिये, विचार चाहिये और मजबूत इरादा चाहिये। गये और तोड़ दिया। बम्बई में शराब की ठेकेदारी को के० एम० मुंशी ने तोड़ दिया। के० एम० मुंशी ने इन्कलाब किया, लीलावती मुंशी उनके साथ गई और ठेकेदारी तोड़ दी गई। हम कहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा बुरी है। कौन कहता है कि बुरी नहीं है ? ठेकेदारी का स्थान ही नहीं है लोक तंत्र में। ठेकेदारी आपने मिटा दी। आप कहते हैं कि हरिजन भाई भी राष्ट्रपति बन सकता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लेकर हमने इन्कलाब किया। ब्रदरहुड, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी चाहिये। ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं, लेकिन आज ये चीजें बहुत कम नजर आती हैं। फटे-पुराने कपड़े पहने हुए एक आदमी रिक्शा चलाता है उस पर हम बैठते हैं; क्रीम लगाकर और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात कहते हैं, हमें फ्रेटर्निटी, लिबरटी और ब्रदरहुड चाहिये तो ठेकेदारी को कैसे स्थान देते हैं ? किस बात की ठेकेदारी ? लोकतंत्र और प्रजातंत्र में किस बात की ठेकेदारी ? हमें अक्ल का ठेका लेना नहीं है। एक ही वोट हरिजन के लिये है, एक ही वोट आपके लिये हैं और उस ठेकेदार का भी एक ही वोट है जिसको रिक्शा दे दिया है। इस समाज में ठेकेदारी कैसे चलेगी ? जब हम लोग कोई मजबूत इरादा कर लें तो इसको हटा सकते हैं। रिक्शा की ठेकेदारी को मिटाना चाहिये। इसके लिये धनराशि देनी चाहिये। जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने रखा है, हम वह समाज चाहते है जो शोषण के मुक्त हो। सारी दुनिया के लोगों का यह कहना है कि शोषण से मुक्त होना चाहिये। यदि शोषण से मुक्ति चाहते हैं तो ठेकेदारी को पहले खत्म कर दो। आप चाहे सहकारिता के आधार पर लें, चाहे मनुष्यता के आधार पर लें, बंधुता के आधार पर लें, दुनिया जैसा कि सभापति महोदय ने कहा था, आपका रिज़ोल्युशन ठीक है, गवर्नमेन्ट इस पर सोचेगी और कदम उठायेगी। क्यों उठायेगी क्योंकि भीखाभाई समाजवाद में विश्वास करने वाले हैं, पक्के गांधीवादी हैं, चाहे कुछ हो वे केबिनेट में इस प्रश्न को रखेंगे, आज नहीं तो फिर कभी रखेंगे क्योंकि उनका इरादा मजबूत है, उनकी कलम में ताकत है। हम समझते है कि ऐसे मिनिस्टर के हाथ से ठेकेदारी खत्म नहीं हो सकती तो किसके हाथ से खत्म हो सकती है ? नदियों पर पुल बांध कर इन्होंने

Page No.94

(श्री मूलचन्द डागा)

उन पर विजय पाई है तो ठेकेदारी पर भी विजय पायेंगे, नहीं तो उसको नदी के प्रवाह में बहा देंगे। आप इशारे से कह दें या और ढंग से कह दें, हमें आप में विश्वास है, प्रस्तावक चाहे प्रस्ताव वापिस ले लें, आप किसी भी भाषण में कह दें, ढंग से कहें, जो आपके पास आर्ट हो कहने का उससे कहें, विश्वास दिला दें कि ठेकेदारी टूट जायगी रिक्शेवाले जय बोलेंगे भीखाभाई की।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : सभापति महोदय, जो संकल्प बांसवाड़ा से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उनकी भावना को समझ नहीं सका हूं। वे चाहते क्या है? हम शोषणहीन समाज स्थापित करना चाहते हैं लेकिन जो संकल्प आया है उससे उनकी वह भावना कतई साबित नहीं होती। वे केवल एक तरीका बदलना चाहते हैं। जो ठेकेदार लोग इन रिक्शा चालकों का शोषण करते हैं वह बंद किया जाय लेकिन नगरपालिका को कहा जाय कि वे रिक्शा वितरण करें। लेकिन इससे प्रगति क्या हुई? केवल ठेकेदारों के स्थान पर नगरपालिका को रख दिया तो फिर उनकी भावना को सफलता मिलनी कतई मुश्किल है। इसलिये मैं उनके इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जहां तक उनकी भावना को मैं समझ पाया हूं मैं यह महसूस करता हूं कि दरअसल में आज के इस युग में जो रिक्शा चलाने की प्रथा है वह एक इन्सान के लिये उचित नहीं है। दुनिया आज कितनी आगे बढ़ चुकी है, विज्ञान के चमत्कार हमारे सामने हैं। कहा जाता है कि भारतवर्ष सदियों से बहुत पिछड़ा हुआ रह गया है लेकिन आज जो १३-१४ साल इस भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए हैं उसमें भारतवर्ष ने काफी बड़ी उन्नति की है। हर क्षेत्र में हमने सफलता प्राप्त की है। हिन्दुस्तान गरीब देश है। हमारा यह राजस्थान तो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ है और गरीब प्रान्त है। तो क्या किया जाय, यह प्रथा किस प्रकार से समाप्त की जाय?

मैं सबसे पहले सरकार को यह दोष दूंगा कि दरअसल में उसने इस प्रथा को खत्म करने की ओर कदम नहीं उठाया लेकिन उसने समर्थन किया है पूंजीवाद का, उन ठेकेदारों का जिनके पास एक हज़ार रिक्शा हैं। उनको लाइसेन्स देकर दूसरों को लाइसेन्स देना बंद कर दिया है। दूसरों को लाइसेन्स न देने के औचित्य को नहीं समझ पाये। क्या नीति है और क्यों सरकार उनको प्राथमकिता देना चाहती है? जो लोग २।।)रु. रोज रिक्शा चालकों की गाढ़ी कमाई में से लेते हैं उनकी ठेकेदारी को सरकार क्यों पनपाना चाहती है, इसके पीछे क्या भावना है, यह मैं नहीं समझ पाया। जो पद्धति चल रही उसको क्यों नहीं समाप्त किया जाता है। यदि कोई व्यक्तिगत पूंजी लगाकर रिक्शा खरीदना चाहता है और उसको चलाना चाहता है तो उसको क्यों रोका जाता है? यह रोक खत्म की जाय।

आज हम गरीबी को मिटाने के लिये लाखों-करोड़ों रुपयों की योजनाएं बनाते हैं, तो क्या आप चार-पांच लाख रुपये उनके लिये नहीं लगा सकते? जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनको स्वतंत्र बना दें कि वे अपनी पूंजी से रिक्शा खरीद सकें और उनको

(श्री तेजमल बापना)

मालिक बना दें। आज इस राजस्थान के अन्दर एक हज़ार रिक्शा चालक हैं, क्या हम उनके लिए यह विचार नहीं कर सकते कि उनको २०० रुपये, ४०० रुपये कर्ज के रूप में दे सकें ? इन्सान का जीवन बहुत मंहगा होता है और उस जीवन के लिए यदि हम दो लाख, चार लाख, पांच लाख रुपये रख कर उनको प्रोत्साहन दें, रिक्शा चालकों को प्रोत्साहन दें, जिससे वे अपना स्वतंत्र रिक्शा बनायें और स्वतंत्र रूप से रिक्शा के मालिक बन कर उसे चलायें जिससे ठेकेदारी की प्रथा, शोषण की प्रथा को समाप्त कर सकें। हम मौजूदा पद्धति में इतना सुधार कर सकते है लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। सभापति महोदय, मैं तो आज के इस वैज्ञानिक युग में चाहूंगा कि रिक्शा चलें जरूर, लेकिन यंत्र के जरिये से चलें। ऐसे सैकड़ों तरह के यंत्र हैं; जो साधारण कीमत में उन रिक्शाओं में लगाये जा सकते हैं और उनसे; जो शारीरिक शक्ति होती है, उसके ह्रास को रोक कर रिक्शाओं को यंत्रों की शक्ति से चलायें। उससे जहां एक मज़दूर, एक रिक्शा चालक पांच रुपये, चार रुपये, तीन रुपये कमा सकता है, वहां वह १० रुपये आसानी से कमा सकता है और जो पूंजी ज्यादा लगाता है, उसकी पूर्ति कर सकता है। तो हम इस संकल्प की भावना को तभी जाकर पूरा कर सकेंगे, यदि हम यंत्र चालक रिक्शा सप्लाई करें, इसके लिए गरीब रिक्शा चालकों की कोऑपरेटिव बनायें, चाहे उनकी यूनियन बनायें, या व्यक्तिगत रूप से उनकी सिक्योरिटी लेकर उनको कर्जा दें और इस प्रकार ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय। मैं यह कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : सभापति महोदय, बांसवाड़ा से आये हुए महानुभाव ने जो संकल्प रखा है और जिस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने संकल्प रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन उसका जो बदल बतलाया हैं, मैं उसके विरोध में हूं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो रिक्शा चालक का सिस्टम है, यह राजस्थान ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष जैसे देश के लिए भी कलंक और लज्जा की चीज़ है। आज भारतवर्ष में यह कहने का हम दावा करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। इधर हम दावा करें कि हम स्वतंत्र हैं और उधर हम देखें कि हमारे राज्य में पशुओं के समान एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को घसीट कर ले जाता है। इसका प्रभाव इस जमाने की संस्कृति और उन्नति पर पड़ता है, इसका सारे संसार पर क्या असर पड़ सकता है ? सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान में एक रिक्शा चालक को देख कर उस जमाने की याद आती है, जब कि १५० रुपये और २०० रुपये में अफ्रीका से गुलाम खरीद खरीद कर अमेरिका में ले जाया करते थे और उनको कोड़े लगा लगा कर उनसे खेती कराई जाती थी, इसी प्रकार से जैसे पशुओं से गाड़ियों को खिंचवाया जाता है। जब एक राजस्थान जैसे राज्य में हम स्वतंत्र होने का दावा करते हैं, तब भी आज मनुष्य को मनुष्य द्वारा खींचते हुए देखें तो क्या हमारा यह दावा सच हो सकता है कि राजस्थान स्वतंत्र देश का एक भाग है ? सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि रिक्शा

(श्री रामचन्द्र)

चालक की प्रथा है, यह दासता की ही नहीं बल्कि सामन्तशाही राज्य की उस बेगार प्रथा की भी याद दिलाती है, जब मनुष्य को विवश होकर पेट के खातिर, गरीबी की वजह से बेगार करती पड़ती थी । इधर राजस्थान सरकार ने ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने बेगार को एक समाजिक दोष घोषित किया है, फिर भी हम देखते हैं कि बेगार के समान एक प्रथा हमारे यहां अब भी चल रही है, तो हम कहां तक कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने इस प्रथा को मिट दिया है । तो सभापति महोदय, रिक्शा चालक प्रथा यह हमारे देश के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर एक कलंक का चिन्ह है, इसको अविलम्ब दूर किया जाना चाहिए । सभापति महोदय, राजस्थान सरकार इस बात का दावा करती है कि राजस्थान बनने के बाद राजस्थान सरकार ने अपने प्रत्येक क्षेत्र में बिचौलियों को दूर करने के लिए भरसक प्रयत्न किया है, ताकि मनुष्य मनुष्य का शोषण न करे । सरकार ने जागीरदारी प्रथा को दूर किया, जमीदारी और बिस्वेदारी प्रथा को दूर किया, और वर्तमान में ठेकेदारी प्रथा को भी दूर करने के लिए प्रयत्न कर रही है, जैसे कि जंगल के ठेके, बजाय ठेकेदारों को देने के सीधे उन मनुष्यों को ठेका दिया जा रहा है, जो मजदूरी करते हैं । जब कि इधर राजस्थान सरकार इस बात का दावा करती है कि हम बिचौलियों को मिटाना चाहते हैं, उधर राजस्थान में यह घृणित प्रथा मौजूद हैं, ठेकेदार अपने चांदी के टुकड़ों के बल के ऊपर मनुष्य का खून पी रहे हैं, तो क्या राजस्थान सरकार के लिए यह बड़े दुःख की बात नहीं है ? सभापति महोदय, इस प्रथा को देख कर विचार करें कि यह हमारे लिए बड़े कलंक की बात है । और यह प्रथा हमें उस जमाने की याद दिलाती है

(करतल-ध्वनि)

जब समाज पतित अवस्था में था । यह प्रथा हमें उस जमाने की भी याद दिलाती है जब राजस्थान बनने के पहले सामन्तशाही के जमाने में राजा महाराजा पालकियों में बैठा कर मनुष्य द्वारा ले जाये जाते थे ।

(करतल-ध्वनि)

इधर कहते हैं कि सामन्तशाही को नष्ट कर दिया है, यह प्रथा मिटा दी है, फिर भी मनुष्य मनुष्य को लिये जाता है, तो आपका यह दावा बिल्कुल निरर्थक है । इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान को अपने यहां एक अच्छी प्रथा कायम करनी चाहिए और यह जो दूषित और घृणित प्रथा रिक्शा खींचने की है, इसको अविलम्ब खत्म करना चाहिए । यदि राजस्थान सरकार किसी प्रकार यह समझती है कि इस प्रथा को खत्म करने से राजस्थान सरकार के सामने बेकारी का प्रश्न आयेगा तो मैं निवेदन करूंगा कि आपको इस बेकारी से नहीं डरना चाहिए । आप इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करते है तो बजाय ठेकेदारी प्रथा के सहकारी प्रथा को बनायें यानी सहकारी समितियां बना कर, रुपया देकर, रिक्शा देकर, सब तरह की सुविधायें दी जायं, ताकि इनकी कमाई का पैसा इनके पास ही रहे और सरकार इनको उचित सहायता दे सके । इक शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए अपना स्थान-ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री जेठमल ।

Page No.97

श्री जेठमल (नावा सु०) : सभापति महोदय, यह संकल्प बांसवाड़ा से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है, यह एक भावना को लेकर रखा है। रिक्शा चलाने की जो प्रथा हमारे प्रान्त में है यह बहुत अच्छी नहीं है। जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया कि इन्सान के ऊपर इन्सान चढ़ता है, इन्सान को इन्सान ले जाता है और बहुत ही मुसीबत के साथ वह रिक्शा आगे चलाता है। सभापति महोदय, ये जो अपने राजस्थान के अन्दर, जयपुर शहर के अन्दर एक हज़ार रिक्शा के मालिक हैं ...

श्री तेजमल बापना (बनेरा) : एक हज़ार रिक्शा चालक हैं।

श्री जेठमल : ये जो मालिक हैं, ये सारे रिक्शा चलाने वालों का खून चूसते हैं। एक आदमी दिन भर, रात भर मेहनत करता है, तब भी उसका पेट नहीं भरता है। वह जो कमाता है, उसका आधा पैसा तो ठेकेदार ले लेता है और आधा पैसा उसको मिलता है। इस तरह वह दिन भर, रात भर परेशान रहता है। ऐसी स्थिति के अन्दर जिन लोगों ने यह लाइसेन्स ले रखा है और यह लाइसेन्स बहुत थोड़े आदमियों ने ले रखा है, मेरा निवेदन है कि लाइसेन्स उनको नहीं देकर सब आदमियों के लिए छुट्टी दे दी जाय और सबको कह दिया जाय कि कोई भी रिक्शा बना सकता है, कोई भी रिक्शा चला सकता है। अगर यह छुट्टी दे दी गई तो उसके बाद रिक्शा चालकों के लिए एक बड़ी सुविधा हो जायगी और जो रिक्शा चलाना चाहता है, वह चलाने लगेगा और जितने रिक्शा मालिक हैं, वे अपने रिक्शाओं को बहुत कम कीमत पर बेच देंगे और जितने लाइसेन्स रिक्शा मालिक लेते हैं वे न लेकर हरएक आदमी लेने लग जायगा और उस वक्त किराये का एक रुपये से कम दर हो जायगी। इससे जो आदमी खून-पसीना बहा कर मेहनत करते हैं, उनको पूरा पैसा मिलेगा। इसलिए जो सुझाव सदन में आया है, वह एक बहुत अच्छी भावना को लेकर माननीय सदस्य ने रखा है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि रिक्शा चालकों की जो दिक्कत है, और इनके सामने जो मुसीबत है यह दूर हो जाय उससे इनको भी पेट भर खाने को मिल सके।

(करतल-ध्वनि)

श्री सभापति : श्री सूबेदारसिंह।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, यह संकल्प आया है, इस पर विचार हो रहा है सदन में। वास्तव में ठेकेदारी प्रथा है, वह चाहे इन्डीविजुअल हो, चाहे सोसाइटी की तरफ से हो, ठेके की प्रथा ठीक नहीं है क्योंकि हमारी सरकार का यह नारा है कि जो मेहनत करेगा, वह उस चीज़ का मालिक होगा। इस बारे में हमने एक व्यवस्था भी की है, जमीन को जो जोतता है, उस जमीन को जागीरदार और जमींदार से लेकर किसान को मालिक बनायें। उसी प्रकार जो रिक्शा को चलाते हैं वे रिक्शा के मालिक होने चाहिए, यह व्यवस्था होना बड़ा लाजिमी है। ठेकेदारी प्रथा तो यदि म्युनिसिपैलिटी इन रिक्शों को ले लेती है तो भी इन मज़दूरों के लिये ठीक नहीं होती। फिर हम सदन में विचार सुन रहे हैं, मानवता के ऊपर सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मानवता के ऊपर कितना कुठाराघात

(श्री सूबेदारसिंह)

होता है, मनुष्य मनुष्य को खींचता है। मैं कहना चाहता हूं, जो माननीय सदस्य इतनी हमदर्दी दिखाते हैं कि मनुष्य मनुष्य को घसीटता जाता है, वह बन्द करना चाहिये और ओटो-साइकिल चलाना चाहिये तो इस बारे में मेरा ख्याल है कि जिस देश की आबादी ४० करोड़ हो और निरन्तर बढ़ती जा रही हो, उस देश में मशीनरी लाकर क्या लोगों को बेकार करना चाहते हैं ? मैं कहता हूँ कि रिक्शा खींचते समय रिक्शा चालक के दिल में कोई भावना नहीं है कि उसके पीछे कोई आदमी बैठा हुआ है। जिस प्रकार, बैल गाड़ी पर बोझा उठा कर लाता है और एक जगह से दूसरी जगह डालता है उसी तरह की भावना उसमें होती है। क्या ही सुन्दर होता कि सदन में इनकी सहानुभूति में बोलने वाले महानुभावों में से, माननीय सदस्यों में से दो चार माननीय सदस्य आज प्रतिज्ञा लेते कि हम अपनी जिंदगी में कभी भी रिक्शा में बैठ कर नहीं चलेंगे। पर जहां टांगे वाला १ रुपया लेता है वहां रिक्शा वाला ३ आने में ले जाता है, इनमें दोनों ही का स्वार्थ है। तो इस प्रकार के देश में जहां आबादी निरन्तर बढ़ रही है, जहां आज पढ़े-लिखे लोग नौकरी के लिये दर दर भटकते फिरते रहते हैं, वहां और मशीनें लाई गईं तो लोग और ज्यादा संख्या में बेकार हो जायेंगे। अगर हमारे किसानों की दशा भी देखें तो दो-ढाई मन से कम बोझा खेत से अपने सर पर लेकर नहीं आते और फिर भी जाड़े और गर्मी की मुसीबत उठाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता है। रिक्शा, रिक्शा चलाने वाले का ही हो जाय और उसे ठेकेदार को ढाई रुपया रोज न देना पड़े और वह ढाई रुपये बजाय ठेकेदार को देने के उसके पास ही बचे रह जाय तो इस तरह रिक्शा चलाने वाले की रोजाना आमदनी ४ से ५ रुपया तक आसानी से हो सकती है और चार-पांच रुपया रोज में एक आदमी अपना अपने बाल बच्चों का अच्छी तरह से गुजर कर सकता है। तो भावना में न बह कर सरकार को यह करना पड़ेगा। रिक्शा बन्द करने से तो अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल और उग्र रूप में हमारे सामने आयेगा। सरकार एक मुश्त रुपया देकर या इन्स्टॉलमेंट्स पर देकर सब रिक्शे ले सकती है और रिक्शा चालकों की यूनियन बना कर उनको दे सकती है और २ रुपया रोज या १ रुपया रोज रिक्शा वाला देकर उस रिक्शा का मालिक बन जाय; इस तरह इन लोगों को अच्छी आमदनी हो सकती है। इस प्रस्ताव में ठेकेदारी की भावना है, इस प्रकार के इन्टरमीजियरीज़ रखना उचित नहीं। रिक्शा चालक ही रिक्शा के मालिक हों, यह मेरी भावना है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री काला बादल।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : सभापति महोदय, यह जो संकल्प रखा है, इस संकल्प में भावना बड़ी अच्छी है। जब इसकी भावना को देखते हैं तो मुझे तो इसमें यह मालूम होता है कि हमारे इस स्वतन्त्र भारत में आज भी श्रम करने वालों का शोषण होता है और कई वर्षों पहले हमारी भावना थी कि जब हम स्वतन्त्र होंगे तो जो मानव मानव का शोषण करता है,

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

उस चीज को खत्म कर देंगे। पर सभापति महोदय, आज हमारे देश में, हम लोग गरीबी और भुखमरी को मिटाना चाहते हैं तो यह देखना पड़ेगा कि मशीन के युग से गरीबी मिट नहीं सकती। आज गांवों के लोग अपनी बेकारी को दूर करने के लिये शहरों में आते हैं। आज से पहले गांवों में लोग कई प्रकार के धंधे करते थे, हाथ के धन्धे करते थे, हाथ की चक्कियां गांवों में चलती थीं, गांव की तिलहन का तेल घानी से निकालते थे, गांवों में चमड़े की चीजें बनती थीं जूते वगैरह। पर माननीय सभापति महोदय, हमने बड़े बड़े पूंजीपतियों को सहयोग देकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कायम कीं, वहां बड़ी बड़ी चमड़े की चीजें बनने लगीं, इनको प्रोत्साहन दिया और गांव में बनने वाली चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज गांव में तेली बेकार हैं, चर्मकार बेकार हैं और मिट्टी की चीजें बनाने वाले बेकार हैं। बल्कि गांवों में जो गरीब महिलाएं चक्की पीसती थीं वे बेकार हैं, आज गांवों में आज की चक्कियां ख्यारत कर रही हैं...

(हंसी)

और इधर बड़ी बड़ी मशीनें कायम करके लोगों को बेकार बना दिया गया है। औरतें सुबह जल्दी उठ कर चक्की पीसती थीं, लोग हाथ का पीसा हुआ अच्छा—ताजा आटा खाते थे, आज चक्कियां बन्द होने से बेकारी के साथ साथ बीमारियां बढ़ गई हैं। और आज गांवों के बेकार लोग शहरों की ओर भाग कर आये हैं। क्या करते बेचारे ? भुखमरी के कारण, बाल बच्चों का पेट पालने के लिये यहां आकर रिक्शा चलाने लगे। रिक्शा चलाने वाले सब गांवों से आये हुए लोग हैं। सब जगह मशीनें लगा दी गईं, बेकार हो गये और बेकारी से मजबूर होकर शहरों में आकर कई दिनों तक तो यहां बेकार घूमते हैं और पूंजी पतियों की शरण में जाते हैं कि हमको नौकरी चाहिये, तो पूंजीपति क्या करता है कि १० पांच रिक्शे खरीद लेता है और ४ रुपये रोज रिक्शे के किराये के रिक्शा चलाने वाले से लेता है। ४ रुपया रोज तो वह बेचारा नहीं कमाता है, इस पर कभी टायर फूट गया तो उसकी तो उस दिन की कमाई उसमें लग जाती है, कभी किराया नहीं चलने से रिक्शा का किराया भी नहीं चुका पाता है। बरसात में ज्यादा सवारियां इसलिये नहीं बैठतीं कि भीग जायेंगे ...

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उनकी परेशानी ही बता रहा हूं। खैर। इसलिये चाहिये यह कि चालकों की सोसायटी बनाई जाय। पहली अप्रैल को लिस्ट बना ली जाय कि जयपुर में कितने रिक्शे चलते हैं, किसी सूरत में बढ़ने नहीं पायें ! इन रिक्शों में हर साल कमी की जाय। उनको यदि रिक्शा बनाने की स्वतन्त्रता दे देंगे तो ये लोग बजाय रिक्शा बन्द करने के और ज्यादा बढ़ जायेंगे। इसलिये इनको बढ़ाना नहीं घटाना चाहिए, एक तारीख को संख्या निश्चित कर लेंगे कि इससे ज्यादा रिक्शे नहीं होंगे। अगले साल १० रिक्शे कम होंगे और उससे अगले साल और कम होंगे ; इस तरह १० साल में रिक्शा प्रथा को समाप्त कर सकेंगे, नये तो चलाने नहीं देंगे, जो पुराने हैं, मौजूदा चलाने वाले हैं उनके

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

परिवार का पालन हो जाय तो दस साल में रिक्शा प्रथा समाप्त कर देंगे । या तो इनकी जिस तरह जानवरों से तांगा चलाते हैं, इनकी सोसाइटी बना दी जायगी या इन रिक्शा चालकों के लिये अलग उद्योग कायम किया जाय । बड़े बड़े उद्योगों में इनको पहला स्थान दिया जाय ।

तो यह भावना थी कि इनको परेशानी होती है, गरीबी से मजबूर होकर दिन में रिक्शा चलाते हैं, सामने की हवा होती है, इतनी मुसीबत आती है कि रेत के टीबों में पैदल चल कर रिक्शा खींचते हैं । सभापति महोदय, पहले के इलेक्शन में माधोलाल खानपुरिया थे मैं भी था, सेक्रेटेरियेट गये, रिक्शा नहीं चला तो माधोलालजी खानपुरिया ने कहा....

श्री सभापति : कहानी नहीं कहें असली बात कहें ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो माधोलाल खानपुरिया ने रिक्शे वाले को रेत के टीबे में बिठाया और थोड़ी देर तक रिक्शा चलाया....

श्री सभापति : आपने नहीं चलाया ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैंने भी चलाया था । हम दोनों ने चलाया । मालूम हुआ कि इसको चलाने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है लेकिन क्या करें ; पेट सब कुछ करा देता है । इसलिये इस प्रथा को धीरे धीरे बन्द किया जावे और पूंजीपतियों के जाल से छुड़ाया जावे । अगर इनकी कोई सोसाइटी बनावेंगे इसके लिए, यह देखा जाना चाहिये कि कहीं इन सोसाइटीज़ में भी पूंजीपति न आ जाएं । इसके लिये पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि सच्चे माने में रिक्शा चालकों की ही सोसाइटी बनाई जावे ताकि उसका फायदा पूंजीपति न लें । इसलिये इसका ध्यान रखा जावे या इसका सरकार इन्तज़ाम करे, जैसा माननीय सदस्य, श्री सूबेदारसिंहजी ने कहा था कि सरकार रिक्शे मंगा ले और कम किराये पर उनको दे दे और जब पूरा पैसा वसूल हो जावे तो रिक्शा उनका हो जावे, ताकि इससे बेकारी मिटे और रिक्शा चालकों को सहूलियतें भी मिलें ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सभापति महोदय, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । जहां तक रिक्शा चलाने वालों का प्रश्न है सभापति महोदय, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है एक तो वे गरीब स्थिति में होते हैं और रिक्शा उनके खुद के नहीं होते हैं उनको रिक्शे किराये पर लेने पड़ते हैं । इसलिये दो आदमी मिल कर एक रिक्शा २४ घन्टों के लिए किराये पर लेते हैं । इसके २॥ रु. रोजाना उनको देने पड़ते हैं, रिक्शे के जो मालिक हैं उनको २॥) रु० रोजाना के हिसाब से ६००) रु० सालाना आमदनी हो जाती है । आज नया रिक्शा ६००) या १०००) में बन सकता है । अगर कोई आज नया रिक्शा अपने पैसों से बना कर चलाना चाहे तो नगरपालिका उसको नया लाइसेन्स नहीं देती, इससे म्युनिसिपैलिटी ने उन लोगों को और भी असुविधा पैदा कर दी है । सभापति महोदय, नये रिक्शों के परमिट नहीं देने के कारण आज हम देखते हैं कि लोगों में प्रगति की भावना नहीं होती । नये रिक्शों का परमिट नहीं देने

Page No.101

(श्री लक्ष्मीचन्द)

से लोग अपने खुद के नये रिक्शे तैयार नहीं कर सकते और लाइसेन्स नहीं देने से और लोगों में बेकारी बढ़ेगी। सभापति महोदय, कई लोगों ने कहा कि रिक्शा चालकों को इससे परेशानी होती है। सभापति महोदय, हर आदमी अपने पेट के लिये कार्य करता है; वह यह नहीं समझता कि इससे उसको परेशानी होगी। वह तो यह समझता है कि खाने को नहीं मिलता इसलिये काम करना चाहिये। ऐसा सभी लोग तो कर नहीं सकते कि चार घंटे काम करके और डिसीज़न लिख कर चार हज़ार माहवार लेकर चले जावें। हर देश में मजदूरों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार रिक्शावाले साइकिल रिक्शा चलाते हैं उसी प्रकार कई मजदूर दूसरे भी हैं जो बोझा ढोते हैं और खोचते हैं क्योंकि उनके सामने रोजी का कोई दूसरा तरीका नहीं है। यदि सरकार दूसरा रोजी का रास्ता खोल दे और सब जगह टैक्सी कर दे तो रिक्शा चालकों की अन एम्पलॉयमेंट की समस्या भी हल हो जावेगी। तो मैं तो यह कहूंगा कि रिक्शा मालिकों ने तो मजदूरों के हक में अच्छा काम किया है। उन्होंने मजदूरों के साथ सांठगांठ कर ली हो या कुछ भी कर लिया हो मगर उन्होंने रिक्शा खरीद कर उनको काम दिया है। कोई यह कहते हैं कि ६००) रु० में नया रिक्शा मिल जाता है इसलिये सरकार उनको नये रिक्शे बना दे तो कोई कहता है कि २॥) रु० बचा कर उनको रिक्शा दिला दिये जावें। सरकार के सामने कोई स्पष्ट नहीं अभी तक। इसलिये इन लोगों के साथ डुप्लीकेट पॉलिसी होती है। एक तरफ तो मालिकों ने यह सोच लिया है कि आज तो २॥) कल ३) रु० कर लेंगे। इसलिये उनके सामने कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इससे लोगों को मुसीबत होती है। इसलिये म्युनिसिपैलिटी को खुद को रिक्शा खरीदना चाहिये और इस हिसाब से किराये पर देना चाहिये जो बहुत कम हो। मगर ऐसा नहीं होता है तो कभीकभी ऐसी मुसीबत आ जाती है कि रिक्शा चालकों को कई बार अपने घर की रोटी खानी पड़ती है और रिक्शा मालिकों के यहां चक्कर लगा कर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसलिये म्युनिसिपैलिटी को चाहिये कि उनको रिक्शा सप्लाई करें ताकि लोगों को वह एक रेट से मिलना शुरू हो जावे अन्यथा यह होता है कि जो पैसा किराये का रिक्शा मालिक मांगता है उसको देना पड़ता है और जब तक वह २॥) रु० नहीं कमा लेता तब तक तो वह अपने बाल-बच्चों को कुछ नहीं खिला पिला सकता क्योंकि वह रकम तो उस मालिक को ही देनी होती है। इसलिये सरकार को, म्युनिसिपैलिटी को रिक्शा खरीद लेना चाहिये और कम रेट से देना चाहिये।

श्री सभापति : Government reply.

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : I would say a few words. सभापति महोदय, इस डिस्कशन के दौरान में दो बातें सदन के सामने आई हैं। कुछ सदस्यों ने कहा कि रिक्शा चलाने का व्यवसाय खराब है, इसको समाप्त कर दिया जावे और जिन माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा है उन्होंने यह मांग की है कि जयपुर में जो ठेकेदारी प्रथा के मार्फत रिक्शा चालकों को रिक्शा दी जाती है और चलती है उस रवैये को बन्द किया जाय। जहां तक इन्सान द्वारा रिक्शा चलाने का प्रश्न है जरूर यह बन्द होना

Page No.102

(मेजर श्री फतहसिंह)

चाहिये। लेकिन इसके साथ में आर्थिक समस्या जुड़ी हुई है इसलिये जब तक हम उसका उपाय नहीं सोचें तब तक इन्सान का रिक्शा चलाना बन्द करना एक प्रकार का आर्थिक संकट मोल लेना होगा। हां, अगर सरकार चाहे तो इसको सामाजिक इविल समझ कर दूर कर सकती है जिस तरह से और भी सामाजिक इविल्स को कानून बना कर दूर किये हैं और सुधार किये हैं, जिस तरह से प्रोस्टीट्यूशन को बन्द किया है। वाकई में सरकार यह समझती है कि यह समाज के लिये घातक है तो सरकार इसको बन्द कर सकती है। इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सोचना है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो इससे सम्बन्ध रखता है वह ठेकेदार जो पूंजी लगाता है और दूसरों को रिक्शा वितरण करता है और लोगों का शोषण करता है उसको बन्द किया जाए। इस प्रस्ताव का मैं हार्दिक समर्थन करता हूँ और श्रीमान्‌जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव का खास उद्देश्य यह है कि उनका जो शोषण होता है उससे उनकी रक्षा करें, उन लोगों के दमन से रिक्शा चालकों को बचावें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, जो पार्टी सत्तारूढ़ चल रही है उसने बड़े बड़े सुधार किये और बिचोलियों को खत्म किया। सरकार ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया, बिस्वेदारी प्रथा को खत्म किया जिससे किसानों का बिचोलिये शोषण करते थे वह बन्द हुआ। इसी तरह से इन्सान का इन्सान शोषण कर रहा है उसको बन्द किया जाए। मुझे प्रस्तावकर्त्ता से यह मालूम हुआ है कि जो ठेकेदार रिक्शा का परमिट लेते हैं वह केवल १२) रु० सालाना म्युनिसिपैलिटी को देते हैं जबकि वह प्रति रिक्शा चालक से २॥) रु० रोजाना वसूल करता है; यानि साल में ६००) रु० जब कि वह म्युनिसिपैलिटी को १२) रु० सालाना ही देता है। यह जबर्दस्त शोषण है। इसको बन्द करना चाहिये और सरकार को कानून के द्वारा इस प्रथा को बन्द करके लोगों का उद्धार करना चाहिये। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये इनको राहत दी जावेगी तो....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इनका हित होगा। रिक्शों के परमिट ठेकेदारों को व्यक्तिगत रूप से नहीं देकर जो लोग रिक्शा चलाना चाहें उनको पर्मिट मिलना चाहिये और एक तरह का फ्री एन्टरप्राइज़ रहना चाहिये। यह शोषण बन्द करना सरकार का परम कर्त्तव्य हो जाता है।

श्री सभापति : Government reply.

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-विवाद मुझे सुनने का मौका मिला। उनके विचार जान कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनके विचार समाजवादी समाज की ओर जा रहे हैं।

(करतल-ध्वनि)

चूंकि जो प्रस्ताव हमारे समाजवादी माननीय सदस्य, जो बांसवाड़ा से आ रहे हैं, उनके द्वारा रखा गया है उस प्रस्ताव की भाषा को देख

(श्री भीखाभाई)

कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं दंग रह गया कि उनकी भाषा क्या है और किस प्रकार लोगों को अपनी इस भाषा द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाना चाहते हैं । उनके विचार और उनके प्रस्ताव की भाषा में बड़ा मौलिक अन्तर है और मैं उस भाषा से सहमत नहीं हो सकता । मैं उस प्रस्ताव की भाषा को पढ़ कर सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करा देना चाहूँगा । प्रस्ताव की भाषा यह है :

"सदन की यह सम्मति है कि नगरपालिका क्षेत्रों मे रिक्शा चालकों के शोषण को रोकने के लिए रिक्शाओं को ठेके पर दिये जाने की प्रथा को समाप्त किया जाकर रिक्शाओं का वितरण नगरपालिकाओं द्वारा किया जाय। इससे नगरपालिकाओं की आमदनी में भी वृद्धि होगी ।"

माननीय सभापति महोदय, इनमें से मुख्य मुख्य चीजों को मैं लेना चाहूंगा । उन्होंने शोषण को मिटाने की बात कही। लेकिन मैं नहीं समझ सका कि इस संकल्प के द्वारा किस प्रकार से शोषण मिटेगा । उन्होंने यह नहीं कहा कि इस अमानुषिक प्रथा को बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये। यह प्रथा हमारे देश पर एक कलंक है । हमारे देश में, हिन्दुस्तान में इस प्रथा को हमको बन्द करना है, इस कलंक को मिटाना है । मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार और राज्य सरकार जागरूक हैं और इसके लिए कदम भी उठा लिये गये हैं । हमारे माननीय सदस्य समाजवादी हैं और समाजवादी होने का दावा करते है तो उनको तो यह कहना चाहिये था कि इस प्रथा को बन्द ही कर दिया जाय, न कि इस शोषण को बन्द करने के लिए ठेकेदारी प्रथा को बन्द किया जाय....

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : यह ठीक बात है ।

श्री भीखाभाई : ठेकेदारी प्रथा बन्द करना आवश्यक है । लेकिन उस पार्टी से यह प्रस्ताव आया है जिससे शोषण बन्द नहीं होता, यह अमानुषिक प्रथा बन्द नहीं होती । प्रस्ताव तो उस पार्टी से यह आना चाहिये था कि इस प्रथा को समूल बन्द किया जाय । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि हैदराबाद में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रकार का प्रस्ताव पास हो चुका है और इसको दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से इस ओर निरन्तर कदम उठाये गये हैं । प्रस्तावक महोदय ने अपने प्रस्ताव में एक बात यह भी कही कि नगरपालिका की आमदनी में वृद्धि की जाय । लेकिन उनकी कोई दलील सामने नहीं आयी कि किस प्रकार से आमदनी में वृद्धि करनी चाहिये । यदि आमदनी में वृद्धि करना चाहते हैं तो फिर सामाजिक और न्याय का दृष्टिकोण कहां टिका रहता है ? मूलतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ । दर असल यह प्रस्ताव अप्रगतिशील कहा जा सकता है । आज के इस प्रगतिशील युग में समाज के लिए दूसरे कानून हैं और बनते जा रहे हैं । वे लोग जो आज सारे दिन श्रम करते हैं, एक इन्सान को दूसरा इन्सान खींच कर ले जाता है उनके प्रति जो भावना व्यक्त होनी चाहिये थी वह भावना इस प्रस्ताव से प्रकट नहीं होती । आज के इस युग में इस प्रथा को बन्द करते हुए किस प्रकार प्रगति की ओर आगे बढ़ें, इस प्रकार के विचार उनकी ओर

(श्री भीखाभाई)

से संकल्प द्वारा आते तो कोई बात होती। अगर उनकी ओर इस भावना को लिये हुए भाषा के रूप में भी प्रस्ताव आता तो कहा जा सकता था। लेकिन करूं क्या ?

मेजर श्री फतहसिंह : सरकार की ओर से अमेन्डमेन्ट हो जाय।

श्री सभापति : Government reply may continue.

श्री भीखाभाई : ठेकेदारी प्रथा के बारे में कहा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार ने कदम उठाये हैं। सन् १९५० में इस ठेकेदारी प्रथा को बन्द करने के लिए कदम उठाये तो वे लोग हाईकोर्ट में गये। उनको कोई वकील साहब मिल गये और वह कदम रुक गया। फिर सरकार ने यह निर्णय लिया कि उनके लाइसेन्स कम कर दिये जायं और सरकार ने ४६ लाइसेन्स कम कर रखे हैं। रूल्स में अमेन्डमेन्ट लाये। जिसमें यह रखा गया है कि एक मालिक को चार से अधिक लाइसेन्स न दिये जायं। हम चाहते हैं कि इनके लाइसेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिये जायं। हमारा यह फेज्ड प्रोग्राम होगा और धीरे २ इस प्रथा को समूल नष्ट कर दिया जाय, यह निश्चित कदम होगा। इसको एक प्रेक्टिकल व्यू से भी हमको देखना चाहिये। हम हिन्दुस्तान में रहते हैं. हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये। मैं आपको बताऊं कि नयी दिल्ली में रिक्शे नहीं चलते किन्तु पुरानी दिल्ली में चलते हैं। राजस्थान में जयपुर में यह प्रोब्लम है। यहां पर ६३८ लाइसेन्स और उनमें रिडक्शन करते हुए ८६२ तक ले आये हैं। इसके दो पहलू निश्चित् किये गये हैं। दर असल लाइसेन्स बढ़ाये नहीं। दूसरा धीरे २ मालिकों से लेते हुए सहकारी समिति को देते चले जायं। यह सरकार की नीति स्पष्ट और साफ है। इसमें किसी को किसी प्रकार से कोई शंका नहीं करनी चाहिये और यदि शंका हो तो मैं उनका समाधान कर देना चाहता हूँ। सरकार का यह जो एप्रोच है यही एप्रोच भारत सरकार का है और राज्य सरकार को बराबर आगाही की है। भारत सरकार को राज्य सरकार की ओर से बराबर जबाब जा रहा है। इसी नीति को जारी रखते हुए राज्य सरकार की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि लाइसेन्स में कमी करती जाय, सहकारी समितियों को लाइसेन्स देती जाय और भी कोशिश है कि सहकारी समिति को इस वर्ष में १४–१५ और लाइसेन्स दे दिये जायं। यह उनको मिल जायेंगे। इसमें कोई कठिनाई

(करतल-ध्वनि)

नहीं है। मूलतः इसके लिये यही सोचना है कि यह प्रथा खराब है और इसको हमें नहीं रखना है। इस प्रगतिशील युग में जहां सोचने की बात करते हैं तो इस युग में इस ओर भी कदम उठाने चाहिये। इसमें सरकार जागरूक है और उसने यह फैसला कर दिया है कि इस प्रथा का ग्रेजुअल एबोलिशन होना चाहिये। इसके लिए फेज्ड प्रोग्राम बना दिया गया और जल्दी ही कारण बन जायं तो हम तो इसको जल्दी ही बन्द कर दें। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि समाज कल्याण विभाग से पैसा दिया जाय और दूसरे भी फन्ड हैं जिनसे दिये जाने के लिये कहा। इसका मतलब तो

(श्री भीखाभाई)

यह हुआ कि इसके अस्तित्व में उनका विश्वास है। बांसवाड़ा से आये मित्र को तो इसमें विश्वास करना ही नहीं चाहिये था। उनकी तो इसको बन्द कराने के लिए मांग होनी चाहिये थी।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : दूसरा धन्धा देने का क्या रास्ता है ?

श्री सभापति : Order please ! Please continue.

श्री भीखाभाई : इसको एक दम बन्द कर देने से श्रमिकों के पास एक दम काम नहीं होगा। इसीलिए कहा गया कि हम इसका क्रमिक एबोलिशन करना चाहते हैं। एक दम इसको बन्द कर दिया जाता तो कहा जाता कि तीन, चार हज़ार श्रमिकों का धन्धा छीन लिया, ये अनएम्प्लॉयड रह गये। इसीलिये यह किया गया कि इसका धीरे २ एबोलिशन किया जाय। एक व्यवस्थित रूप में करना चाहिये। एक मित्र ने बताया कि कॉन्स्टिट्युशनली रेस्ट्रिक्शन है। दूसरे धन्धे का इन्तजाम हो जावेगा, वैकल्पिक धन्धे खुल जावेंगे। मैंने इसीलिए कहा था कि इसको धीरे २ बन्द किया जाय जिससे कि धन्धे का भी सवाल हल होता जाय। हमारे मित्र जो पाली से आते हैं उन्होंने कहा कि उनकी नीति दोनों तरह से चल रही है। वे मित्र मौजूद नहीं हैं।

श्री सभापति : समाप्त जल्दी कीजिये।

श्री भीखाभाई : पांच मिनट ही लूंगा। उन्होंने यह कहा कि ठेकेदारी प्रथा को रखना चाहते हैं और इस दूषित चीज़ को कन्टिन्यु करना चाहते हैं। मैंने यह निवेदन किया ही है कि गवर्नमेंट की यह साफ नीति है कि वह इस दूषित प्रथा को बन्द करना चाहती है।

श्री सभापति : क्या यह हाउस की अनुमति है कि हाउस कुछ और चले ?

कई माननीय सदस्य : पांच मिनट और चला लिया जाय।

श्री सभापति : क्या हाउस की यह राय है कि पांच मिनिट और चलाया जाय ?

(स्वीकृत)

Yes, Continue please.

श्री भीखाभाई (जारी) : मैं जो कुछ अर्ज करना चाहता था वह बहुत संक्षेप में था। माननीय सदस्या ने बहुत साफ साफ बता दिया है कि गवर्नमेंट की क्या नीति है, उस नीति के सम्बन्ध में काफी प्रकाश पड़ चुका है। इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, सरकार की नीति बहुत साफ है।

श्री सभापति (श्री मोगजी भाई से) : क्या आप अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं या रखना चाहते हैं ?

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : इस बारे में आसन की इस प्रकार की व्यवस्था है कि या तो प्रस्तावक महोदय प्रस्ताव को वापिस लें या उसको वोट के लिये रखा जाय। जवाब देने के लिये कोई समय नहीं दिया जायगा।

Page No.106

श्री मोगजी भाई : मुझे जवाब देने का है।

श्री सभापति : जवाब नहीं देने की आसन से व्यवस्था हो चुकी है। There has already been a Ruling for this.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : You can take a decision, exercise your discretion.

श्री सभापति : देखिये, जहां तक जवाब का सवाल है इसके बारे में स्पष्ट रूप से आसन की व्यवस्था हो चुकी है। उस व्यवस्था को हमें मानना चाहिये। आप इस प्रस्ताव को वापिस लेना चाहते हैं या रखना चाहते हैं?

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार की रूलिंग तो नहीं है। आप जिस रूप में कह रहे हैं, यह तो आपका डिस्क्रिशन है।

श्री सभापति : इस प्रकार की व्यवस्था थी, यह हम मानते हैं।

श्री मोगजी भाई : व्यवस्था का यह मतलब नहीं कि माननीय मंत्री जो कुछ फरमायें उनके बारे में हम कुछ नहीं कहें....

श्री सभापति : जहां तक जवाब देने का सवाल है मैं व्यवस्था दे चुका हूं; जवाब देने की आवश्यकता नहीं। आप प्रस्ताव लेते हैं या नहीं?

श्री मोगजी भाई : जवाब देना इसलिए जरूरी है कि मंत्री महोदय गोलमाल जवाब देकर हाउस को गलत बातें कह देते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर! ऑर्डर!! प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मोगजी भाई ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही अब कल, ३१ मार्च, १९६० के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५.०२ बजे दिनांक ३१ मार्च, १९६० के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई]

———

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, ३० मार्च, १९६०)

स्कम्भ	प्रश्नों के शीर्षक
	सिरोही जिले में अंगोरे तथा दांता लघु सिंचाई का निर्माण।
	जयपुर पॉल्ट्री फार्म।
	दीर्घ एवं मध्यम सिंचाई योजनाएं।
	कस्बा सुजानगढ़ में सड़क निर्माण का कार्य।
	गोदाना व दरुबाना तहसील शिवगंज (सिरोही) की लघु सिंचाई का सर्वे।
	बुल प्रीमियम स्कीम के अन्तर्गत खरीदे गये सांड।
	कांसली पंचायत।
	नगरपालिका रायसिंहनगर द्वारा रायसिंहनगर में डी. ई. ब्लॉक्स में रिहायशी अहातों की नीलामी।
	पंचायत बदनोर के हिसाब की लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा जांच।
	कृषि सहकारी संस्थाओं के पंजीयन
५४२३	एवं कार्य संचालन हेतु नियम एवं उप विधियें।

स्कम्भ	
	सिरोही राजकीय अस्पताल में १४ बैड्स के वार्ड का निर्माण।
	खारची तहसील में ग्राम जोगडावास के पास के जोड़ को काश्त हेतु देना।
	सिरोही में पृथक प्रोजेक्ट डिवीज़न का खोला जाना।
	ग्राम पंचायतों के पंचों एवं सरपंचों के विरुद्ध विचाराधीन चुनाव याचिकाएं।
	जंगलात की समस्याओं के अध्ययन हेतु नियुक्त कमेटी।
	ग्राम पंचायत बागली, तहसील पीपल्दा (कोटा) के बजट को पास करने में देरी।
	राजस्थान विश्वविद्यालय में आयुर्वेद फैकल्टी की स्थापना।
	सूरजगढ़ नगरपालिका की सीमा में सम्मिलित की गई जीवन मंडी सुरजगढ़ से सम्बन्धित आज्ञा को गजट में छपवाने में देरी।

भारत सेवक समाज द्वारा उदयपुर डिविजन में किये गये कार्य।

पाली जिले के पुराने कस्टम्स एवं एक्साईज विभाग के मकान।

अशासकीय कार्य।

गैर-सरकारी संकल्प ५४५८

(१) श्री जगदीशप्रसाद माथुर, सदस्य, विधान सभा ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"इस सदन की सम्मति है कि सरकार बढ़ती हुई मंहगाई एवं केन्द्रीय सरकार तथा राज्य के कर्मचारियों के वेतन-स्तरों में असमानता के कारण व्याप्त असन्तोष को देखते हुए तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के राजकीय कर्मचारियों के लिए वेतन व अन्य भत्ते आदि की मांगों के विषय में एक वेतन आयोग की नियुक्ति करे जो अपना प्रतिवेदन ६ माह के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करे और अंतरिम काल में वेतन का २५ प्रतिशत अन्तरिम सहायता के रूप में प्रदान किया जाय।"

इस संकल्प पर श्री शंकरलाल व श्री मूलचन्द डागा ने अपने २ संशोधन प्रस्तुत किये। इस संबन्ध में किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. मेजर श्री फतहसिंह
२. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
३. श्री लादूराम सुलाणिया
४ श्री मुक्तिलाल मोदी
५. श्री मोहरसिंह
६. डॉ० बहादुरसिंह
७. श्री दलपतिसिंह।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् संशोधन वापस ले लिये गये। तत्पश्चात् संकल्प विभाजन के फलस्वरूप अस्वीकार किया गया।

(२) श्री मोगजी भाई, सदस्य विधान सभा ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :—

"सदन की यह सम्मति है कि नगरपालिका क्षेत्रों में रिक्शाचालकों के शोषण को रोकने के लिए रिक्शाओं को ठेके पर दिये जाने की प्रथा को समाप्त किया जाकर रिक्शाओं का वितरण नगरपालिका द्वारा किया जाय।

स्कम्भ स्कम्भ

इससे नगरपालिकाओं की आमदनी में भी वृद्धि होगी ।"

इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री हीराभाई
२. डॉ० चन्द्रकला
३. श्री मनोहर कोठारी
४. श्री मोतीलाल
५. डॉ० बहादुरसिंह
६. श्री शंकरलाल
७. श्री धर्मपाल पंवार
८. श्री मोहरसिंह
९. श्री मूलचन्द डागा
१०. श्री तेजमल बापना
११. श्री रामचन्द्र
१२. श्री जेठमल
१३. श्री सूबेदारसिंह
१४ श्री भैरवलाल 'काला बादल'
१५. श्री लक्ष्मीचन्द
१६. मेजर श्री फतेहसिंह ।

श्री भीखाभाई, सिंचाई मंत्री के उत्तर के पश्चात् संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया ।

सदन की बैठक ५ बज कर २ मिनट पर गुरुवार, दिनांक ३१ मार्च, १९६० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

गुरुवार, दिनांक ३१ मार्च, १९६० की कार्य-सूची

(१) कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं विचार।

(२) राजस्थान भूमि हस्तान्तरण (प्रतिषेध) विधेयक, १९५८ (वापिस लेना)

(३) राजस्थान मोटर स्पिरिट कर (संशोधन) विधेयक, १९६० (विचार-विमर्श एवं पारित)

(४) राजस्थान बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० (विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ का उत्तर देखिये)

LIST SHOWING POTENTIAL CULTURABLE COMMANDED AREA AND AREA IRRIGATED DURING 1958-59

(area in acres)

Sl. No.	Name of Work	Potential	C. C. A	Area Irrigated* 55-56	56-57	57-58	58-59	Remarks.
MAJOR WORKS								
1.	Bhakra	5,70,000	9,20,000	1,47,000	1,05,000	1,79,000	2,67,000	
2.	Jawai	46,000	1,06,700	23,000	34,000	17,000	20,900	
MEDIUM WORKS								
1.	Meja	30,000	61,700	—	3,587	9,500	12,732	
2.	Parbati	35,000	75,736	—	—	—	—	Irrigation Will start this year.

परिशिष्ट

1.	2.	3.	4	5	6	7	8	
3.	Gudha	20,000	33,000	—	—	—	2,343	
4.	Kalisil	8,000	13,300	—	—	718	1,796	
5.	Juggar	7,740	12,900	—	952	2,411	3,418	
6.	Surwal	4,800	6,800	—	—	—	294	
7.	Morel	19,000	32,200	8,800	2,260	2,379	6000	
8.	Lodisarka Naka	4,300	6,700	—	—	270	264	
9.	Bagolis	6,560	9,700	—	430	1,570	1,312	
10.	Gambheri	13,500	22,100	—	1,036	3,445	4,644	
11.	Sareri	18,000	39,000	—	—	4,700	4,456	
12.	Khari	11,000	29,600	—	—	2,600	600	due to less water storage
13.	Namano	12,000	30,500	—	—	974	3,440	
14.	Ora	8,000	12,350	—	—	2,155	816	duc to less water storage
15.	Bundi Ka-Gothra	4,500	7,660	—	—	460	715	
16.	Jetpura	3,740	N. A.	1,490	1,740	1,286	1,627	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३० का उत्तर देखिये)

श्री निजलिंगा अप्पा की अध्यक्षता में बनी प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:—

(१) संगठनात्मक :—

कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटियों के संगठन में किसानों को स्वेच्छा से संगठित किया जाय और संगठन से पूर्व उन्हें सहकारिता के सम्बन्ध में तथा सहकारी समितियों से होने वाले लाभ की पूरी जानकारी कराई जावे। जहां तक सम्भव हो एक प्रकार के समान सदस्यों को समिति में संगठित किया जावे।

प्रारम्भ में भूमि ५ साल के लिये समिति में स्थानान्तरित की जावे और ५ साल के बाद सदस्यों को अलग होने की छूट दे देनी चाहिये। बदले में जिस प्रकार की जितनी भूमि उन्होंने समिति को दी थी अलग होने पर सदस्यों को प्राप्त हो जाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

(२) प्रबन्धात्मक :—

प्रारम्भ में समस्त प्रबन्ध समिति में नामजद करने की जहां पर प्रथा है उसका अन्त किया जाय। समिति के कार्य-सचालन के लिये विभिन्न प्रकार की कार्य समितियां होनी चाहिये। १० प्रतिशत लाभ रिज़र्व फण्ड में, १५ प्रतिशत डेवलपमेंट फण्ड में, और १० प्रतिशत म्युचुअल-एड में जाना चाहिये तथा शेयर रिडम्पशन और बोनस देने को फण्ड स्थापित करने चाहिये।

(३) समितियों की कार्य-विधि :—

अधिक से अधिक सदस्यों को खेतों पर काम करना चाहिये और अनुपस्थित भूमि-धरों को आम तौर से समिति में नहीं आने देना चाहिये। जो सदस्य खेतों पर काम न करते हों उनको समिति की कार्यकारिणी में नहीं रखना चाहिये। प्रत्येक समिति को अपनी उपज सम्बन्धी योजना बनानी चाहिये। जहां सदस्यों के लिये पर्याप्त कार्य खेतों पर न हो वहां छोटे छोटे उद्योग-धन्धे विकसित करने चाहिये। भूमि का एकीकरण भी लाभदायक होगा।

(४) अर्थ व्यवस्था :—

समितियों को कार्य चलाने के लिये समुचित अर्थ व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिये राज्य को प्रत्येक सहकारी समिति में २,०००) रु० तक के हिस्से खरीदने पर सलाह दी गई है।

प्रबन्ध हेतु अनुदान की भी सिफारिश की गई है जो कि प्रथम ३ वर्षों में ६००) रु०, ६००) रु० और ३००) रु० है।

(५) प्रशासनात्मक :—

जिन विकास खण्डों में विशेष कार्यक्रम हो वहां पर कोआँपरेटिव फार्मिंग के लिये विशेष अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये। कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये प्रत्येक राज्य में सलाहकार बोर्ड स्थापित होने चाहिये। जनता के अच्छे कार्यकर्त्ताओं की विभाग में नियुक्ति होनी चाहिये।

फार्मिंग सहकारी समितियों के कार्य के लिये एक जोइन्ट रजिस्ट्रार होना चाहिये।

(६) शिक्षा और प्रशिक्षण —:

शिक्षा और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। फार्मिंग सहकारी समितियों के मेम्बरों की सेमीनारों की समुचित स्थान पर होने की व्यवस्था होनी चाहिये। इन समितियों के सेक्रेट्रीज़ को ३ मास के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिये।

सहकारी खेती के समुचित ज्ञान को समुचित साहित्य उपलब्ध कराना चाहिये; कलाकारों, लेखकों, नाटक और भजन मंडलियों को इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन देकर आन्दोलन को आगे बढ़ाने की कार्यवाही करनी चाहिये।

(७) कार्यक्रम :—

भावी कार्यक्रम में टेनेन्ट फार्मिंग सोसाइटीज़ व और बैटर फार्मिंग सोसाइटीज को सहकारी खेती के कार्यक्रम में न माना जाना चाहिये।

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३५ का उत्तर देखिये)

पंचायतों की सूची जिनके निर्वाचन के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गई

क्र० सं०	नाम पंचायत जिनके पंच, सरपंच के प्रति याचिका चल रही है	चुनाव याचिका प्रस्तुत होने का दिनांक	विशेष विवरण
१	२	३	४
	जिला चुरू		
१.	हमीरवास बड़ा	२९–७–५९	
२.	मीठी	"	
३.	चनाणा	"	
४.	नरवासी	"	
५.	नोगलसर	२५–७–५९	
६.	लालगढ़	२९–७–५९	
७.	जेवड़	"	
८.	ढिगारला	"	
९.	सेउवा	"	
१०.	रामसरा ताल	"	
११.	नोरंगपुरा	"	
१२.	सुरतपुरा	"	
१३.	रतनपुरा	"	
१४.	चैनाणा	"	
१५.	थान मठोई	३१–७–५९	

१	२	३	४
१६.	कांजणवास	२२–७–५६	
१७.	सुरतपुरा	,,	
१८.	सुरतपुरा	,,	
१९.	मागोर	,,	
२०.	लम्बोर बड़ी	,,	
२१.	भारिया	८–१०–५६	
२२.	नेठवा	,,	
२३.	बांधु	,,	
२४.	रतनसरा	२२-४–५६	
२५.	कांजणा	२५–७–५६	
२६.	मोजासर	२२–७-५८	
२७.	मालसार	११–८–५८	

जिला सीकर

१.	खटुन्दरा	१८–४–५८	
२.	गांग्यासर	३–२-५९	
३.	गनेड़ी	३०–१–५६	
४.	मंगलूना	२६–५–५८	
५.	मिराना	२०–२–५६	
६.	गाडोदा	३०–५–५८	
७.	बीबीपुर छोटा	७–६–५६	

जिला कोटा

१.	मांगरोल	१०–१०–५७	

१.	२	३	४
	जिला भरतपुर		
१.	बेरू	२५–६–५८	
२.	महरोली	२७–६–५८	
३.	पीपरा	२६–६–५८	
४.	बसई नवाब	,,	
५.	हेलक	५–१२–५६	
६.	गादोली	१६–१२–५६	
७.	रूपवास	३०–६–५८	
८.	गुन्डला	२–१२–५६	
६.	खानुआ	६–१२–५६	
१०.	दूल्हेखां	१२–६–५८	
११.	खेरली	२५–७–५६	
१२.	नगला बीघोरा	३०–६–५८	
१३.	पिपहेरा (धौलपुर)	२४–२–५६	
१४.	सतवाड़ी	२०–१२–५६	
१५.	बसेड़ी	१६–३–५६	
१६.	सेवऊ	,,	
	जिला बीकानेर		
१.	बेरासर	७–४–५८	
२.	रायसर	१५–६–५८	
३.	कुचोर आथुनी	५–१२–५८	श्री गणेशराम सरपंच
४.	कुचोर आथुनी	५–१२–५८	श्री गोविन्दराम पंच

१	२	३	४
	जिला भीलवाड़ा		
१.	फूलिया	१०–६–५६	
२.	सरेरी	२५–६–५६	
३.	बदनोर	२२–१०–५६	
	जला बूंदी		
१.	जरलोदा	२७–७–५६	
	जिला अजमेर		
१.	सरवाड़ (तह० पंचायत) फरवरी,	१६५८	
२.	हिंगोनिया ,,	,,	
	जिला नागोर		
१.	सुरपालिया	२–१–५६	
२.	दोतीणा	३–१–५६	
३.	सुरपालिया	,,	
४.	बोडवा	,,	
५.	कुमारी	,,	
६.	कठौती	,,	
७.	कालवा	५–१–५६	
८.	रोड़ू	,,	
९.	बूगरडा	,,	
१०.	बूगरडा	,,	
११.	रोढू	,,	
१२.	भाकरोद	६–१–५६	

१	२	३	४
१३.	नोखा	६-१-५६	
१४.	नागड़ी	,,	
१५.	लाम्बा जाटा	,,	
१६.	रोल	,,	
१७.	सांडास	५-१-५९	
१८.	भगवानपुरा	६-१-५९	
१९.	मुश्राना	,,	
२०.	मुश्राना	,,	
२१.	सीलगांव	,,	
२२.	जालामलिया	,,	
२३.	चाऊ	,,	
२४.	झालामलिया	,,	
२५.	रोट्ठू	,,	
२६.	रोट्ठू	,,	
२७.	रोट्ठू	,,	
२८.	रोट्ठू	,,	
२९.	रोट्ठू	,,	
३०.	रोट्ठू	,,	
३१.	रोट्ठू	,,	
३२.	रोट्ठू	,,	
३३.	मोलासर	,,	
३४.	लूणसरा	,,	
३५.	पीलवा	,	

Page No.119

१	२	३	४
३६.	दोतीणा	७–१–५६	
३७.	रीड	,,	
३८.	कालबा	,,	
३९.	राजोद	,,	
४०.	कांटिया	,,	
४१.	बांसां	,,	
४२.	निम्बड़ी चान्दावतांन	८–१–५६	
४३.	भग्गु	,,	
४४.	साजोली	,,	
४५.	जोचीणा	९–१–५६	
४६.	मनाना	,,	
४७.	पांचोड़ी	,,	
४८.	लोरोली	,,	
४९.	खरेश	,,	
५०.	फीरडोद	१९–१–५६	
५१.	रींगन	१०–१–५६	
५२.	एवडी	,,	
५३.	भग्गु	,,	
५४.	भंग्गु	,,	
५५.	डेह	,,	
५६.	बाजिवास	,,	
५७.	चाडी	,,	
५८.	मीठड़ी	,,	

१	२	३	४
५६.	कोलीया	१०-१-५६	
६०.	भीन्डामरी	,,	
६१.	गंठिलासर	,,	
६२.	रामसिया	,,	
६३.	मारोठ	,,	
६४.	कठौती	१२-१-५६	
६५.	फीरडोद	,,	
६६.	मींठडी	,,	
६७.	चूंटीसरा	,,	
६८.	जसवन्ताबाद	,,	
६६.	रीयां बड़ी	१३-१-५६	
७०.	बाकलिया	,,	
७१.	सबलपुर	,,	
७२.	,,	,,	
७३.	खींवसर	,,	
७४.	गगराना	१५-१-५६	
७५.	खींयाला	,,	
७६.	डेह	,,	
७७.	खींवसर	,,	
७८.	,,	,,	
७६.	,,	,,	
८०.	,,	१२-१-५६	
८१.	गेडा कला	२६-१-५६	

१	२	३	४
८२.	अलतवा	१६-२-५६	
८३.	गुडा	१८-२-५६	
८४.	बालिया	६-१०-५६	

जिला टोंक

१.	देवड़ावास	१५-१-५६	
२.	आंवा	,,	
३.	पालड़ी	१३-८-५६	

जिला जोधपुर

१.	साई	१-१०-५६	
२.	ढालवी	१७-११-५६	
३.	जालमन्ड	६-१-५६	
४.	बारना	२३-१-५६	
५.	बारना	२६-१-५६	
६.	कालवरा	११-५-५६	
७.	साम्बा	२०-५-५६	
८.	,,	२५-२-५६	
६.	,,	५-६-५६	
१०	,,	११-१२-५६	

जिला सवाई माधोपुर

१.	सरपंच नादौती	१७-३-५८	
२.	पंच पंचायत शहर	१८-३-५८	
३.	सरपंच ससैडी	२०-३-५८	

१	२	३	४
४.	सरपंच जीवली	३-४-५८	
५.	सरपंच जटवाडा	३-४-५८	
६.	सरपंच हरवाडा	१६-३-५६	
७.	महरूम बनाम कल्याण खिलाफ पंचायत वार्ड नं० ५	१६-३-५६	
८.	पंच खण्डार	१६-३-५६	
९.	पंच वार्ड नं० १२	१६-३-५६	
१०.	वार्ड नं० १० पंचायत गोठडा	२०-३-५६	
११.	सरपंच लहसोडा	१०-३-५६	
१२.	सरपंच पीपलवाड़ा	,,	
१३.	प्रहलाद बनाम लड्डूलाल चुनाव सि० पंच	१६-३-५६	
१४.	धुलीचन्द बनाम व्रजमोहन चुनाव सि० पंच	,,	
१५.	पंच खण्डार	,,	
१६.	सरपंच फुलवाड़ा	२६-२-५६	
१७.	सरपंच लिवाली	४-२-५६	
१८.	सरपंच शेलपुरा	२१-१-६०	

जिला पाली

१.	मागेसर	२०-१२-५८	
२.	देवाली	२७-५-५८	
३.	जैतारण	१६-५-५८	
४.	आंगदोव	१७-६-५८	
५.	,,	,,	

Page No.123

१	२	३	४
६.	गुडायोज	२६–१२–५८	
७.	डालोप	१२–४–५८	
८.	पला	२–६–५८	
९.	बागी	८–९–५८	
१०.	लुणावा	१४–७–५८	
११.	घणी	८–९–५८	
१२.	डूडाला	२३–९–५८	
१३.	आवा	१८–१२–५८	
१४.	कातेनाथ	,,	
१५.	कोसलाव	,,	
१६.	सात्यु	२–९–५९	

जिला झुन्झुनू

१.	मेहाडा जाटूवाड	३०–१–५९	
२.	डाढोत	२ माह से	
३.	,,	,,	
४.	बृजपुरा घसेडा	,,	
५.	सिंघाना	३–१०–५८	
६.	सेही कला	७–९–५९	
७.	दूधवा	८–९–५९	

जिला सिरोही

१.	नया सानवाडा	९–७–५९	
२.	लास	२–१–५९	

१	२	३	४
३.	खाम्बा	१३-१-५६	

जिला जैसलमेर

१.	पंचायत खुडी	२८-७-५६	
२.	ओला	२६-६-५८	

जिला बाड़मेर

१.	कवास	१-१२-५६	
२.	परैउ	८-१२-५८	
३.	भूला	३१-१२-५८	
४.	दानपुरा	,,	
५.	आसोतरा	६-१-५६	
६.	सूरा	१३-७-५६	
७.	सरणू	१४-७-५६	
८.	पनवा	१८-७-५६	
९.	भूनीया	,,	
१०.	दूदीया	२१-७-५६	
११.	लोडाखा	२३-७-५६	
१२.	सावनसला	,,	
१३.	भोव	२७-७-५६	
१४.	मदारिया	२२-१०-५६	

१	२	३	४
	जिला अलवर		
१.	मालाखेड़ा	५–१–५६	
२.	कोलिलासांगा	१३–१–५६	
३.	दूघेड़ा	,,	
४.	तसींग	,,	
५.	सातो	,,	
६.	बर्डोद	,,	
७.	माजरी कलां	,,	
८.	गंडाला	,,	
९.	जागवास	,,	
१०	रोडवाल	,,	
११.	जागवास	,,	
१२.	रतनपुरा	,,	
१३.	बानसूर	,,	
१४.	नागला कोडिया	,,	
१५.	रोढवाल	१५–१–५६	
१६.	बहरोड	,,	
१७.	हाजिपुरा	,,	
१८.	गूदोली	,,	
१९.	रोडवाल	,,	
२०.	जहांजहांपुर	,,	

Page No.126

१	२	३	४
२१.	शाहाजहांपुर	१५-१-५६	
२२.	नरहट	,,	
२३.	परतापगढ	,,	
२४.	परतापगढ	,,	
२५.	करना का वास	,,	
२६.	परतापगढ़	,,	
२७.	सातो	,,	
२८.	सालोली	,,	
२९.	धमरेड़	,,	
३०.	राजपुर	,,	
३१.	नीमला	,,	
३२.	नीमला	,,	
३३.	दोगड़ी	,,	
३४.	समूची	,,	
३५.	पहाड़ी	१६-१-५६	
३६.	बड़ोदामेव	,,	
३७.	गोविन्दगढ़	,,	
३८.	परतापगढ़	,,	
३९.	बूटोली	,,	
४०.	कालिपहाड़ी सबलपुरा	१६-१-५६	
४१.	सातों	,,	
४२.	रामपुर	,,	
४३.	काली पहाड़ी	,,	

१	२	३	४
४४.	रामपुर	१६-१-५६	
४५.	रामपुर	,,	
४६.	रामपुर	,,	
४७.	रामपुर	,,	
४८.	रामपुर	,,	
४६.	रामपुर	,,	
५०.	बहराम का वास	,,	
५१.	शहाजहांपुर	२१-१-५६	
५२.	फतियाबाद	२२-४-५६	
५३.	शहाबाद	२०-४-५६	
५४.	फतियाबाद	२७-४-५६	
५५.	बहरोड़	२६-४-५६	
५६.	बानसूर	२०-५-५६	
५७.	घासोली	२१-५-५६	
५८.	गिरूडी	१६-६-५६	
५६.	ततारपुर	२४-६-५६	
६०.	ततारपुर	,,	
६१.	तसींग	६-७-५६	
६२.	अलावड़ा	१३-७-५६	
६३.	जोडिया	१५-७-५६	
६१.	बगड राजपूत	,,	
६५.	मातोर	२६-७-५६	
६६.	हरसाना	२२-६-५६	

१	२	३	४
६७.	हमीराका	१४-१०-५६	
६८.	देलता	२२-१०-५६	
६६.	नीगांवा	,,	

जिला झालावाड़

१.	सीगा	३०-७-५२	

जिला जालोर

१.	डीगांव	६-१-५६	
२.	उम्मेदाबाद	,,	
३.	सेवाडा	,,	
४.	उम्मेदाबाद	,,	
५.	मांडवला	,,	
६.	उम्मेदाबाद	,,	
७.	बिछावाड़ी	,,	
८.	सायला	,,	
६.	चांदना	१५-४-५६	
१०.	केरिया	,,	
११.	चितलावाना	,,	
१२.	गुन्दाऊ	,,	
१३.	,,	,,	
१४.	पांचला	१६-४-५६	
१५.	बादनवाडी	१३-१०-५६	
१६.	मोरसीम	,,	

१	२	३	४
१७.	भारणी	२०–१०–५६	
१८.	भारणी	,,	

जिला गंगानगर

१	२	३	४
१.	माझीवाला	२–६–५८	
२.	लालगढ़ बिश्नोइयान	४–६–५८	
३.	भग्वाना	२६–७–५६	
४.	छानी बड़ी	१६–७–५६	
५.	गोरखाना	२७–७–५६	
६.	पान्डूसर	२८–११–५६	
७.	बिहारीपुरा	२७–७–५६	
८.	डूंगराना	२०–७–५६	
९.	७१ आर. बी.	४–६–५८	
१०.	पान्डूसर	२७–११–५६	
११.	६० बी. बी.	१५–१२–५८	
१२.	अनूपशहर	२६–७–५६	
१३.	४२ जी. बी.	३०–६–५८	
१४.	८३ एल. एन. पी.	१७–१०–५८	
१५.	५–६ आर. बी.	८–१२–५८	
१६.	तलवाड़ा कला	२८–८–५६	
१७.	बनवाला	१६–६–५८	
१८.	मुकलावा	२५–१०–५८	
१९.	२ एच छोटी	,,	
२०.	महियांवाली	२०–१२–५८	

१	२	३	४
२१.	२२ जेड. (साहबसिंह वाला)	२०-१२-५८	
२२.	१० जेड	२१-८-५६	
२३.	नारायणगढ़	२०-७-५६	
२४.	पनीवाली	२७-७-५६	
२५.	कोहलां	१४-८-५६	
२६.	भाखरांवाली	२२-७-५६	
२७.	दीनगढ़	२६-७-५६	
२८.	दीनगढ़	५-८-५६	
२९.	मवकासर	२३-७-५६	
३०.	नगराना	२७-७-५६	
३१.	जन्डावाली	२६-७-५६	
३२.	मवकासर	२३-७-५६	
३३.	हरीपुरा	२२-७-५६	
३४.	सतीपुरा	२७-७-५६	
३५.	खैरूवाला	१४-८-५६	
३६.	मवासर	२३-७-५६	
३७.	करडवाला	१६-७-५६	
३८.	रतनपुरा	२७-७-५६	
३९.	दीनगढ़	५-८-५६	
४०.	ढाबां	२०-७-५६	
४१.	रतनपुरा	२७-७-५६	
४२.	नोरंगदेसर	१८-८-५६	
४३.	धोलीपाल	६-८-५६	

१	२	३	४
४४.	सादूलशहर	१७-८-५६	
४५.	खाट सजवार	१८-७-५६	
४६.	करडवाला	१६-७-५६	
४७.	ढ़ढ़ेला	२०-७-५६	
४८.	मोटेर	२२-८-५६	
४६.	नोमला	२०-७-५६	
५०.	पल्लू	२२-८-५६	
५१.	भूकरका	२६-७-५६	
५२.	बड़ बिराना	१७-८-५६	
५३.	मुन्दड़ीया बड़ा	२७-७-५६	
५४.	रतनपुरा	१५-७-५६	
५५.	शेरपुरा	२०-७-५६	
५६.	मेघाना	१०-८-५६	
५७.	अजीतपुरा	२१-७-५६	
५८.	मलरखेडा	२०-७-५६	
५६.	जोगीवाला	,,	
६०.	कानसर	१५-८-५६	
६१.	थालडका	२०-७-५६	
६२.	चक भागसर	६-१०-५७	

जिला जयपुर

१.	खेडला	११-७-५८	
२.	जमुवा रामगढ़	२७-५-५८	
३.	चावडिया	६-६-५८	

१	२	३	४
४.	डागरवाडा	६-६-५८	
५.	,,	,,	
६.	श्योपर	५-७-५६	
७.	भमोरिया	२६-४-५६	
८.	प्रागपुरा	७-६-५८	
९.	टोरडा	१६-३-५६	
१०.	दांतिल	३१-५-५८	
११.	रानोली	१३-८-५६	
१२.	पांचोली	३१-७-५६	
१३.	,,	,,	
१४.	गुमानपुरा	११-६-५६	
१५.	सिकराय	१७-६-५६	
१६.	हिंगोटा	१-६-५६	
१७.	मुरलीपुर पंचोली	३१-७-५६	
१८.	गीजगढ़	१७-६-५६	
१९.	टोरडा	,,	
२०.	सिकन्दरा	११-८-५६	
२१.	सिकराय	१७-८-५६	
२२.	बामनवाड़ा		
	जिला उदयपुर	नहीं	
	,, बांसवाड़ा	,,	
	,, डूंगरपुर	,,	
	,, चित्तौड़गढ़	,,	

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ का उत्तर देखिये)

सूची (अ) भारत सेवक समाज द्वारा उदयपुर डिविज़न से सन् १६५८-५६ जिनकी सर्वे कराई गई।

१. धौलिया
२. सोधसागर बडजान
३. धाना बापली
४. काकमदारदा
५. बड़ा
६. चिपी खेडा
७. सरामाला
८. हाताजी का गुढा
९. चौलिया का नाका
१०. अमा की कुरी
११. खसर (फूल तलाई)
१२. जोधपुरिया
१३. बौराई राजौल
१४. निम्बाला
१५. आमली
१६. बरेरी
१७. गुनेला
१८. जय बिलाई
१९. अरनिया
२०. सूरतसिंह का खेडा
२१. पिपलास
२२. बिरदौत
२३. परथा का चोडा

———

परिशिष्ट

सूची (ब) भारत सेवक समाज द्वारा किये गये कामों मय स्वीकृत रकम बंद श्रमदान किस हिसाब से लिया गया

क्रम सं०	नाम कार्य	अनुमानित खर्चा सरकारी	अनुमानित खर्चा श्रमदान	वास्तव में खर्चा सरकारी	वास्तव में खर्चा श्रमदान
१.	बडारडा	१३,२००.००	४,३०६.००	६४३	१,२३६
२.	बोराई	८,४६०.००	७,८७१.००	४०८	२३६
३.	जेबलाई	६,६१५.००	२,१६०.००	१,४०२	१,००७
४.	गुनेला	५,६००.००	१,८२०.००	१,१६५	१,२५२
५.	धारनिया	१७,६८०.८०	५,७५०.००	५,३२४	२,४८१
६.	परथा का चौड़ा	१६,२२०.००	६,२५०.००	५,०१७	२,४८१
७.	नाईला	१४,८३०.००	६,००५.००	४३६	१४३
८.	पीपली का बारीया	१४,८३०.००	४,८२३.००	६५४	२१८

———

सूची (स) खर्च एस्टोब्लशमेंट उदयपुर सब डिवीजन की
१ जनवरी, ५८ से मार्च, ५९ तक

अधिकारियों की वेतन	५१६.१३
कर्मचारियों की वेतन	३५९.१७
अन्य भत्ता	२१५.२८
सफर भत्ता	१७४.८५
योग	१,२६५.४३

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७४६ का उत्तर देखिये)

सूची सरकारी कस्टम्स नाका बिल्डिंग एक्साइज एवं कर विभाग पाली

क्र० सं०	नाम नाका	नाम बिल्डिंग जो महकमा हाजा के कब्जे	नाका बिल्डिंग जो दूसरे महकमों को सुपुर्द किये
१.	सरकारी बिल्डिंग, पाली	सर्कल इन्सपेक्टर, पाली मय शराब गोदाम पाली।	—
२.	सरकारी बिल्डिंग, रानी	सर्कल इन्सपेक्टर, रानी मय शराब गोदाम, रानी।	—
३.	सरकारी बिल्डिंग, सोजत	सर्कल इन्सपेक्टर ऑफिस, सोजत।	—
४.	सरकारी बिल्डिंग, बाली	सर्कल इन्सपेक्टर ऑफिस, बाली।	—
५.	सरकारी बिल्डिंग जैतारन	सर्कल इन्सपेक्टर आफिस जैतारन।	—
६.	बर	—	पटवारी, ग्राम पंचायत बर।
७.	रताड़िया	—	खाली पड़ा है।
८.	रायपुर	—	ब्लॉक, रायपुर।
९.	बीराटिया	—	कोई नहीं रहता है।
१०.	गुड़िया	—	कोई नहीं रहता है।
११.	सुमेल	—	पटवारी।
१२.	चडावटा	—	जंगलात का मुलाज़म।
१३.	अणदपुर कालू	—	कोई नहीं रहता है।

१	२	३	४
१४.	नीम्बाज	—	तहसीलदार ,जैतारण ।
१५.	खाखीजी की बावड़ी	—	कोई भी नहीं रहता है ।
१६.	कुड़की	—	कोई भी नहीं रहता है ।
१७.	सेवड़िया	—	पटवारी ।
१८.	रेलड़ा	—	कोई भी नहीं रहता है ।
१९.	चौकी जाला	—	जंगलात के मुलाजम ।
२०.	कोटरिया	—	कोई नहीं रहता है ।
२१.	स्टेशन बर	—	पटवारी, बर ।
२२.	पालीयास	—	कोई नहीं रहता है ।
२३.	फाटक चौकी	—	जानवरों के सफाखाने का सामान पड़ा है (बर) ।
२४.	सोजत रोड़	—	पुलिस व तहसील ।
२५.	धारेश्वर	—	बेमरम्मत ।
२६.	मारवाड़ जंक्शन	—	तहसील व बी. डी. ग्रो. ।
२७.	बाता	—	पुलिस चौकी ।
२८.	बगड़ी	—	तहसील सोजत ।
२९.	कन्टालिया	—	पुलिस ।
३०.	चन्डावल	—	तहसील ।
३१.	भीमालिया	—	बेमरम्मत ।
३२.	अऊआ	—	गिर पड़ा है ।
३३.	जोजावर	—	गिर पड़ा है ।
३४.	सारन	—	पुलिस चौकी ।
३५.	बड़ा-गुड़ा	—	तहसील ।

Page No.138

१	२	३	४
३६.	फुलाद्	—	गिर पड़ा है ।
३७.	विरदा की देह	—	खाली पड़ा है ।
३८.	बलवाना	—	पुलिस चौकी ।
३६.	चावन्डेरी	—	पुलिस ।
४०.	सेवारी	—	ग्राम सेवक ।
४१.	बीजापुर	—	ग्राम सेवक ।
४२.	वेड़ा	—	शिक्षा विभाग ।
४३.	सान्डेराव	—	पटवारी, सान्डेराव ।
४४.	बिरोलिया	—	गिर पड़ा है ।
४५.	केनपड़ा	—	,,
४६.	रघुनाथ पुड़ा	—	,,
४७.	लूनावा	—	ग्राम सेवक, लूनावा ।
४८.	तख्तगढ़	—	पटवारी, तख्तगढ़ ।
४६.	नाणा	—	१/२ ग्राम सेवक, १/२ पटवारी ।
५०.	फालना	—	१/२ बैंक, १/२ डाक बंगलो ।
५१.	ऊन्दरी	—	ब्लॉक ।
५२.	सुमेरपुर	—	कलेक्टर ने वेच दिया ।
५३.	कोठार	—	गिर पड़ा हैं ।
५४.	लतारा चौकी	—	पटवारी ।
५५.	रानी	—	विकास अधिकारी ।
५६.	भगवानपुरा	—	जंगलात गार्ड रहता है ।

१	२	३	४
५७.	जवाली	—	मेल पीयून रहता है ।
५८.	सोमेसर	—	ग्राम पंचायत ।
५६.	सादड़ी	—	,,
६०.	देसूरी	—	ग्राम सेवक ।
६१.	पाली सिटी	—	पुलिस ।

नोट :—कस्टम्स ड्यूटी उठने पर ऊपर के क्रमांक १ से ५ इन्सपेक्टरों के बिल्डिंग ही केवल महकमा हाजा में रखे गये । बाकी सब नाकों के सरकारी मकानात कलेक्टर को सुपुर्द हुए और उसी ने इनके आगे लिखे विभागों को सुपुर्द किया है ।

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक ३० मार्च, १६६०)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५४२४	१६	पॉल्टी फाम	पॉल्ट्री फार्म
५४२६	१४	फाम्स को	फार्म्स को
५४२७	शीर्ष	(श्रीनाथूराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
५४३१	१४	पीनाल्टी क्लॉस	पीनाल्टी क्लॉज
५४३२	अन्तिम से६	लोगों, को	लोगों को,
५४३७	१५	श्री भैरोंसिंह।	श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।
५४४०	१२	on Cooperatie	on-cooperative
५४४३	१२	खोला	खोलना
,,	१४	be plesed	be pleased
५४४४	१६	६३४	७३४
,,	१८	द्वारा गया	द्वारा पूछा गया
५४४५	२-३	Governmeat	Government
,,	६	मंत्री,	उप मंत्री,
५४४६	१५	जल्टी का	जल्दी का
५४४७	१६	अध्ययन हेत	अध्ययन हेतु
,,	अन्तिम	गई थी	की गई थी
५४५३	शीर्ष	५५५३	५४५३
,,	१३	वित्त कृषि	कृषि
५४५५	शीर्ष	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
५४५७	शीर्ष	कृ मंत्री	कृषि मंत्री
५४५६	१६	स्मण-पत्र	स्मरण-पत्र
,,	अन्तिम से३	५१५२	५१-५२
५४६४	२६	मेगिज़मम में	मेग्ज़िमम में
५४६५	८-६	मेठिज़मम में	,,
५४६६	४	कर दी र्ख्ई	कर दी गई
,,	१४-१५	जाती व है	जाती है
५४७१	शीर्ष	संबंघी	संबंधी
५४७२	अन्तिम से६	धामिक उचसव	धार्मिक उत्सव
५४७५	२५	श्री जगदीशप्रसाद माथर	श्री जगदीशप्रसाद माथुर

१	२	३	४
५४७८	अन्तिम	Categoriep	Categories
५४८२	अन्तिमसे२-१	disparityb etween a citizen and citizen possible as	disparity between a citizen and citizen as possible
५४८४	,, ,, ३	socialstic pattern	socialistic pattern
५४८५	२	pay allowances	pay and allowances
५४८७	शीर्ष	श्री तफ.हसिंह)	श्री फतहसिंह)
५४८८	११	अन्त के	अन्त में
५४८९	शीर्ष	केवे तन संबंधी	के वेतन संबंधी
५४९७	शीर्ष	(श्री मूलजन्द	(श्री मूलचन्द
५५००	२२	हज्म कर	हजम कर
५५०३	अन्तिम	हैं मेट्रिक के कि	है.कि मेट्रिक के
५५०७	२४	श्री मोहनलालसु खाड़िया	श्री मोहनलाल
५५१३		(ख्लुय	सुखाड़िया (मुख्य
,,	अन्तिम से४	वर्प होने आये	वर्ष होने आये
५५३७	१६	चतुर्थ `णी	चतुर्थ श्रेणी
५५४१	शीर्ष	५५४०	५५४१
५५४७	,,	३० माच	३० मार्च
५५४८	३	गेजटेड	गजेटेड
५५५०	२४–२५	lays down After	lays down;"After
५५५३	अन्तिम से७	thing othlrwise	thing otherwise
५५५४	२५	हमेशा के	हमेशा के
५५६०	२०	श्री विद्यासागर	श्री विद्यासागर]
५५७९	६	खिलाप है	खिलाफ है
५५८०	शीर्ष	रांकल्प	संकल्प
५५८५	३	की करने क्या	करने की क्या
५५८६	अन्तिम	आ व्दिप गया	व्हिप आ गया
५५८८	९	नहीं नोगी	नहीं होगी
५५९९ से ५६१४	शीर्ष	वितरण–३०	वितरण सम्बन्धी–३०
५६०१	१३	बात कोई से	बात से कोई
५६०४	२७	इसको सोचों	इसको सोचें
५६०७	शीर्ष	(श्री मूलजन्द डागा)	(श्री मूलचन्द डागा]
५६१०	२१	सरगार नयों	सरकार क्यों
५६१५	१३	(बनेरा) :	(बनेड़ा):
५६१६	१२	उससे इनको	जिससे इनको
५६३२	१५	गवनमेंट की	गवर्नमेंट की

(३)

१	२	३	४
५६३६	११	पृथक पोजेक्ट	पृथक प्रोजेक्ट
५६४२	सीरियल १४ रिमार्क्स के नीचे	duc to	due to
५६४८	५	जला बूंदी	जिला बूंदी
५६६६	शीर्ष	६५६६	५६६६ परिशिष्ट